लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

चतुर्थ माला

Fourth Series

खंड 5, 1967 / 1889 (शक)

Volume (V), 1967/1889 (Saka)

[20 जून, 1967 से 3 जुलाई 1967 / 30 ज्येष्ठ 1889 से 12 आषाढ़ 1889 (शक)]

[June 20 to July 3, 1967/ Jyaistha 20 to Asatha 12, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 5 में अंक 21 से 30 तक हैं)

(Volume (V) contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 27, बुधवार, 28 जून, 1967/7 आषाढ, 1889 (शक)

No. 27–Wednesday, June 28, 1967/Asadha 7, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
781	मद्यनिषध का लक्ष्य	Prohibition Target	3549–3554
782	विदेशों द्वारा भारत की सामाजिक, तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को दिया गया धन	Money given by Foreign countries to Social Cultural Organisations in India	3554–3560
783	राजनैतिक दलों के आय तथा व्यय सम्बन्धी विवरण	Statement of Receipts and Expenditure by Political Parties	3560–3565
785	कलिंग एयरवेज के साथ करार	Contract with Kalinga Airways	3565–3567

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.			
784	भारतीय खानों में काम करने की दशा	Working Conditions of Indian Mines ...	3567
786	तीसरी योजना में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार	Jobs for Unemployment during 3rd Plan ..	3567
787	सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement Age	3568
788	छात्र आन्दोलन सम्बन्धी समिति	Committee on Students' Agitation ...	3568–3569
789	पंजाब तथा हरियाणा के बीच की सांझी कड़ियां	Common Links between Punjab and Haryana	3569–3570
790	पाकिस्तानी धावे	Pakistani Raids	3570

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates tha the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

791	प्रशासन सुधार आयोग से सम्बद्ध अधिकारी	Officials attached to the A.R.C.	3570
792	विभागातिरिक्त कर्मचारी	Extra Departmental Employees	3571
793	स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के निजी कागजात	Private Papers of the late Jawaharlal Nehru	3571
794	केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के लिये पुलिस द्वारा पूर्ववृत की जांच	Police Verification for Central Jobs ..	3572
795	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति	Financial Position of Central Government Employees	3572
796	हित्वादा के कुछ कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना	Suspension of Certain Employees of the 'Hitvada'	3573
797	यूनेस्को को भारतीय शिष्टमण्डल	Indian Delegation to UNESCO	3573
798	सब भाषाओं के लिये एक लिपि	Common Script ...	3573–3574
799	विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Foreign Students	3574
800	पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Text Books ...	3574–3575
801	पी. एल. 480 निधियों के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग का प्रतिवेदन	C.B.I. Report on P.L. 480 Funds	3575
802	नये नमूनों की डाक टिकटें	Postage Stamps of new Designs	3575–3576
803	उत्पादिता के आधार पर मजूरी निर्धारित करना	Linking Wages with Productivity ..	3576
804	हिन्द महासागर का सर्वेक्षण	Survey of the Indian Ocean ..	3576
805	विद्रोही मिजो लोगों की वापसी	Return of Mizo Rebels ..	3576–3577
806	टेलीफोन	Telephones ..	3577
807	तिहाड़ जेल, दिल्ली	Tehar Jail, Delhi ..	3577–3578

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
808 शेख अब्दुल्ला	Sheikh Abdullah	3578
809 पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री द्वारा गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Allegation levelled by West Bengal Dy. Chief Minister against Minister of Home Affairs	3578–3579
810 दक्षिण बेरुवाड़ी गांव में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Pak. Trespass into South Berubari Village ..	3579
अता. प्र. संख्या/U.S. Q. Nos.		
3776 चम्बल घाटी में डाकू समस्या	Decoit Problem in Chambal Valley	3579–3580
3777 त्रिपुरा में विस्थापित लोग	Displaced persons in Tripura ... —	3580–3581
3778 पाकिस्तान-त्रिपुरा सीमा से भारतीयों का अपहरण	Kidnapping of Indians from Pak-Tripura Border	3581
3779 ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा धर्म परिवर्तन	Conversions by Missionaries — ..	3581–3582
3780 हिन्दू नागाओं का धर्म परिवर्तन	Conversion of Hindu Nagas	3582–3583
3781 स्वदेश लौटने वाले लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates	3583–3584
3782 प्रत्येक जिले में एक बी.टी. कालेज खोलना	Opening of B.T. College in each District ..	3584–3585
3783 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये आरक्षित पद	Reserved Vacancies for S.C. and S.T. ..	3585
3784 दादरा, नागर हवेली और लक्कदीव द्वीप समूह में रोजगार दिलाऊ दफ्तर	Employment Exchanges in Dadra Nagar Haveli and Laccadives Islands .. —	3585
3785 बम्बई के निकट अहमद ग्रुप की मिलें	Ahmed Group of Mills near Bombay ..	3585–3586

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3786	टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय	Telephone Revenue Accounts Office ..	3586-3587
3787	भविष्य निधि निरीक्षकों द्वारा हस्तक्षेप	Interference by Provident Fund Inspectors	3587
3788	भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियां	Arrest under D.I.R.	3587-3588
3789	राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक प्रयोगशालाओं की स्थापना	Setting-up of National and Regional Laboratories	3588-3589
3790	बस्तर में बेगार	Forced Labour in Bastar	3589
3791	बस्तर जिले में डाकघर	Post Offices in Bastar District	3589
3792	आदिवासियों को शिक्षा	Education of Adivasis ..	3589-3590
3793	दिल्ली के नागरिकों के आवेदन पत्र	Applications by Citizens of Delhi	3590
3794	अध्यापकों के लिये मकान	Accommodation for Teachers ..	3590
3795	टूटी फूटी इमारतें	Dilapidated Buildings in Delhi	3590-3591
3796	मंत्रियों द्वारा लिये नये यात्रा भत्ते	Travelling Allowances claimed by Ministers	3591
3797	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण	I.T.I. Training — —	3591-3592
3798	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नई दिल्ली के प्रशिक्षणार्थियों को छात्र-वृत्ति	Stipend to Trainees at I.T.I., New Delhi ..	3592
3799	भारतीय गश्ती दल पर पूर्वी पाकिस्तान द्वारा गोली चलाई जाना	East Pak. Firing on Indian Patrol	3592-3593
3800	डाक के थैले से रकम गुम होना	Amount Missing from Postal Bag	3593
3801	पाकिस्तानियों द्वारा आक्या-तरबानी में गोलाबारी	Pak Firing at Akyaterbani — ..	3593-3594
3802	वार्धक्यता प्राप्त व्यक्तियों का सेवा काल बढाना	Extension to Superannuated persons ...	3594

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3803	नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड	Civil Defence and Home Guards — —	3594
3804	कार चुराने वाला गिरोह	Car Lifter Gang	3595
3805	केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में लड़कियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Girls in Central Government Services ... —	3595
3806	औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन	Amendment of Industrial Dispute Act ..	3595–3596
3807	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश में स्थानान्तरण	Transfer of C.P.W.D. Personnel in H.P. —	3596
3808	दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक	Delhi Municipal Corporation Amendment Bills	3596–3597
3809	ब्रिटिश संग्राहलय में भारतीय वस्तुएं	Indian Articles in British Museum	3597
3810	संघ राज्य क्षेत्र में अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scales of Teachers in Union Territories	3597
3811	दिल्ली के स्कूलों को सरकारी सहायता	Government Aid to Delhi Schools	3597–3598
3812	हिन्दी में तकनीकी शब्दावलि	Technical Terminology in Hindi	3598
3813	परीक्षाओं में अनुचित तरीके	Unfair Means in Examinations	3598–3599
3814	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में चपरासी	Peons in Central Government — ...	3599
3815	विश्व प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ी	Indian Sportsmen in World Contests ...	3599
3816	देश में विश्वविद्यालय	Universities in the Country	3600
3817	विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence Course in Universities ...	3600

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3818	अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन	All India whips Conference	3600–3601
3819	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली	National Physical Laboratory, New Delhi	3601
3820	मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालय	Meerut and Kanpur Universities	3601
3821	दादरा नगर हवेली से आदिवासी परिवारों की बेदखली	Eviction of Adivasi Families from Dadra Nagar Haveli	3601–3602
3822	उड़ीसा में रेल-डाक सेवा कार्यालय	R.M.S. Officers in Orissa	3602
3823	उड़ीसा के रोजगार दिलाऊ कार्यालयों में पंजीबद्ध महिला उम्मीदवार	Women Candidates in Orissa Employment Exchange	3602–3603
3824	भारत में महिलाओं के लिये पोलिटेक्निक	Polytechnics for women in India	3603–3604
3825	दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकी अध्ययन विभाग	Department of African Studies in Delhi University	3604
3826	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोग	Migrants from East Pakistan	3604–3605
3827	प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया के चेयरमैन का वक्तव्य	Statement by Chairman of Press Institute of India	3605
3828	दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकी अध्ययन विभाग के अध्यक्ष	Head of Department of African Studies, Delhi University	3605–3606
3829	फ्रीमेसानिक लाज	Freemasonic Lodges ...	3606–3607
3830	सेवा निवृत्तियां	Retirements ...	3607
3831	स्थायी श्रम समिति की बैठक	Standing Labour Committee Meeting	3607
3832	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर दोषारोपण	Charge Sheeted Delhi Administration employees	3608

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS– Contd.

3833	चुरुलिया कोयला खान	Churulia Colliery	3608
3834	उत्तर प्रदेश में डाकियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Postmen of Uttarpradesh ..	3608–3609
3835	उत्तर प्रदेश में शिक्षित लोगों की बेरोजगारी की समस्या	Unemployment problem of Educated Persons in U.P.	3609
3836	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed S.C. & S.T. Persons in U.P. ...	3609–3610
3837	उत्तर प्रदेश में अधिसूचित किये गये तथा भरे गये रिक्त स्थान	Vacancies Notified and Filled in U.P. ..	3610
3838	उत्तर प्रदेश में इंजिनियरों को रोजगार	Employment of Engineers in U.P.	3610–3611
3839	विश्वविद्यालय कालेज	Universities Colleges	3611
3840	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास	Rehabilitation in West Bengal	3611
3841	उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रशासन सेवा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को महंगाई भत्ता	Dearness Allowance to I.A.S./I.P.S. Officers in U.P.	3611–3612
3842	उड़ीसा के कालेजों तथा स्कूलों के अध्यापक	College and School Teachers of Orissa	3612
3843	डाकघरों में जमा राशि	Deposits in Post Offices	3612–3613
3844	उड़ीसा में स्कूलों के होस्टल	School Hostels in Orissa	3613
3845	उड़िया भाषा का साहित्य	Oriya Literature ..	3613
3846	उड़िया भाषा के नाटकों का संवर्धन	Promotion of Oriya Dramas	3613-3614
3847	उड़ीसा के जिला गजेटियर्स	District Gazetteers of Orissa ..	3614
3848	मोजम्बीक से स्वदेश आने वाले लोग	Migrants from Mozambique ..	3614–3615

3849	सेंट्रल हिन्दू स्कूल, बाराणसी के अध्यापक	Teachers of Central Hindu School, Varanasi	3615–3616
3850	केरल में स्कूलों के लिये स्थान	Accommodation for Schools in Kerala ..	3626
3851	सार्वजनिक टेलीफोन बूथ	Public Telephone Booths	3616
3852	केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय	Central Hindi Directorate ... —	3617
3853	केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय में समन्वय कक्ष	Coordination Cell in Central Hindi Directorate ... .. — ...	3617–3618
3854	हिन्दू त्योहारों पर छुट्टी	Holidays on Hindu Festivals	3618
3855	टेलीफोन प्रणाली	Telephone System ... —	3618
3856	देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग की फोटो विश्लेषण संस्था	Photo Interpretation Institute Survey of India, Dehra-Dun	3619
3857	ब्रिटेन के बालचर (स्काउट्स) दल द्वारा भारत का दौरा	Tour of India by a Team of Scouts from Britain — ...	3619
3858	भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, 1947 का लागू किया जाना	Enforcement of Indian Trade Union (Amendment) Act, 1947	3619–3620
3859	नई दिल्ली में शंकर मार्केट में झुग्गियों में आग लगने की घटना	Fire in Jhuggis in Shankar Market New Delhi	3620
3860	केन्द्रीय सेवाओं में राज्यों का प्रतिनिधित्व	Representation to States in Central Services	3620
3861	सेवा निवृत अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति	Re-employment of Retired Officers ..	3620-3621
3862	नेहरू संग्रहालय को अन्यत्र ले जाना	Shifting of Nehru Museum	3621
3863	व्यायामशालायें	Gymnasiums	3621
3864	ओलिम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी	Indian Sportsmen in Olympics	3621–3622

3865	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायकों की पदोन्नति में गतिरोध	Stagnation amongst Assistants in Central Government Offices	3622
3866	भारतीय खेलों तथा व्यायाम पर व्यय	Expenditure on Indian Sports and Gymnastics	3622–3623
3867	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्था, नई दिल्ली	Indian School of International Studies, New Delhi	3623
3868	सैनिक प्रशिक्षण स्कूल, नवगांव	Military Training School, Nowgong	3623
3869	मध्य प्रदेश में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा	Primary and Secondary Education in M.P.	3623–3624
3870	कलकत्ता की गोदियों में माल उतारना चढ़ाना	Cargo Handling at Calcutta Docks ...	3624
3871	राज्यपालों की नियुक्ति	Appointment of Governors	3624–3625
3872	कलकत्ता पतन श्रमिक	Calcutta Dock Labour ...	3625
3874	विदेशों में भारतीय छात्र	Indian Students abroad ...	3626
3875	टेलीफोन राजस्व	Telephone Revenue ..	3626–3627
3876	मध्य प्रदेश में सीधे डायल घुमा कर दूरस्थ स्थानों को टेलीफोन करने की सुविधायें	S.T.D. Facilities in Madhya Pradesh	3627
3877	आसाम में डाक तथा तार के कर्मचारी	P. & T. Staff in Assam	3628
3878	पुनर्वास विभाग के उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकारी	Officers at U.P. Regional Office of the Rehabilitation Department	3628
3879	उत्तर प्रदेश खण्ड में भ्रष्टाचार आदि के अनिर्णीत मामले	Vigilance cases pending in U.P. Region ..	3628

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3880	पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी बनाना	Quasi permanent status of Rehabilitation Department Employees	3629–3630
3881	भारत में टेलीफोन का निर्माण	Manufacture of Telephone in India ..	3630–3631
3882	सांस्कृतिक शिष्टमंडल	Cultural Delegation ...	
3883	आसाम में हिन्दी का प्रचार	Propagation of Hindi in Assam ..	3631–3632
3884	एक पैसे वाली डाक टिकटें	One Paise Postage Stamps	3632
3885	शिक्षा पर विचार गोष्ठी	Symposia on Education ..	3632
3886	जम्मू में प्रदर्शन	Demonstration in Jammu	3632–3633
3887	राष्ट्रीय प्रयोगशालायें	National Laboratories	3633
3888	लोक पाल/लोक आयुक्त	Lok Pal/Lok Ayukt	3633–3634
3889	झरिया कोयला क्षेत्रों में कर्मचारियों की मांगे	Demands of Workers in Jharia Coal Fields	3634
3890	मजूरी बोर्डों के पंचाट	Awards of Wage Boards	3634–3635
3891	भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement age of I.A.S./I.P.S. Officers ...	3635
3892	गोहाटी में टेलीफोन	Telephone Connections at Gauhati	3635–3636
3893	कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कावेरी नगर, मद्रास	Cauvery Spining and Weaving Mills Ltd., Cauvery Nagar (Madras)	3636
3894	बालागिर-सोनपुर टेलीफोन लाइन	Balangir-Sonepur Telephone line	3636–3637
3895	विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence courses in Universities ..	3637–3638
3897	धर्मपुरा (दिल्ली) में मकान गिरने की घटना	House collapse in Dharampura (Delhi) ...	3638
3899	हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi	3638

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3900	विदेशों में शिक्षा पाने के लिये छात्रों की विदेशी सरकारों की छात्र-वृत्तियां	Foreign Government Scholarships for Studies Abroad	3638–3639
3901	पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण	Kidnapping by Pakistanis	3639
3902	पश्चिम बंगाल सरकार की फाइलें वापिस करना	Return of West Bengal Government Files ..	3639–3640
3903	बस्तर जिले (मध्य प्रदेश) में कालेज और स्कूल	Schools and Colleges in Bastar District (M.P.)	3640
3905	हस्तिनापुर में विकास योजनाओं को त्रियान्वित करना	Implementation of Development Schemes in Hastinapur	3640–3641
3906	हिन्दी में प्रपत्र	Hindi Forms	3641
3907	केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी के उच्चतर पद	Higher Posts of Hindi in Central Secretariat	3641–3642
3908	गृह-कार्य मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Home Ministry	3642
3909	उड़ीसा के मत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जाँच करने के लिये जांच आयोग	Commission of Enquiry to Investigate the allegations against Orissa Ministers ...	3642-3643
3910	मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ	Recognised Trade Unions ...	3643
3911	अमरीकी दूतावास के सामने प्रदर्शन	Demonstration before U. S. Embassy ...	3643–3644
3912	डाक जीवन बीमा	Postal Life Insurance	3644
3913	भारतीय प्रेस संस्था के लिये सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेन्सी से धन आना	C.I.A. Money for Indian Press Institute ...	3644–3645
3914	चौथी पंचवर्षीय योजना में खोले जाने वाले डाकघर	Post Offices to be opened in the Fourth Plan	3645

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
3915	शीघ्र भेजी जाने वाली डाक वस्तुएं / Express Delivery Articles	3645-3646
3916	नरेला (दिल्ली) में कालेज / College at Narela (Delhi)	3646
3917	मद्रास में बुनियादी शिक्षा / Basic Education in Madras	3646-3647
3918	मद्य निषेध की नीति / Prohibition Policy	3647
3919	अध्यापकों को प्रोत्साहन / Incentives to Teachers	3647
3920	साक्षरता / Literacy	3647-3648
3921	पुनर्गठन के बाद राज्यों के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची / Seniority List of State Officials after Re-organisation	3648
3922	आपातकाल की स्थिति / Emergency	3648
3923	1962 से साक्षरता में वृद्धि / Increase in Literacy since 1962	3649
3924	नीरद सी. चौधरी की 'दि कान्टीनेंट आफ किर्की' / "The continent of Circe" by Nirad C. Chaudhary	3649
3926	स्कूलों में विज्ञान तथा गणित की पढ़ाई / Teaching Science and Mathematics in Schools	3649-3650
3927	अन्दमान के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता / House Rent Allowance to Andaman Employees	3650
3928	अंदमान राज्य परिवहन विभाग की फाइलें / Files of Andaman State Transport Department	3650
3929	अंदमान में डीजल के वाटर पम्पों की खरीद / Purchase of Diesel Water Pumps in Andaman	3651
3930	अंदमान में पुलिस का भोजनालय / Police Mess, Andaman	3651-3652
3931	दिल्ली में पोलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कालेज / Polytechnics and Engineering College in Delhi	3652-3653
3932	लोह अयस्क खानों का काम काज / Working of Iron ore Mines	3653
3934	राष्ट्रीय भाषा के रूप में मनीपुरी भाषा / Manipuri as National Language	3653-3654

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

एयर इंडिया के विमान चालकों द्वारा हड़ताल के बारे में	Re: Strike by Air India Pilots	..	3654
नियम 197 के अन्तर्गत वक्तव्यों पर विनिर्णय	Ruling on statement under Rule 197...	..	3654–3656
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	..	3656–3658
डा. राम मनोहर लोहिया के विरुद्ध श्री शीलभद्रयाजी के आरोप	Allegation against Dr. Ram Manohar Lohia by Shri Sheel Bhadra Yajee	..	3656
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	..	3658–3660
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	... ...	3660
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	...	3660
समिति के लिये निर्वाचन	Election to committee	..	3660
दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट	Court of the University of Delhi	.. ...	3660
एयर इंडिया के विमान चालकों द्वारा हड़ताल के बारे में (जारी)	Re: Strike by Air India Pilots (Contd.)	...	3661
अनुदानों की मांगें, (जारी)	Demands for Grants, (Contd.)		3661–3680
प्रतिरक्षा मंत्रालय (जारी)	Ministry of Defence (Contd.)	... ..	3661–3674
श्री नातिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary		3661
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	..	3663
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri		3664
श्री चितरंजन राय	Shri Chittaranjan Roy	..	3665
श्री गिरिराज शरण सिंह	Shri Girraj Saran Singh		3666
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee		3667
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	..	3667
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	...	3667
वाणिज्य मंत्रालय	Ministry of Commerce	.. ..	3674–3686
श्री म. अमरसे	Shri M. Amersey	..	3674

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री दामानी	Shri S. R. Damani ..	3678
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shrichand Goel	3680
बिहार में धर्म परिवर्तन के बारें में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion Re. conversions in Bihar	3686–3690
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	3686
श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri ...	3687
श्री बाबूराव पटेल	Shri Baburao Patel ..	3688
श्री कार्तिक ओराओं	Shri Kartik Oraon ...	3688
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	3688
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	3689
श्री जगेश्वर यादव	Shri Jageshwar Yadav ..	3689
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D. C. Sharma ...	3689
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	3689
श्री राम गोपाल शालवाले	Shri Ram Gopal Shalwale ...	3689
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ...	3689

———

लोक-सभा वाद-विवाद का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

28 जून, 1967 । 7 आषाढ़, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
3599	प्रश्न संख्या 3814 के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित अंग्रेजी रूपान्तर पढ़िये :

'Peons in Central Govt. Offices

3814 Shri Kanwar Lal Gupta :

Shri R.S. Vidyarathi

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of peons working in Central Govt. Offices at present ;

(b) whether some of them have been employed on daily wages; and

(c) if so, the number thereof and the reasons for employing them on daily wages?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course . '

3664	नीचे से पंक्ति 10 से पहले निम्नलिखित पढ़िये :

`अनुदानों की मांगें - जारी

Demands for Grants - Contd.

प्रतिरक्षा मंत्रालय - जारी '

लोक-सभा
LOK-SABHA

बुधवार, 28 जून, 1967/7 आषाढ़, 1889 (शक)
Wednesday June 28, 1967/7 *Asadha*, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मद्य-निषेध का लक्ष्य

+

*781. श्री सेझियान :
श्री रा० बरुआ :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दे० ग्रमात :
श्री ग्रदिचन :
श्री जनार्दनन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1969 तक अर्थात् महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी तक समूचे भारत में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये क्या योजना बनाई गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) मद्य-निषेध अध्ययन दल ने 30 जनवरी, 1970 महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी समारोह के पूरा

होने तक समूचे देश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया गया था। कुछ ऐसे राज्यों ने जिनमें मद्यनिषेध लागू नहीं है, इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। अन्य राज्यों ने इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है परन्तु उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि केन्द्रीय सरकार इस बात की पक्की जिम्मेदारी ले कि मद्यनिषेध लागू किये जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन राजस्व में जो कमी होगी, उसकी वह पूर्ति करेगी।

इस सम्बन्ध में उठाये गये वित्तीय तथा अन्य प्रश्न अभी विचाराधीन हैं।

श्री सेझियान : संविधान के अनुच्छेद 47 में स्पष्ट निदेश है, जो इस प्रकार है :

" राज्य विशेषतया, स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक पेयों और औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिबन्ध करने का प्रयास करेगा।"

क्या सरकार को पता है कि संविधान के इस स्पष्ट निदेश के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की ऐसी प्रवृत्ति होती जा रही है जिससे मद्यनिषेध के क्षेत्र को सीमित करने के स्थान पर, उस क्षेत्र से भी मद्यनिषेध हटाया जा रहा है, जिसमें अब तक मद्यनिषेध लागू किया जा चुका है अर्थात् मद्यनिषेध के क्षेत्र को कम करने की बजाय बढ़ाया जा रहा है और यदि हां तो संविधान में उल्लिखित निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें संविधान में उल्लिखित निदेशक तत्व की जानकारी है। परन्तु जैसा सभा को विदित है मद्यनिषेध राज्य का विषय है तथा इस बारे में निर्णय करने में राज्य सरकारें स्वतन्त्र हैं कि उनके राज्य में कब तक तथा कितने क्षेत्र में मद्यनिषेध लागू किया जाये। हम राज्य सरकारों से मद्यनिषेध लागू करने तथा अध्ययन दल की सिफारिशों को स्वीकार करने का अनुरोध करते रहे हैं। परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है यह सब विभिन्न राज्यों के प्रशासनों पर निर्भर है।

श्री सेझियान : राज्य सरकारों को मद्यनिषेध लागू करने के लिये सहमत करने का केवल एक ही उपाय है कि उन्हें वित्तीय सहायता दी जाये जिसकी उन्हें आवश्यकता है, क्योंकि मद्यनिषेध लागू करने के परिणामस्वरूप न केवल राजस्व में कमी आयेगी बल्कि इसे क्रियान्वित करने के लिये पुलिस के रखरखाव पर होने वाले खर्च में वृद्धि होगी। माननीय मंत्री का कथन है कि मद्यनिषेध राज्य का विषय है परन्तु इसके बारे में संविधान में उपबन्ध किया गया है, जिसका केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को आदर करना चाहिये। अतः मैं जानना चाहता हूं कि समूचे देश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने तथा इसके लिये आवश्यक अनुकूल वातावरण बनाने के लिये गत 17 वर्षों से, जब से संविधान लागू किया गया है सरकार क्या करती रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं कह चुका हूं कि यह राज्य का विषय है। राज्य सरकारों को सहमत कराने का प्रयत्न करने के सिवाय, हम कुछ और अधिक नहीं कर सकते।

जहां तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है, सभा को ज्ञात है कि समय-समय पर विभिन्न प्रस्ताव किये गये हैं। एक समय यह प्रस्ताव किया गया था कि मद्यनिषेध की आधी लागत की पूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी परन्तु राज्य सरकारों ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। वे शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति चाहती हैं। वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह सम्भव नहीं है तथा अपने संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकारों को इस मामले में अब स्वयं निर्णय करना है।

श्री रा० बरुआ : संवैधानिक उपबन्ध के होते हुए भी देश में जनता की राय मद्यनिषेध के विरुद्ध होती जा रही है। इस बात को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि मद्यनिषेध के पक्ष में जनमत तैयार करने तथा विभिन्न मंत्रालयों की राय जानने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद् का गठन किया गया है तथा उसके मतानुसार मद्यनिषेध के लाभों को प्रचार करने के लिये हम कुछ उपाय कर रहे हैं। मद्यनिषेध के लाभों का प्रचार करने के लिये कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं को भी सहायता दी गई है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मद्यनिषेध जहां कहीं भी लागू किया गया है, वहीं इससे लोगों में शराब पीने की प्रेरणा अधिक तीव्र हुई है। यह एक ऐसा तमाशा है जिसमें कभी-कभी मद्यनिषेध का प्रचार करने वाले भी, मद्य-पान कर जाते हैं। इससे पहले ही हमें राजस्व की बहुत बड़ी राशि की हानि हुई है। यदि समूचे देश में मद्यनिषेध लागू किया गया तो हानि की राशि बहुत बढ़ जायेगी।

इस बात को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों के परामर्श से सरकार इस समूची समस्या के बारे में अब यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनायेगी तथा समूचे देश से मद्यनिषेध को समाप्त करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस सम्बन्ध में हम बहुत यथार्थवादी हैं।

श्री वासुदेवन नायर : कई बार हमें इस सभा में बताया गया है कि लगभग सब राज्य सरकारों ने केन्द्र से यह प्रार्थना की है कि या तो उन्हें मद्यनिषेध को अधिक उदार बनाने की अथवा इसे समाप्त करने की अनुमति दी जाये या उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाये और यह भी बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार इस समूचे प्रश्न पर विचार कर रही है। आम चुनाव के बाद, चाहे किसी राज्य में कांग्रेस सरकार है अथवा गैर-कांग्रेस सरकार समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुए हैं कि बहुत सी राज्य सरकारें मद्यनिषेध के उपबन्धों को ढ़ीला करने का विचार कर रही हैं। कम से कम एक राज्य-केरल ऐसा है जिसमें मद्यनिषेध के तमाशे को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। क्या केन्द्र सरकार अन्य राज्य सरकारों को भी केरल के उदाहरण का अनुसरण करने की सलाह अथवा अनुमति देगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस बारे में केन्द्र द्वारा अनुमति देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि राज्य प्रशासन कोई कार्यवाही करना चाहते हैं, तो इस मामले में वे अपनी ऐच्छिक कार्यवाही करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं।

श्री प्रविचन : { मलयालम में बोले / Spoke in Malayalam }

श्री वासुदेवन नायर : इसका में अनुवाद कर देता हूं । यह सर्व विदित है खेतिहर मजूरों को दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद टोडी अथवा इसी प्रकार की देसी शराब पीने से थकान को दूर करने में सहायता मिलती है । परन्तु मद्यनिषेध के कारण सब प्रकार के जहरीले पेयों अथवा अवैध शराब का उपभोग किया जा रहा है । क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है तथा वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ताकि गरीब लोगों को पीने के लिये टोडी अथवा अन्य देसी शराब के रूप में असली शराब मिल सके ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन मामलों पर विचार करना राज्य प्रशासनों का काम है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री तीन बार यह उत्तर दे चुके हैं कि यह राज्य का विषय है । यदि यही उत्तर देना था तो इस प्रश्न को कार्य सूची में रखा ही क्यों गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह पूछा गया था कि मद्यनिषेध लागू करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को होने वाली हानि को निष्प्रभावी करने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता देगी । उन्होंने आरम्भ में ही बताया है कि केन्द्र 50 प्रतिशत सहायता देने को तैयार था, परन्तु राज्य शत-प्रतिशत सहायता मांगते थे । इसके बाद माननीय सदस्यों द्वारा कुछ अन्य प्रश्न पूछे जा रहे हैं । मैं इस बारे में, मैं क्या कर सकता हूं । इस प्रश्न पर 10 मिनट का समय लग चुका है, तथापि मैं सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं, हालांकि मैं जानता हूं कि उत्तर यही होगा कि यह राज्य का विषय है ।

श्री प्र० र० ठाकुर : पश्चिम बंगाल में सप्ताह में एक दिन जो मद्यनिषेध लागू था, पश्चिम बंगाल सरकार ने उसे समाप्त कर दिया है । मैं जानना चाहता कि क्या इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से कोई सलाह ली थी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक मेरी जानकारी है इस मामले में हमारी कोई सलाह नहीं ली गई ।

श्री सेझियान : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य मद्यनिषेध लागू करने का प्रयत्न करेगा । राज्य की नीति के निदेशक तत्व सम्बन्धी भाग का प्रथम अनुच्छेद 36 इस प्रकार है :

"यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" का वही अर्थ है, जो इस संविधान के भाग 3 में है"

भाग 3 के अन्तर्गत राज्य की परिभाषा इस प्रकार है :

"यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद् तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधान मंडल, तथा भारत

राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, भी हैं।"

अतः मद्यनिषेध को लागू करने तथा अन्य सब निदेशक तत्वों की नीति को कार्य रूप देने की केन्द्रीय सरकार, संसद् तथा राज्य विधान मंडलों की समान जिम्मेदारी है। इसलिये इस प्रश्न का उत्तर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ।

श्री सेझियान : आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक संवैधानिक प्रश्न है। प्रश्न काल में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री हेम बरुआ : मद्यनिषेध को जनता द्वारा कोई महत्व नहीं दिया गया है। इस प्रश्न को तो केवल डा० टेकचन्द तथा श्री मोरारजी देसाई द्वारा महत्व दिया गया है। चाहे यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो अथवा नहीं, अधिकतर राज्य सरकारें सक्रिय रूप से मद्यनिषेध का विरोध कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के विरोध के होते हुए भी क्या केन्द्रीय सरकार मद्यनिषेध लागू करने का यह दिखावटी नाटक खेलने में सफल होगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मद्यनिषेध दिखावटी नाटक नहीं है। यह संविधान में उल्लिखित निदेशक तत्वों में से एक है।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब वह इस बात से सहमत है कि यह संविधान में लिखित एक निदेशक तत्व है, तो यह क्यों कहते हैं कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक इसे क्रियान्वित करने का प्रश्न है, वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

Shrimati Jayaben Shah : Prohibition is one of the principles enshrined in the directive principles of our Constitution and as such Central Government is also equally responsible for its implementation. So it is imperative on the part of the Government to implement it whether we have financial resources or not. If it is not done, I fail to understand how it will be possible to uphold our constitution. I want to know the policy of Government in this regard.

Shri Vidya Charan Shukla : As and when the State Governments had endeavoured to implement it, they were confronted with financial difficulties. Had there been no financial difficulty. This would have been implemented in some other way, but many State Governments had expressed their inability to implement it due to financial difficulties.

श्री स्वैल : वैयक्तिक अथवा राष्ट्रीय सिद्धान्त के रूप में मद्यनिषेध के चाहे जितने लाभ हों, परन्तु यह पूर्णतया असफल रहा है, क्योंकि न केवल इसे लागू ही नहीं किया जा सका है,

बल्कि इसके कारण बहुत सी सामाजिक बुराइयां, जैसे अवैध रूप से शराब निकालना, समाज के नैतिक जीवन को भ्रष्ट करना, शराब का तस्कर व्यापार तथा शराब निकालने में जन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाली जहरीली वस्तुओं का मिलाया जाना इत्यादि, पैदा हो गई है। यदि ये बातें सच हैं तो क्या सरकार का विचार एक विशेष तिथि तक देश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के पहले भाग में जो कुछ कहा है, वह अपनी-अपनी राय का मामला है। जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं कह चुका हूं कि अध्ययन दल की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

Money Given by Foreign Countries to Social and Cultural Organisations in India

+

*782. **Shri Kanwar Lal Gupta** :
Shri R. S. Vidyarthi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some foreign Governments give money in different forms to social and cultural organisations and some individuals in India;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have conducted any enquiry into the matter; and

(d) if so, the result thereof ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच विभाग को हाल के चुनावों तथा अन्य प्रयोजनों में विदेशी धन के उपयोग के मामले की जांच करने का आदेश दिया गया था। हाल ही में केन्द्रीय जांच विभाग से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसकी ध्यान-पूर्वक जांच की जा रही है। सरकार को उस प्रतिवेदन के बारे में अपने निष्कर्ष निकालने तथा यह निर्णय करने में कि इस सम्बन्ध में कोई अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित है या नहीं कुछ समय लगेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रश्न चुनावों में विदेशी धन के उपयोग के बारे में नहीं है। यह प्रश्न तो विदेशी सरकारों द्वारा विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनों एवं व्यक्तियों को धन दिये जाने के बारे में है। किसी भी हालत में इस प्रश्न को पी० एल० 480 निधि से आम चुनाव में खर्च किये गये धन के संबंध में विशेष सूचना प्राप्त करने वाला दूसरा प्रश्न नहीं कहा जा सकता। इसका क्षेत्र अधिक व्यापक है तथा तदनुसार इसका उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री ने जो उत्तर दिया है वह तो प्रश्न संख्या 801 का उत्तर है। कृपया आप प्रश्न संख्या 801 देखिये। प्रश्न संख्या 801 में एक विशेष प्रश्न है जो आम चुनाव के दौरान पी० एल० 480 निधि

के धन के खर्च किये जाने के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में पूछा गया है। माननीय मन्त्री इस प्रश्न को ठीक नहीं समझ सके हैं। यदि आप की आज्ञा हो, तो हम दोनों प्रश्नों को मिल कर प्रश्न पूछें।

Shri Kanwar Lal Gupta : When this question was raised at an earlier occasion, it was observed by most of the hon. Members that the C. B. I, report is not so reliable. So may I know whether Government will consider a proposal to constitute a Commission having powers to take evidence and call for full information in this matter so that full facts may be made known, otherwise it will not be possible to have full facts only on the basis of C. B. I. Report ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब हम सभा में इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी तो मैंने यह संकेत दिया था कि जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों का अध्ययन करने के बाद इस बात पर विचार किया जायेगा कि क्या इस मामले में आयोग द्वारा आगे जांच करना आवश्यक है। परन्तु इससे पहले इस बारे में कोई राय देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Leaving aside the aspect as to what has been happening during general elections. I want to know the steps Government are contemplating to take in order to ensure that our social, political and economic life is not polluted by foreign money. Whether it flows from Russia or America or any other country and that no party or individual is indulged in such activities ? Does Government propose to bring forward any legislation or any other steps are being considered to be taken to check this flow of foreign money ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं तथा इस सभा में चर्चा उठाने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य ही यह था कि हमारे राष्ट्रीय जीवन को इन खतरों से बचाया जाये। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से पूर्व हमें यह सुनिश्चित करना होगा, कि असल में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसके बाद ही हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिये। उचित अध्ययन किये बिना केवल राय के आधार पर कोई कार्यवाही करना तो स्वयं अपने राष्ट्रीय जीवन में संदेह को फैलाना होगा। इस प्रतिवेदन का उचित अध्ययन जरुरी है और इस अध्ययन के बाद, मैं इस सभा में जरुर बताऊंगा कि उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या मन्त्री जी को पता है कि (क) रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ चाइना को काम नहीं करने दिया क्योंकि रिजर्व बैंक के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह मालूम हो गया था कि राजनैतिक पार्टियां अपने चुनाव आन्दोलन तथा पार्टी से सम्बन्धित अन्य कार्य के लिये इस बैंक से धन ले रही है और (ख) यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं कि राजनैतिक दलों को किसी अन्य बहाने ऐसे प्रयोजनों के लिये विदेशी धन उपलब्ध न कराया जाये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

Shri Kameshwar Singh : May I know whether it is a fact that the Asia Foundation Law Institute gets money through Shri .V K. Krishnna Menon, and the world Congress o. Cultural Federation gets money from C. I. A., and the All India Trade Union Congress

receive money through the World Federation of Trade ; and whether the hon. Minister is aware that during the last general elections, there were as many as 129 candidates of Russia in field who contested these elections if not, I am prepared to lay the requisite information on the Table of the House because no foreign money can be allowed to play its motivated role in our political life ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करूंगा, यदि वे हर मामले में इन आरोपों अथवा तथ्यों का जिनके बारे में वे यह समझते हैं कि उनके पास जानकारी है और जो कुछ समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित किये जाते हैं उल्लेख देते जायें, तो उनका अन्त नहीं होगा । इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है और इन सब बातों पर उसमें विचार किया जायगा । प्रश्न केवल चुनावों में विदेशी धन के उपयोग का ही नहीं अपितु हमारे राजनैतिक जीवन में विदेशी धन के 'जनरल रोल' का भी है । यह मामला भी जांच समिति का विषय वस्तु है । जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित विशेष मामले का सम्बन्ध है, केवल यही उत्तर दे सकता हूँ कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । इस सम्बन्ध में सभा से मेरा अनुरोध यह है कि इस बारे में व्यक्तिगत उदाहरणों का उल्लेख करने के बजाये, हमें जांच के पूरी होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार के पास उन विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, युवक तथा अन्य निकायों की पूरी सूची है जिन्हें विदेशी स्रोतों से धन मिल रहा है और यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार उन लोगों की सूची नहीं रखती जिन्हें धन मिलता है, हम इस प्रश्न के एक विशेष पहलू पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या किन्हीं संगठनों की अनधिकृत रूप में कोई विदेशी धन मिल रहा है, इसका उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि हम इस प्रतिवेदन का अध्यन न करें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे यह जानकर खुशी है कि मन्त्री महोदय इस प्रश्न की व्यापक रूप से जांच कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस जांच को कारगर बनाने के लिये विशेष शिकायतों अथवा खास-खास आरोपों के बारे में जनता अथवा इस सभा के सदस्यों को बुलाकर उनसे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में उनका (मन्त्री) विचार क्या प्रक्रिया अपनाने का है । साक्ष्य अथवा तथ्यों के बिना यह जांच कैसे पूरी होगी ? हम इस मामले में सहयोग देने के पूरे इच्छुक हैं और हम उन्हें (मन्त्री को) पर्याप्त प्रमाण दे सकते हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं की गई इस जांच की कुछ पृष्ठभूमि देना चाहूँगा । समाचारपत्रों में कुछ आलोचनाएं आयी थीं, इस सभा में तथा बाहर जनता में भी ऐसी आवाज गई थी कि हमारे राजनैतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में विदेशी धन ने अपना असर दिखाया है । आम चुनावों के बाद यह प्रश्न और भी अधिक चर्चा का विषय बन गया क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ऐसी भावना जम गई थी कि पिछले आम चुनावों में काफी मात्रा में विदेशी धन खर्च किया गया है । इस कारण यह प्रश्न उठाया गया था । किन्तु बस जांच का विषय केवल नहीं नहीं था कि आम चुनावों में धन प्रयोग किस तरह

हुआ है। इस जाच में अन्य पहलुओं पर भी निश्चित रूप से विचार किया गया था अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं नहीं कह सकता कि हमें उस किस्म की जांच करनी पड़ेगी अथवा नहीं, जिसमें सदस्यों आदि से आरोपों तथा शिकायतों के बारे में जानकारी देने के लिये कहा जायेगा। संभवतः अध्ययन पूरा होने पर ही हम इस बारे में निर्णय ले सकेंगे। सभा जिन निष्कर्षों पर पहुंची है, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ।

Shri Madhu Limaye : How we can draw a conclusions before we are supplied with the requisite information ? Shri Indrajit Gupta is stating that he (the Minister) is not prepared to give us information.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वे निष्कर्ष सरकार के तो नहीं होंगे, लेकिन इस प्रतिवेदन से युक्तिसंगत रूप से निकाले जा सकते हैं। फिर हम इस पर यहां निश्चित रूप से विचार विमर्श कर सकते हैं और संसद, जो कि सर्वोच्च निकाय है, यदि कोई खास कार्यवाही करने का संकेत दे तो सरकार उसे क्रियान्वित करेगी। (व्यवधान) सरकार ने अभी तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध 'चार्ज शीट' अथवा आरोप नहीं लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी केवल उसी का उत्तर दें जो कि उनसे पूछा गया है अन्यथा उसका कोई अन्त नहीं होगा।

श्री क० नारायण राव : मैं उन अनेक शिक्षा संस्थाओं से समबद्ध रहा हूँ जिन्हें विदेशी धन मिल रहा है, मैं महसूस करता हूँ कि मुझे निश्चित रूप से इस बात की जानकारी है कि कम से कम वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए, क्या जांच का कार्य क्षेत्र इस बात को मालूम करने तक ही सीमित रखा जायेगा कि किन संस्थाओं को विदेशी स्रोतों से धन मिल रहा है अथवा किसी विशेष मामले के गुणावगुणों पर भी विचार किया जायेगा---इस माने में कि वास्तव में जो यह विदेशी धन मिल रहा है, उससे अनुसन्धान के स्तर पर अथवा देश में हो रहे अन्य शिक्षा विकास पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री यशन्वतराव चव्हाण : यह इस प्रश्न का वही पहलू है जिसका उत्तर में पहले दे चुका हूं।

श्री बलराज मधोक : भारत के राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन में विदेशी धन अपना प्रभाव क्यों जमा रहा है इसका एक कारण यह है कि कुछ बाहरी देशों के पास भारतीय धन की काफी राशि जमा है क्योंकि हम उनको भारतीय रुपये में भुगतान करते चले आ रहे, हैं क्या विदेशी दूतावासों विदेशी शक्तियों अथवा बाहरी देशों के हाथों में भारतीय धन जमा नहीं होने दिया जायेगा और इस प्रयोजन के हेतु उस माल के लिये जो हम लेते हैं, भुगतान रुपयों में नहीं किया जायेगा ? यदि ऐसा नहीं किया गया ऐसी चीजों का कोई अन्त नहीं हो सकता। विदेशियों के पास भारतीय धन जमा न होने देने के लिए सरकार क्या कर रही है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : फिर एक ऐसा प्रश्न उठाया गया है जिसके साथ कुछ आर्थिक नीतियों तथा अन्य मामलों पर विचार करना जरुरी है। उदाहरणार्थ पी० ए० 480

का प्रश्न इससे जुड़ा है । मैं तुरन्त यह नहीं कह सकता कि हम ऐसा करना बन्द कर देंगे । हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि क्या विदेशी धन अथवा पी० एल० 480 निधि का राजनैतिक प्रयोजनों के लिये दुरुपयोग तो नहीं किया गया था । इस बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले हमें यथार्थ जानकारी प्राप्त करनी होगी अन्यथा हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते ।

Shri Valmiki Choudhary : Sir, answers to all the Supplementaries relating to foreign money's general role in the Indian political life have been given in such a dramatic way that indicate that the hon. Minister is either concealing the facts or his information agency is week. May I know whether he has gone in to the root of the enquiry ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले की भी और आगे जांच-पड़ताल की जायेगी, मैं इस समय इस बारे में कुछ नहीं कर सकता ।

Shri Shiv Chandra Jha : May I know whether the hon. Minister is aware that the Indian Press Institute gets money from C. I. A. and "The Quest" a newspaper also receives money from some foreign source ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं समझता हूँ कि मैंने इस प्रश्न का जवाब दे दिया है ।

श्री श्रद्धाकर सुपकार : यह जांच इस समय किस अवस्था में है और विदेशों से प्राप्त इस धन के गहन परिणामों को दृष्टि में रखते हुए क्या इस समस्या के परिणामों की जांच करने के लिए सरकार का विचार एक संसदीय अथवा संविधिक समिति नियुक्त करने का है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं, इस समय ऐसी कोई बात करने का विचार नहीं है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री इस प्रकार की एक जांच कराना उचित नहीं समझ रहे हैं जो कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के तरीके से भिन्न किस्म की हो और क्या वह इस प्रकार की जांच को वरीयता नहीं देंगे जिसका उल्लेख श्री इन्द्रजीत गुप्त ने किया है, ऐसी जांच जिसमें इस समय सभी किस्म के संगठन तथा व्यक्ति सरकार को सहायता दे सकते थे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूँ इसका अध्ययन पूरा हो जाने पर इस दृष्टिकोण पर भी विचार करना जरूरी होगा । यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विचार है ।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हो गये....

अध्यक्ष महोदय : इस पर हम 20 मिनट खर्च कर चुके हैं, क्या अब मैं अगला प्रश्न ले सकता हूँ ? चाहे मैं और सदस्यों को भी मौका देना चाहूँ तो भी मैं ज्यादा से ज्यादा दो अथवा तीन से अधिक सदस्यों को अवसर नहीं दे सकता; उन सब सदस्यों को नहीं जो खड़े हो रहे हैं, दूसरी बात यह, कि सी० आई० ए० फन्ड्स तथा चुनावों आदि में विदेशी धन पर हम विचार-विमर्श कर चुके हैं, अलबत्ता, यदि माननीय सदस्य गण शेष 20 मिनट भी इसी प्रश्न पर खर्च करना चाहें, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उमानाथ : ऐसा मालूम होने के बाद कि एशिया फाउन्डेशन सी० आई० ए० की ही एक शाखा है, देश में कई संगठनों ने इससे धन लेना बन्द कर दिया है। क्या विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग को अब भी इस संगठन से धन मिल रहा है ? गृह–कार्य मंत्री कह रहे थे कि यह मामला अभी विचाराधीन है। मैं एक खास प्रश्न पूछ रहा हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय सीनेट में हाल में एक सीनेट सदस्य द्वारा रखा गया यह संकल्प कि एशिया फाउन्डेशन से अनुदान लेना बन्द किया जाये, स्वीकार नहीं किया गया था जिसका मतलब है राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट ने एशिया फाउन्डेशन से धन लेना जारी रखने का निश्चय किया है। मैं गृह–कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है और यदि हां, तो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एशिया फाउन्डेशन से प्राप्त अनुदानों को बन्द करने के लिये गृह-कार्य मंत्री ने क्या कार्यवाही की है,

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पहले तो मुझे तथ्यों की ज़ानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, वास्तविकता तो यह है कि मुझे यह मालूम नहीं है कि यह जो धन मिल रहा है वह आपत्ति-पूर्ण धन है अथवा नियमित धन है। जब तक मुझे तथ्यों की जानकारी न हो जाये, मैं कुछ भी नहीं कह सकता।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार द्वारा की जा रही इस जांच के कार्य क्षेत्र में वे सभी संगठन तथा व्यक्ति आजायेंगे जो विदेशों से खुले आम अथवा गुप्त रूप से धन प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस समय भी यह अपील करने के लिये तैयार हूँ कि कोई भी संस्था, चाहे वह राजनैतिक हो अथवा आर्थिक इस किस्म की गतिविधि के लिए कोई विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकती।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान 27 जून को 'पैट्रिअ' समाचारपत्र में "Take over of student organisation. Big Busines houses fill gap left by CIA" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है :–

"Following the public disclosure of its links with C. I. A, financed foundation, the NCUSA".....

अर्थात् राष्ट्रीय भारतीय विश्वविद्यालय छात्र परिषद्, भारत युवक समाज को, जो कि वास्तव में भारत सेवक समाज का युवक स्कन्ध है, बड़े व्यापार गृहों से 50,000 रुपये मिले हैं और उसने एक गोष्ठी आयोजित की थी जो पिलानी में हुई थी। यह सी० आई० ए० का धन है। क्या वह इस कार्य के बारे में जांच करेंगे क्योंकि इसका मतलब यह है कि बड़े–बड़े व्यापारगृहों ने, जिन्हें सी० आई० ए० से वित्त के रूप में सहायता मिलती है, छात्र संगठन अपने कब्जे में कर लिये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : दुर्भाग्यवश, 'पैट्रियट' में प्रकाशित यह समाचार में नहीं देख सका। मैं इस बारे में जांच करूंगा।

श्री म० ला० सौंधी : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि देश में व्यापक रूप से यह भावना व्याप्त है कि कुछ लोग विदेशी एजेन्टों के रूप में काम कर रहे हैं तथा मंत्री महोदय एक ऐसा विधान पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे जिसके अन्तर्गत विदेशी एजेंटों के रूप में काम करने वाले भारतीय राष्ट्रजनों का रजिस्ट्रेशन हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Statement of Receipts and Expenditure by Political Parties

+

*783. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Britain every political party is required to submit a statement of its receipts and expenditure;

(b) whether any action has been taken by Government to make it obligatory for the political parties in India to declare their receipts and expenditure; and

(c) if not, the reasons therefor ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) जहां तक हमें पता है संयुक्तांगल राज्य में राजनैतिक दलों को कानूनी तौर पर अपनी आय तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत नहीं करना पड़ता ।

(ख) और (ग) संथानम समिति ने यह सिफारिश की थी कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी आय तथा व्यय का ठीक-ठीक हिसाब रखना चाहिये और ऐसे हिसाब का वार्षिक परीक्षित विवरण प्रकाशित करना चाहिए जिसमें सभी प्राप्तियों का अलग-अलग ब्यौरा होना चाहिए और यह कि ऐसा करने में असफलता किसी राजनीतिक दल को निर्वाचन-आयोग, डाक अधिकारियों तथा बैंकों द्वारा मान्यता से वंचित करा देगी । इस सिफारिश की निर्वाचन आयोग के परामर्श से जांच की जा रही है ।

Shri Jagannath Rao Joshi : In this House, the hon. Minister has several times reminded us of the recommendations of the Santhanam Committee. We have had just now a discussion on foreign money. I want to know the number of richmen who spent huge amounts through political parties on their candidates during the last general elections while this practice runs contrary to the spirit of the constitution which provides for equal rights and opportunities to each individual. The fundamental principle of Democracy.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूँ मैंने उत्तर दे दिया है कि इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Jagannath Rao Joshi : All right, if it is under consideration, let me put another question. I want to know whether there is any proposal to reserve some seats in the Legislatives as is done in the case of the people belonging to Backward Classes, for persons of h gh calibre and qualities in the society whose financial resources do not allow them to come forward and glitter.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार विधान मंडलों के लिये चुने जाने की गारन्टी नहीं देती है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : धन प्राप्त कर रही राजनैतिक दलों के अतिरिक्त, क्या किसी व्यक्ति विशेष की चाहे वह किसी पार्टी का हो, उस धन प्राप्ति पर जो कि उसे व्यापार गृहों से होती है, चाहे वह नगदी के रूप में हो अथवा चैक के रूप में, और जिसके सहारे वह राज्यों में विधान मंडलों अथवा संसद के लिये चुनाव लड़ता है, प्रतिबन्ध लगाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इन मामलों में, यह बात, अन्ततोगत्वा, निर्वाचन कानून पर निर्भर करेगी । यदि हम निर्वाचन कानून में कुछ हेर-फेर करना चाहें तो हमें निर्वाचन आयोग से परामर्श करना पड़ेगा । एक बात की जरूर गारन्टी है वह है अधिकतम खर्च की और ऐसा कानूनी तौर पर किया जा सकता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं । इस देश में राजनैतिक दलों द्वारा धन का लिया जाना न तो गैर-कानूनी है और न ही अनैतिक । हमने यह स्वीकार किया है कि सभी राजनैतिक दल धन ग्रहण कर सकते हैं और आय-कर के अपने ब्यौरे में उन्हे इस धन का हिसाब-किताब देना पड़ता है । किन्तु देश में यह भावना बढ़ रही है कि भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों के लोगों को व्यक्तिगत रूप में नगद अथवा चैक के रूप में धन मिलता है । जब तक इस दुरुपयोग को रोका नहीं जाता, तब तक लोग इस प्रकार का कीचड़ उछालते रहेंगे । मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को इसका पता है और यदि हां, तो क्या वह इस व्यक्तिगत-प्राप्ति पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक सुझाव है जिस पर जांच करने की जरूरत है ।

श्री हेम बरुआ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछने से पहले आप से एक निवेदन करना चाहता हूं । हम इतनी देर से अनुपूरक प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर के कोई भी सदस्य प्रश्न पूछना नहीं चाहते, और आप उनसे जबर्दस्ती प्रश्न पूछवाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा वे कहेंगे कि सब प्रश्न इस ओर से पूछे गये और उन्हें अवसर नहीं दिया गया । (अन्तर्वाधाएं) ।

श्री हेम बरुआ : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि विदेशी स्रोतों, मुनाफाखोरों, अथवा चोर बाजारी करने वाले लोगों से भारत में किस राजनैतिक दल ने धन नहीं लिया ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मै नहीं बता सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्य बार-बार प्रश्न कर रहे हैं । माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि यदि बार-बार वही सदस्य प्रश्न करेंगे तो अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलेगा । अन्य सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए ।

श्री हेम बरुआ : जो सदस्य प्रश्न पूछना चाहते है वे सतर्क रहते हैं...(अन्तर्बाधाएं)।

अध्यक्ष महोदय : मान लीजिये 30 सदस्य सतर्क है और यदि मैं 30 ही सदस्यों को बुलाऊं तो अन्य सदस्यों को अवसर मिलेगा ही नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां विभिन्न राजनीतिक दलों को धन देती हैं। मुझे ज्ञात है कि कुछ अंशधारी इस पर आपत्ति करते हैं। क्या अंशधारियों की आपत्ति के बावजूद भी राजनीतिक दलों को यह धन दिया जाना चाहिये या क्या इस प्रकार धन दिये जाने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाने के लिये निर्वाचन कानून में संशोधन किया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इसके बारे न तो वक्तव्य ही दे सकता हूं और न ही कुछ कर सकता हूं। यह अंशधारियों और उनकी कम्पनियों का प्रश्न है। यदि ये कम्पनियां इस प्रकार के अवैधानिक या अनधिकृत कार्य करते हैं, तो अंशधारी को मामले को न्यायालय में ले जा सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Political parties are not required to get themselves like Cooperative Societies or Companies. That is why they do not furnish their statement of accounts. Will the hon. Minister propose to make it compulsory for every political party to get it self registered under the Societies Law so that they will have to produce their accounts etc. before the public,

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस सम्बन्ध में अपनी राय नहीं दे सकता हूं। मैं समझता हूं कि इस देश में ऐसा करना मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध होगा।

Shri Madhu Limaye : I have said they should get themselves registered. I do not want that they should be banned. They will fully enjoy the fundamental rights.

Shri Y. B. Chavan : We will examine the matter.

श्री प्र० कु० घोष : क्या सरकार राजनैतिक दलों द्वारा व्यापार गृह से धन लेने पर, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है, प्रतिबन्ध लगाने के लिये कानून बनाने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं भी नहीं समझ सका कि उन्होंने क्या कहा।

Shri Sarjoo Pandey : May I know which party received the biggest amount of money.

Shri Madhu Limaye : Which else than the Congress Party ?

Shri Y. B. Chavan : I have no information.

अध्यक्ष महोदय : यह स्वीकृत तथ्य है। प्रत्येक दल अपने आकार के अनुसार पैसा लेता है। इसमें प्रश्न पूछने की क्या बात है ?

Shri Kanwar Lal Gupta : Even then the Home Minister is denying it.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि यह सभी जानते हैं कि प्रत्येक दल का कुछ न कुछ सम्बन्ध रहता है।

श्री प० गोपालन : क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत में बड़े व्यापार समूह का स्वतंत्र पार्टी सहायता कन्सोर्शियम है जिसने गत चुनावों में स्वतंत्र पार्टी को लगभग 125 लाख रुपये दिये हैं। यह भी कहा गया है कि सीमेन्ट पर से नियन्त्रण हटाये जाने के बाद सीमेंट कम्पनियों ने 25 पैसे प्रति टन सीमेंट के उत्पादन के हिसाब से लगभग 25 लाख रुपये जमा करके स्वतंत्र पार्टी कोष में दिये हैं ? क्या इस आरोप की जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम दलों राजनैतिक को देश के अन्तर से मिलने वाले धन के बारे में जांच नहीं करा सकते हैं। यह प्रश्न स्वतन्त्र पार्टी के नेता से पूछा जाना चाहिये कि उनके दल को धन मिला है अथवा नहीं।

श्री कार्तिक ओराओं : क्या मंत्री महोदय को किसी राजनैतिक दल ने यह शिकायत की है कि उसे किसी वाणिजिक अथवा व्यापार संस्थान से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं।

कलिंग एयरवेज़ के साथ करार

\+

*785. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री स्वैल :
श्री रा० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री काशी नाथ पांडे :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री गाडिलिगन गौड :
श्री देवकी नन्दन पाटौदिया :
श्री बलराज मधोक :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श० ना० माइती -
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री देवेन सेन :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री सिद्धय्या :
श्री विमल कांति घोष :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री रवि राय :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेफा में विमान से आवश्यक वस्तुएं गिराने के लिये कलिंग एयरवेज को दिये गये ठेके की अवधि को न बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में जब तक नई कम्पनी नहीं बनाई जाती तब तक के लिये भारतीय वायु सेना यह काम करेगी;

(ग) क्या कलिंग एयरवेज के उन कर्मचारियों ने जिनकी छंटनी होने की संभावना है, कोई ऐसा ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि उन्हें प्रस्तावित निगम में नौकरी दी जाने तक गैर-लड़ाकू कर्मचारियों के रूप में भारतीय वायु सेना में नियुक्त किया जाये;

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) क्या कलिंग एयरवेज द्वारा धोखा दिये जाने के कारण उस पर कोई जुर्माना करने का और उस जुर्माने के बदले में उसकी आस्तियों को अपने कब्जे में लेने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, सरकार ने नेफा में विमान से सामान गिराने के लिये कलिंग एयरवेज को दिये गये ठेके की अवधि 30 जून, 1967 से अर्थात् वर्तन ठेके की अवधि की तिथि समाप्त होने के, के दिन, आगे न बढ़ाने का निश्चय किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) अन्ततः यह इस बात पर स्थापित की जाने वाली सरकारी एजेन्सी विचार करेगी कि वर्तमान कलिंग एयरलाइन्स के कितने कर्मचारी, यदि लिये जाने हों, लिये जा सकेंगे। इन कर्मचारियों को भारतीय वायु सेना में नौकरी पर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) लोक लेखा समिति को इस बात का पता चला है कि ठेके की क्रियान्विति में अनियमिताएं, अधिक भुगतान आदि मामले हुए हैं। इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि इन मामलों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये। यह समिति नियुक्त की गई थी किन्तु अभी तक उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

Shri Madhu Limaye : The Public Accounts Committee have pointed out that an amount of nearly one crores rupees has been given to the Kalinga Airways wihout any purpose, May I know, why the Government are not attaching the property of this Airways ?

Shri Vidya Charan Shukla : We cannot straighty attack any property under any law. First we will have arbitration proceedings; after it if it is feared that the company is selling the property under question, we may move in that direction and file a case in the court of law. We have already sought the legal advise in this matter. So far as the arbitration is concerned the question of appointment of a judge is under our consideration. We hope the appointment of the judge will made soon and the arbitration proceedings will be started.

Shri Madhu Limaye : An assurance was given in both the Houses that the information about the income tax liabilities of the firm of Shri Biju Patnaiak and of his own would be given to both the House before the General Election in any case, but no information has been given so far. May know what are its reasons ? Why the Government have not fulfilled their promise ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have no information about the income tax.

Shri Madhu Limaye : Why the Governed have not fulfilled their promise ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये पृथक प्रश्न पूछा जा सकता है। मंत्री महोदय इस समय इसका उत्तर देने के बाध्य नहीं है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : राज्य सभा में मैं इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर दे चुका हूँ। यदि माननीय सदस्य यहां प्रश्न पूछें, तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा।

Shri Madhu Limaye : This question arises out of the main question. Had the information about income tax liabilities been given, the property could have been attached. I want reply from the Finance Minister.

अध्यक्ष महोदय : आय कर के बारे में गृह मंत्री को जानकारी कैसे हो सकती है ?

Shri Madhu Limaye : We put question in order to get information. The hon. Minister says that a separate question may be put. Why does he not want to give information now ? Why the promise has not been fulfilled ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे हर समय आंकड़े याद नहीं रहते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : चीनी आक्रमण के समय जर्मनी सरकार द्वारा पहाड़ों पर लड़ने वाले जवानों के लिये दिये गये कम्बलों, जर्सियों, मोजों को विमान द्वारा पहाड़ों पर गिराने का ठेका कलिंग एयरवेज को दिया गया था। किन्तु प्राप्त समाचारों के अनुसार ये वस्तुएं पहाड़ों पर न गिरा कर कलकत्ता, पटना आदि स्थानों के बाजारों में बेची गई थी। क्या इस सम्बन्ध में की जा रही जांच पूरी हो गई थी और यदि हां, तो क्या सरकार इस कम्पनी को अपने हाथ में ले लेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं बता चुका हूं कि सरकार इस कम्पनी को अपने हाथ में नहीं लेगी किन्तु उसका ठेका समाप्त किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कम्बलों आदि के बारे में प्रश्न पूछा है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम इस समय लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछें तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा।

श्री रंगा : मेरी एक आपत्ति है। जब प्रश्न पूछा गया है, तो मंत्री महोदय को उसके बारे में जांच करनी चाहिए। वह अलग प्रश्न क्यों चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए जांच करेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी, हां ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने पूछा है कि जवानों के लिये भेजा गया सामान विमान द्वारा नेफा में न गिरा कर कलकत्ता, पटना आदि स्थानों में बेचा गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इस प्रश्न की जांच करना मान लिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय को पता था कि ये आरोप हैं । वह प्रश्न का उत्तर तैयार करके क्यों नहीं आये ।

Shri George Fernandese : May I know whether there is a proposal from the workers of the Kalinga Airways that they want to run this airway by forming a Cooperative Society.

Shri Vidya Charan Shukla : Such a proposal came before us but after considering all aspects it has been decided that we shall float a company in the Public Sector.

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि इस कम्पनी के साथ ठेका समाप्त करने का एक कारण यह भी है कि इस कम्पनी के विमान नेफा आदि क्षेत्रों में अनाधिकृत उड़ानें करते थे ? क्या यह भी सच है कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में इनकी संख्या 1,600 बताई गई है और उसके बाद यह संख्या घटकर 200 या उससे कम हो गई है ? यदि हां, तो यह कैसे हुआ है और क्या इस सप्लाई का प्रभारी नेफा प्रशासन इन उड़ानों का कोई रिकार्ड रखता है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी, हां, नेफा प्रशासन ठीक-ठीक रिकार्ड रखता है । अनधिकृत तथा अधिकृत उड़ानों के दावों की जांच करने के लिये एक समिति है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस कम्पनी के साथ 30 जून से ठेका समाप्त करने का निर्णय किया गया है, किन्तु आज 28 जून तक भविष्य में इस कार्य के लिये की जाने वाली व्यवस्था की कोई रूप रेखा हमारे सामने नहीं है । इस कार्य के लिये एक ही विकल्प रह जाता है और वह है वायु सेना का इस कार्य के लिये उपयोग । मैं समझता हूं कि वायु सेना का किस अन्य अधिक महत्वपूर्ण कार्य के लिये उपयोग किया जाना चाहिए । सरकार इस कार्य के लिये सरकारी क्षेत्र में एक मालवाहक विमान निगम स्थापित करने में क्या विलम्ब कर रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं । सभी सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करने के बाद निगम स्थापित करने का निर्णय किया गया है । कार्य आरंभ कर दिया गया । कुछ समय के लिये वायु सेना की सेवाओं का उपयोग करना पड़ेगा । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि यह कार्य शीघ्र हो जायेगा ।

Shri K. N. Pandey : The hon. Minister has just stated that it would not be possible to absorb all the staff of the present company after the expiry of the contract. It shows that some staff will be taken. On what basis they will be absorbed ?

Shri Vidya Charan Shukla : The suitability of candidates will be examined after the formation of the Corporation and the suitable candidates will be absorbed.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय खानों में काम करने की दशा

*784. **श्री विभूति मिश्र :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खानों, विशेषतया कोयला खानों तथा अन्य खानों में काम करने की दशा शोचनीय है और प्रबन्धक अदक्ष हैं;

(ख) क्या अधिकतर खानें काम करने के पुराने तरीके अपना रही हैं और खराब हो चुके उपस्करों का प्रयोग कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । अधिकांश खानों में काम करने के तरीके और इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरण सामान्यतः संतोषजनक हैं । परन्तु इनमें और सुधार किया जा सकता है ।

(ग) काम की दशाओं में सुधार तथा उत्पादिता में वृद्धि को हमेशा ध्यान में रखा जाता है और जहां कहीं सम्भव हो वहां बेहतर तरीकों और उपकरणों को प्रस्तुत करने के लिये समुचित कार्यवाही की जाती है ।

तीसरी योजना में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार

*786. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने में कितनी सफल हुई है; और

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना के वास्तविक संचालन से यह सिद्ध हो गया है कि रोजगार देने के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य अवास्तविक थे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,45,00,000 अतिरिक्त रोजगार अवसर जुटाए गए जिनमें 1,05,00,000 कृषि के अतिरिक्त क्षेत्रों में और 40,00,000 कृषि क्षेत्र में थे । तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय 1,40,00,000 अतिरिक्त रोजगार अवसर जुटाने का अनुमान लगाया गया था ।

सेवा-निवृत्ति की आयु

*787. श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री देवेन सेन :
श्री नम्बियार :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मोहसिन :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री सेझियान :
श्री अंबाजागन :
श्री कार्तिक ओराओं :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री काशी नाथ पांडे :
श्री नम्बियार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री अनिरुद्धन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री चक्रपाणि :
श्री उमानाथ :
श्री अब्राहम :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा-निवृत्ति की आयु घटाकर 50 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि सरकार ने नियमों में संशोधन करने का निर्णय किया है ताकि 25 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु हो जाने पर, जो भी पहले हो, तीन महीने का नोटिस देकर लोक हित में सेवा-निवृत्ति की व्यवस्था की जा सके। कर्मचारियों को भी तीन महीने का नोटिस देकर सेवा-निवृत्त होने का इसी प्रकार का अधिकार होगा।

छात्र आन्दोलन सम्बन्धी समिति

*788. श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री वाल्मीकि चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री 23 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2100 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्र आन्दोलन सम्बन्धी समिति ने सरकार को इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने किन-किन सिफारिशों को क्रियान्वित करना स्वीकार किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है और अपने मत निश्चित करने में सरकार को कुछ समय लगेगा ।

पंजाब तथा हरियाणा के बीच की सांझी कड़ियां

*789. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री विश्वनाथ राय : **श्री रा० बरुआ :**
श्री काशीनाथ पाण्डे :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा हरियाणा के बीच की सांझी कड़ियों से उत्पन्न विवादों को हल करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन राज्यों की वर्तमान सरकारों ने इस सम्बन्ध में निर्धारित किये गये सिद्धान्तों को मानने से इन्कार कर दिया है;

(ग) क्या इन नई राज्य सरकारों ने कोई वैकल्पिक हल सुझाया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन दो राज्यों के बीच की सांझी कड़ियों से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिये इस बीच कोई नया तरीका निकाला गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ख) पंजाब और हरियाणा के लिये पृथक-पृथक राज्यपाल नियुक्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है । दोनों राज्यों के लिये पृथक-पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिये एक विधेयक बनाया जा रहा है ।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 1967 को अथवा उससे पहले राज्य बिजली बोर्ड और राज्य भाण्डागार निगम का बंटवारा होना है । पुराने पंजाब राज्य के राज्य बिजली बोर्ड का बंटवारा हो चुका है और राज्य भाण्डागार निगम के बंटवारे के हेतु आवश्यक योजना तैयार करने के लिये पंजाब सरकार से कहा गया है । अन्य अन्तर्राज्यीय निगमों में से राज्य वित्तीय निगम का बंटवारा हो चुका है । अन्य अन्तर्राज्यीय निगमों के बंटवारे के हेतु सम्बन्धित सरकारों के परामर्श से आवश्यक योजना तैयार करने के लिये पंजाब सरकार से कहा गया है । इस कार्य में प्रगति हो रही है बताई गई है । इस प्रकार तैयार की गई योजनाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार आवश्यक आदेश जारी करेगी । इस बीच

राज्य सरकारों से परामर्श के बाद सम्बन्धित सरकारों को अन्तर्राज्यीय निगमों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसा बताया गया है, कुछ सांझी कड़ियों को समाप्त कर दिया गया है और शेष को समाप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। इन अन्तर्राज्यीय निगमों के पुनर्गठन के प्रश्न पर पंजाब और हरियाणा की सरकारों के बीच कोई असहमति अथवा विवाद की सूचना नहीं मिली है।

पाकिस्तानी धावे

*790. श्री दामानी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री आत्म दास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(अ) क्या ताशकन्द घोषणा के बाद भी पाकिस्तान पश्चिमी सीमाओं पर धावे मारता रहता है और उन क्षेत्रों के निवासियों को जान तथा माल की क्षति पहुँचाता रहता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) यद्यपि पंजाब और गुजरात में ऐसे धावों के कोई समाचार नहीं है, जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा थल सीमा के उल्लंघन को 117 और भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन की 23 घटनायें हुई हैं। राजस्थान में हुई घटनाओं का स्वरूप मुख्य रूप से डकैती, अपहरण, पशुओं को उठा ले जाना, चोरी आदि जैसे सीमा पार अपराधों का है, जिनमें से कुछ में पाकिस्तानी रेंजरों का हाथ होने का विश्वास है।

Officials Attached to the A. R. C.

*791. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Shashi Ranjan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the category-wise number of officers/employees attached to the Administrative Reforms Commission and the total expenditure incurred on their salaries and allowances so far;

(b) the expenditure incurred on other items so far; and

(c) the time by which the Commission was required to report and the actual time it would take to finish its work ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) A statement is laid on the table of the house. [Placed in Library. See No. LT-819/67]

विभागातिरिक्त कर्मचारी

*792. श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० गोपालन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के अधीन राज्यवार कितने विभागातिरिक्त कर्मचारी काम कर रहे है;

(ख) उनको दिये जाने वाले वेतन तथा भत्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें कम से कम अंशकालिक विभागीय कर्मचारी मानने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विभागातिरिक्त कर्मचारियों का काम करने का समय कितना होता है; और

(च) क्या उन्हें समयोपरि भत्ता दिया जाता है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल-पर प्रस्तुत है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 820/67]

(ग) जी, नहीं।

(घ) विभागातिरिक्त एजेंट एक एजेंसी के आधार पर डाक सम्बन्धी कार्य करते हैं और उनकी जीविका का कोई अन्य साधन भी होने की आशा की जाती है। वे नियमित सिविल कर्मचारी नहीं होते हैं।

(ङ) विभिन्न श्रेणियों के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के काम के घंटे स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कार्यालयों विशेष में कार्यभार को देखते हुए निर्धारित किये जाते हैं। वे एक ही श्रेणी में और एक कार्यालय से दूसरे में भिन्न होते हैं परन्तु एक दिन में 5 घन्टे से अधिक नहीं होते हैं।

(च) जी, नहीं।

स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के निजी कागजात

*793. श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री नि० चं० चटर्जी :
श्री वासुदेवन नायर : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने यह वसीयत की थी कि उनके निजी कागजात या तो नेशनल लायब्रेरी, कलकत्ता अथवा राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली को सौंप दिये जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में उनकी अन्तिम इच्छा पूरी की गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' में हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) से (ग) श्री जवाहरलाल नेहरू के इच्छा-पत्र तथा वसीयत के अब तक प्रकाशित अंश में इस विषय का कोई हवाला नहीं है। फिर भी यह समझा जाता है कि उन्होंने इसका हवाला दिया था कि ऐतिहासिक मूल्य के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिनका स्वाधीनता-संग्राम तथा स्वतन्त्रता के बाद की अवधि के इतिहास से सम्बन्ध है, उल्लिखित संस्थाओं को दे दिए जाएं, इच्छापत्र के इस भाग को कार्यान्वित करने में उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे कागजात को छांटना होगा और यह काम हाथ में लिया जा चुका है।

केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के लिये पुलिस द्वारा पूर्ववृत्त की जांच

*794. **श्री नायनार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गैर-कांग्रेसी सरकारों वाले राज्यों में केन्द्रीय नौकरियों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये प्रत्याशियों के पूर्ववृत्तों की पुलिस द्वारा जांच कराने का अपना पृथक् प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी, नहीं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति

*795. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री बलराज मधोक :
श्री श्रीचन्द्र गोयल :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति के बारे में कोई जांच की है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश कर्मचारी सदा ऋणग्रस्त रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी स्थिति होने के क्या कारण हैं तथा सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि कितने प्रतिशत कर्मचारी ऋणग्रस्त हैं और इसके क्या कारण हैं।

'हित्वादा' के कुछ कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना

*796. **श्री गुणानन्द ठाकुर :**
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हित्वादा' के कुछ कर्मचारियों को मुअत्तिल किये जाने के बारे में उसके प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच का विवाद इस बीच हल हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या विवाद से सम्बन्धित पक्षों ने केन्द्रीय सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिये प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। परन्तु हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि अब कामबन्दी हटा दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूनेस्को को भारतीय शिष्टमण्डल

*797. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनेस्को को 1966 में भेजे गये भारतीय शिष्टमण्डल के सदस्य कौन-कौन थे; और

(ख) सरकार ने उस शिष्टमण्डल के सदस्य किस आधार पर नाम निर्देशित किये ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 821/67]**

(ख) मितव्ययता की जरूरत के साथ-साथ सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त होना।

सब भाषाओं के लिये एक लिपि

*798. **श्री डा० रानेन सेन :** क्या **शिक्षा** मंत्री 31 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने नई हिन्दी लिपि को सम्पर्क लिपि के रूप में पसन्द किया है; और

(ख) क्या इस नई लिपि को अन्य विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिये अतिरिक्त लिपि बनाने का प्रस्ताव शिक्षा सम्बन्धी संसदीय समिति की हाल ही में हुई बैठक में स्वीकार कर लिया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : संशोधित देवनागरी लिपि से सम्बन्धित पैम्फलेट की प्रतियां सभी राज्य सरकारों को भेज दी गयी थीं परन्तु उनमें से किसी से कोई औपचारिक टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) यह विषय संसदीय समिति के सामने नहीं रखा गया है। इस समिति का संबंध प्रमुखतः शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने से है।

विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां

*799. **श्री रामकिशन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अध्ययन करने के लिये जिन विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उनके लिये कुछ नई शर्तें बनायी गयी हैं;

(ख) क्या उन्हें राजनैतिक कार्यवाही में भाग न लेने की लिखित घोषणा करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या हाल में विदेशी छात्रों द्वारा लिखित घोषणा के उल्लंघन का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) छात्रों से यह उम्मीद की जाती है कि वे राजनैतिक अथवा अन्य आपत्तिजनक या गैर-कानूनी कार्यकलापों में भाग न लेंगे। यह सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्तियों की योजना में विशिष्ट रूप से दिया गया है, जिसकी एक प्रतिलिपि प्रत्येक छात्र को दी जाती है। यह वांछनीय अथवा जरूरी नहीं समझा गया है कि इस सम्बन्ध में उनसे कोई लिखित वचन लिया जाए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

*800. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकें वर्तमान शिक्षा सत्र से मिलने लगेंगी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार तकनीकी साहित्य तथा तकनीकी पुस्तकें कम दरों पर उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। तथापि मंत्रालय में उपलब्ध सूचना

के अनुसार गुजरात को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने विभिन्न चरणों में और विभिन्न अंशों में पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का राष्ट्रीयकरण कर दिया है।

(ख) और (ग) स्कूलों में प्रयोग के लिये प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है। तथापि विभिन्न विषयों की मानक पाठ्य पुस्तकें तैयार करने और उन्हें अंगीकार तथा अनुकूलन के लिये राज्य सरकारों को उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का कार्यक्रम है। इस परिषद् द्वारा तैयार की गई कुछ पुस्तकें केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली और दिल्ली प्रशासन द्वारा नियत की गई हैं।

(घ) उच्च कोटि की विदेशी और भारतीय रचनायें, जिनमें मुख्यत: विश्वविद्यालय स्तर की तकनीकी पुस्तकें भी शामिल हैं, भारत में विद्यार्थियों के प्रयोग के लिये कम मूल्य के संस्करणों में अंग्रेजी में पुन: प्रकाशित की जाती हैं।

पी० एल० 480 निधियों के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग का प्रतिवेदन

***801. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने गत आम चुनावों में सी०आई०ए० और पी० एल० 480 निधियों का उपयोग किये जाने के बारे में अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसके सम्बन्ध में पर्याप्त तथा आवश्यक कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) हाल में आम चुनावों में और अन्य प्रयोजनों के लिये विदेशी धन के प्रयोग के बारे में आरोपों की जांच करने के बाद इंटैलीजैंस ब्यूरो ने एक प्रतिवेदन दिया है।

(ख) प्रतिवेदन पर सावधानी से विचार किया जा रहा है। प्रतिवेदन के बारे में अपने निष्कर्ष निकालने में और कोई अग्रेतर कार्यवाही आवश्यक है, यह निर्णय करने में सरकार को कुछ समय लगेगा।

Postage Stamps of new Designs

***802. Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision to prepare new designs for the postage stamps in order to make then as beautiful and attractive as those of foreign countries;

(b) whether Government have also taken into consideration the artistic works of the country; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

उत्पादिता के आधार पर मजूरी निर्धारित करना

*803. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादिता के आधार पर श्रमिकों की मजूरी निर्धारित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) मजूरी निर्धारण प्राधिकारी, विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर, जिनमें उत्पादिता भी शामिल है, मजूरी निश्चित करते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्द महासागर का सर्वेक्षण

*804. **श्री स्वैल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर की आर्थिक क्षमताओं का अध्ययन किया है;

(ख) सरकार के किन-किन अभिकरणों ने यह अध्ययन किया है; और

(ग) क्या इन आर्थिक क्षमताओं का लाभ उठाने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) ऐसे एक अध्ययन के लिए कुछ शुरुआत की गई है।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था।

(ग) जी, अभी नहीं।

विद्रोही मिजो लोगों की वापसी

*805. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रवि राय :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री राम सेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 100 सशस्त्र विद्रोही मिजो कुछ कुकी विद्रोही नागाओं के साथ छिपे हुए नागाओं से सम्पर्क स्थापित करने के लिये मनीपुर के अन्दर सदर हिल्स सब-डिवीजन के कालापहाड़ तथा इरिल घाटी के रास्ते नागालैंड जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) मई, 1967 के प्रारम्भ में मिजो पहाड़ी से मनीपुर क्षेत्र में मिजो और कुकी लोगों के एक सशस्त्र गिरोह के आने का समाचार है। यह गिरोह पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रहा है परन्तु इसका गन्तव्य स्थान स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है। तथापि सुरक्षा उपाय कठोर कर दिये गये हैं और गश्त बढ़ा दी गई है।

Telephones

*806. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Rabi Ray : **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of telephones with the Government of India, Delhi Administration, Delhi Corporation Metropolitan Council, Delhi and their Attached Offices and Autonomous bodies;

(b) the number out of them installed at the residences of the officers and the staff and the number installed in the offices;

(c) the number of telephones allotted to the residents of Delhi;

(d) whether there exists some arrangement according to which the number of private calls from the telephones installed at the residences of the officers and the staff could be reduced; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c) The records of telephone connections are maintained in the numerical order irrespective of category of telephone, i. e. whether Government or private. At present 60,631 telephones are working in Delhi.

(d) and (e) It is not technically possible to segregate private and official calls from the total number of calls made from any telephone. All the calls from any telephone are recorded by a single meter.

तिहाड़ जेल, दिल्ली

*807. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैन्ट्रल जेल, तिहाड़, नई दिल्ली में 1250 कैदियों को रखने की व्यवस्था की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस जेल में कैदियों की कुल संख्या पिछले 6 महीनों में 2 हजार से लेकर 3 हजार तक रही है जिसके परिणामस्वरूप जेल नियमावलि के अन्तर्गत कैदियों को मिलने वाले राशन, कपड़े आदि की न्यूनतम सुविधा भी उन्हें पूरी तरह उपलब्ध नहीं हुई; और

(ग) यदि हां, तो सैन्ट्रल जेल को बढ़ाने अथवा इस जेल में कैदियों की संख्या कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तिहाड़ जेल में 1273 कैदियों को रखने की व्यवस्था है ;

(ख) सैन्ट्रल जेल, तिहाड़ में पिछले छः महीनों में कैदियों की संख्या 2,000 से 3,500 तक रही है । यह सच नहीं है कि जेल नियमावलि में नियत न्यूनतम राशन और कपड़ा कैदियों को नहीं दिया गया था ।

(ग) दिल्ली में कैदियों के लिए आवास बढ़ाने के प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन हैं ।

Sheikh Abdullah

*808. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri M. L. Sondhi :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Hem Barua :
Shri P. N. Solanki :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Har Dayal Devgun :
Shri A. B. Vajpayee :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri S. S. Kothari :
Shri Onkar Lal Berwa :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Avatar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri B. S. Sharma :
Shri Yespal Singh :
Shri Rabi Ray :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri J. H. Patel :
Shri Molahu Prasad :
Shri Y. S. Kushwah :
Shrimati Shadra Mukerjee :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Shiva Chandra Jha :
Shri R. Barua :
Shri D. N. Patodia :
Shri Virendra Kumar Shah :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sheikh Abdullah has been brought to Delhi for medical check-up and treatment; and

(b) if so, whether Government have decided to release him ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have taken no decision to remove the restrictions on Sheikh Abdullah.

पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री द्वारा गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोप

*809. **श्री राम गोपाल शालवाले** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के उप-मुख्य मंत्री द्वारा उनके विरुद्ध लगाये गये इस आशय के कथित आरोपों के बारे में, कि उन्होंने (गृह-कार्य मंत्री ने) अधिकारियों को विद्रोह करने के लिये उकसाया था, पश्चिमी बंगाल की सरकार से उन्हें तथ्य प्राप्त हो गये हैं;

(क) यदि हां, तो उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिमी बंगाल सरकार ने कहा है कि 5 जून, 1967 के 'स्टेटसमैन' समाचारपत्र में प्रकाशित किया गया उप मंत्री का भाषण प्रायः सही है।

(ग) पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री द्वारा लगाया गया आरोप पूर्णतया अनुचित और औचित्यहीन है तथा उसका पूरी तरह खण्डन किया जाता है।

दक्षिण बेरुवाड़ी गांव में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

***810. श्री सु० कु तापड़िया :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानियों का एक गिरोह 9 जून, 1967 को दक्षिण बेरुबाड़ी के बरनीपाड़ा गांव में अवैध रूप से घुस आया था और एक ग्रामीण श्री महेन्द्र दास का अपहरण करके ले गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) 9 जून, 1967 को पांच पाकिस्तानी राष्ट्रजन जलपाईगुड़ी जिले में बराईपाड़ा गांव में भारतीय राज्य क्षेत्र में अवैध रूप से घुस आये थे और एक भारतीय राष्ट्रजन श्री महेन्द्र दास, जो सीमा के निकट अपने पशुओं को चरा रहा था, का अपहरण कर लिया था। श्री महेन्द्रदास उसी दिन अपने गांव में वापस आ गया था।

(ख) राज्य सरकार ने विरोध-पत्र भेजा है और मांग की है कि अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये और पूर्व पाकिस्तान सरकार से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कहा है।

चम्बल घाटी में डाकू समस्या

3776. श्री बाबूराव पटेल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच विभाग ने चम्बल घाटी तथा अन्य स्थानों में डाकू समस्या के बारे में अध्ययन करने के काम में कितनी प्रगति की है;

(ख) यह अध्ययन पूरा करने में देरी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) अध्ययन के बारे में कब तक प्रतिवेदन तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) चम्बल घाटी तथा आसपास के क्षेत्रों में डकैती और धन लेने के लिये अपहरण की समस्या के कुछ पहलुओं के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग अध्ययन कर रहा है । यह एक बड़ी परियोजना है और बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों से पूछताछ करनी है । कुछ महत्वपूर्ण अपराधियों के पूर्व-जीवन का अध्ययन किया जाना है । समाजशास्त्र के एक प्रोफेसर इस कार्य का मार्ग-दर्शन कर रहे हैं । 50 प्रमुख डाकूओं के जीवन का अध्ययन पूरा हो चुका है और आवश्यक आंकड़े भी इकट्ठे कर लिए गए हैं । उपलब्ध सामग्री के योजनाबद्ध विश्लेषण और अध्ययन के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

इसका स्वरूप ही ऐसा है कि इसमें काफी समय लगेगा इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक प्रतिवेदन तैयार होने की सम्भावना है ।

त्रिपुरा में विस्थापित लोग

3777. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 से अप्रैल 1967 तक त्रिपुरा में कितने विस्थापित व्यक्ति आये;

(ख) उनमें से जो विस्थापित लोग त्रिपुरा से बाहर बसाये गये हैं, उनकी संख्या कितनी है;

(ग) इस समय शिविरों तथा आगम केन्द्रों में पड़े विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनके पुनर्वास के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1 जनवरी, 1964 से 30 अप्रैल, 1967 तक 1,18,988 व्यक्ति ।

(ख) 7,258 व्यक्ति ।

(ग) लगभग 1,0000 व्यक्ति, जिनमें से 3,882 त्रिपुरा में हैं ।

(घ) दीर्घकालीन दायित्व वर्ग के लोगों को एक नये शिविर (होम) में ले जाने का विचार है, जो त्रिपुरा में अगरतला के निकट अमताली में बनाया जायेगा । शेष व्यक्तियों को, जो अब भी त्रिपुरा में शिविरों और स्वागत केन्द्रों में जा रहे हैं, बसाने के लिये अन्य राज्यों में भेजने का विचार है क्योंकि उन्हें त्रिपुरा में बसाने की कोई गुंजाइश नहीं है । त्रिपुरा से भेजे

गये व्यक्ति, जो इस समय अन्य राज्यों में स्थित आवाजाही अथवा सहायता शिविरों में हैं, विभिन्न कृषि तथा कृषि-मित्र पुनर्वास कार्यक्रमों के अन्तर्गत पुनर्वास के लिये अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पाकिस्तान-त्रिपुरा सीमा से भारतीयों का अपहरण

3778. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री भगवानदास :
श्री गणेश घोष :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वि० कु० मोदक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान-त्रिपुरा सीमा से कितने भारतीयों का अपहरण किया और किन-किन स्थानों से; और

(ख) अपहरण की ऐसी घटनायें न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) वर्षवार जानकारी इस प्रकार है:—

वर्ष	अपहरण किये गये भारतीय राष्ट्रजनों की संख्या
1963	20
1964	14
1965	22
1966	23
1967	13

जिन स्थानों से इन व्यक्तियों का अपहरण किया गया, उसके बारे में एक विवरण समा-पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 822/67]**

(ख) उचित मामलों में पाकिस्तानी प्राधिकारियों को विरोध-पत्र भेजे गये, जिनमें अप-हरण किये गये व्यक्तियों की वापसी की मांग की गई और पाकिस्तानी प्राधिकारियों से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये कहा गया। सीमा पर बड़े पैमाने पर गश्त की गई और जब भी सीमा सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमियां पाई गई, तो उन्हें दूर करने के लिये कदम उठाये गये।

ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा धर्म-परिवर्तन

3779. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितने विदेशी ईसाई मिशन तथा धर्म-प्रचारक सक्रिय है;

(ख) वे राज्य के किन-किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं;

(ग) ये धर्म-प्रचारक किन-किन राष्ट्रों के हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि ये धर्म-प्रचारक बड़ी भारी संख्या में हरिजनों तथा आदिवासियों का धर्म-परिवर्तन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कितने तथा किन-किन स्थानों के लोगों का तथा किस-किस तारीख को धर्म-परिवर्तन किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) मध्य प्रदेश में इस समय 16 विदेशी ईसाई मिशन और 284 विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारक काम कर रहे हैं।

(ख) राज्य के लगभग सभी जिलों में।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 823/67]**

(घ) और (ङ) ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके अन्तर्गत धर्म-परिवर्तन का पंजीयन कराने की व्यवस्था हो। इसलिए इस प्रकार के धर्म-परिवर्तन का कोई प्रामाणिक लेखा नहीं रखा जाता है। तथापि अप्रैल, 1965 से अब तक 1,051 व्यक्तियों को ईसाई बनाया गया बताया जाता है।

हिन्दू नागाओं का धर्म-परिवर्तन

3780. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तोशेम तथा मोगुइलोंग नामक दो गांवों में 700 हिन्दू जेमी नागाओं को, बलात धर्म-परिवर्तन करके ईसाई बनाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन हिन्दू जेमी नागाओं ने इस प्रकार बलात धर्म-परिवर्तन को रोकने तथा उनके धर्म की सुरक्षा करने के लिए सहायता देने के लिए स्थानीय सेना मुख्यालय को एक एस० ओ० एस० भेजा था किन्तु हमारे सैनिक अधिकारियों ने उनकी कोई सहायता नहीं की;

(ग) क्या यह भी सच है कि तथाकथित भूमिगत विद्रोही नागा सरकार ने ईसाई धर्म को अपना "राज्य धर्म" घोषित किया है और उसने पुराने हिन्दू मन्दिरों को नष्ट करके उनके स्थान पर नये गिरजाघर बनाये हैं;

(घ) मनीपुर क्षेत्र में कितनी ईसाई धर्म-प्रचारक संस्थाये हैं, वे किन-किन देशों की हैं तथा उनकी किस प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां हैं; और

(ङ) सरकार ने उन ईसाई धर्म-प्रचारक संस्थाओं को राजनैतिक उद्देश्यों के लिए धर्म की आड़ लेने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इन दो गांवों में 60 गैर-ईसाई नागाओं का धर्म-परिवर्तन करके ईसाई बनाये जाने के समाचार मिले हैं। तोशेम

गांव में विद्रोही नागाओं द्वारा गांव से निकाल देने की धमकी देकर धर्म-परिवर्तन किये जाने के समाचार हैं। तथापि कोई बलात धर्म-परिवर्तन किये जाने की कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारत सरकार छिपे विद्रोही नागाओं की तथाकथित सरकार को मान्यता नहीं देती है। पुराने हिन्दू मन्दिरों के नष्ट किये जाने के कोई समाचार नहीं हैं।

(घ) मनीपुर में कोई विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारक नहीं हैं। वहां पर कुल 34 ईसाई धर्म-प्रचारक हैं जिनमें एक इटालवी उद्भव का व्यक्ति है जिसने 1964 में भारतीय नागरिकता स्वीकार कर ली थी। उनके राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की कोई सूचना नहीं है।

(ङ) सरकार स्थिति पर सावधानी से निगरानी रख रही है।

स्वदेश लौटने वाले लोगों का पुनर्वास

3781. श्री रंगा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों को (1) विशाखापटनम में इस्पात कारखाने, बन्दरगाह, पत्तन तथा जहाज निर्माण कारखाने में (2) कोरापुट स्थित मिग कारखाने में और (3) विजयनगरम से जैपुर तक नई रेलवेलाइन के निर्माण कार्य में बेल्लाडिला में तथा (4) भिलाई और रूरकेला इस्पात कारखानों में फिर से बसाने तथा रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) स्वदेश लौटने वाले जितने लोगों को रोजगार दिया जा चुका है उनकी संख्या क्या है तथा किन कार्यों में उन्हें रोजगार दिया गया है तथा अब भी स्थानीय रोजगार कार्यालयों तथा उनके मंत्रालय में जितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं उनकी संख्या क्या है; और

(ग) इस प्रकार के असहाय लोगों की सहायता करने के लिए मंत्रालय ने अपने स्थानीय सहायता कार्यालयों से क्या व्यवस्था की है ताकि उन्हें अपेक्षित सहायता प्राप्त करने के बारे में पता चल सके और वे सहायता प्राप्त कर सकें ?

श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) प्रशासनिक मंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हिदायत दे कि वे इन उपक्रमों में बर्मा तथा श्री लंका से स्वदेश लौटने वाले लोगों के लिए 25 से 33⅓ प्रतिशत पद आरक्षित रखे।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति के मामलों में बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। उनकी अधिक आयु सीमा में 45 वर्ष की छूट दी गई है तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रत्याशियों को और 5 वर्ष की छूट दी गई है।

प्रशासनिक मंत्रियों द्वारा गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी 824/67]

स्वदेश लौटने वाले लोगों के लिये रोजगार दिलाने के लिये मार्गोपायों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए विशाखपत्तनम में विशाखपत्तनम पत्तन न्यास, गोदी श्रमिक बोर्ड, कॉरोमडल उर्वरक तथा अन्य महत्वपूर्ण कारखानों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गई है।

(ख) अब तक 9,329 व्यक्तियों को इस प्रकार रोजगार दिया गया है:—

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यालयों में	5062
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में	279
गैर सरकारी उद्योगों तथा अन्य संस्थाओं में	3988
कुल	9329

प्रत्येक कार्यालय/उपक्रम में नौकर पर रखे गये कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

30 अप्रैल, 1967 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 2285 स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के नाम दर्ज थे।

(ग) भारत सरकार द्वारा "प्राथमिकता" आदि के बारे में स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को दी गई हिदायतों के बारे में देश भर के रोजगार कार्यालयों तथा राज्य सरकारों को बताया गया है। स्वदेश लौटने वाले लोगों, रोजगार कार्यालयों तथा नियोजकों में सम्पर्क स्थापित करने तथा स्वदेश लौटने वाले लोगों को रोजगार दिलाने के लिए विशेष रोजगार सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

प्रत्येक जिले में एक बी० टी० कालेज खोलना

3782. **श्री व० कृ० दास चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक जिले में एक बी० टी० कालेज खोलने की सरकार की योजना है;

(ख) यदि हां, तो जिन जिलों में इस समय एक भी बी० टी० कालेज नहीं हैं वहां ऐसे कालेज कब तक खोले जायेंगे; और

(ग) यदि किसी जिले के स्थानीय लोग भूमि दे दें तो क्या भारत सरकार वहां पर तुरन्त एक बी० टी० कालेज खोल सकेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। शिक्षा के राज्य का विषय होने के नाते, ऐसी संस्थायें आमतौर पर राज्यों द्वारा, उस क्षेत्र की आवश्यकताओं और राज्य के साधनों को देखते हुए, स्थापित की जाती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसे प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे जाने चाहिए और राज्य सरकार द्वारा ही उस पर विचार किया जाना चाहिए ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए आरक्षित पद

3783. **श्री सिद्दय्या** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक को आरक्षित पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को नामांकित करने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो 1963–64 से 1966–67 तक कितने मामलों में तथा किन श्रेणियों के पदों के लिए उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों का नामांकन किया; और

(ग) क्या आरक्षित रिक्त पदों के लिए उन जातियों के उम्मीदवारों का नामांकन करने का अधिकार महानिदेशक को देने वाले आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दादरा, नागर हवेली और लक्कदीव द्वीप समूह में रोजगार-दिलाऊ दफ्तर

3784. **श्री सिद्दय्या** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा, नागर हवेली और लक्कदीव द्वीप समूह में कोई काम दिलाऊ दफ्तर है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1966–67 में उनमें कितने उम्मीदवारों के नाम दर्ज थे और उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) ये इलाके उद्योगों की दृष्टि से अभी भी महत्वपूर्ण नहीं है और न ही इन इलाकों में रोजगार क्षमतायें हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बम्बई के निकट अहमद ग्रुप की मिलें

3785. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के निकट अम्बरनाथ में स्थित अहमद ग्रुप की मिलों को मार्च, 1955 में पुनर्वास पूल के लिए निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में अर्जित किये जाने के बाद अगस्त, 1957 में कंवर राजनाथ नाम के व्यक्ति को 50,11,000 रुपये में बेच दिया गया था;

(ख) क्या सरकार ने पूरा विक्रय मूल्य वसूल कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो अब तक वसूल की गई राशि का ब्यौरा क्या है, और खरीददारों से कितनी राशि वसूल करनी बाकी है और उसकी वसूली में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि खरीदार ने मूल्य चुकाने के लिए ऐसे चैक दिये हैं, जिनको बैंकों ने वापिस कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस भुगतान का ब्यौरा क्या है और देय राशि की वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अगस्त 1957 में इन मिलों को श्री राजनाथ को बेचने के लिये करार किया गया था किन्तु बाद में यह करार रद्द कर दिया गया था और 21 अप्रैल 1960 को ये मिलें 68,11,000 रुपये में बेच दी गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अन्तिम किश्त 20 अक्तूबर, 1966 को अदा की जानी थी । उन्होंने अब तक मूल राशि में से 34,07,212 रुपये तथा 1 2,05,612 रुपये ब्याज के दिये हैं । उपर्युक्त तारीख को मूल राशि तथा ब्याज की राशि मिलाकर 34,13,262 रुपये बकाया थे । उन्होंने कुल देय राशि का भुगतान न कर सकने के लिए 1962 में चीनी आक्रमण, 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष तथा भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप ऊनी उद्योग को होने वाली कठिनाइयों को मुख्य कारण बताया है । श्री राजनाथ ने इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि ऊनी उद्योग को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ बकाया राशि का भुगतान करने के लिए समय बढ़ाया जाये । वाणिज्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) : 2 जुलाई, 1966 को उन्होंने 5 लाख रुपये के छः चेक भेजे थे जिनमें से 1 लाख रुपये केवल दो चेक भुनाये जा सके और शेष चार चेक उनके खाते में धन-राशि जमा न होने के कारण नहीं भुनाये जा सके । उसके बाद उन्होंने ऊनी उद्योग को होने वाली कठिनाइयों के कारण समय बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन किया । भाग (ग) के उत्तर के अनुसार उनकी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय

3786. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा से सम्बद्ध टेलीफोन राजस्व लेखा अधिकारी के कार्यालय को जो अब दिल्ली-6 में स्थित है गुजरात सर्किल में ले जाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या दिल्ली-6 में स्थित टेलीफोन राजस्व लेखा अधिकारी (बड़ौदा) के कार्यालय के कर्मचारियों की ओर से उस कार्यालय के स्थानान्तरण की नीति को क्रियान्वित करने में विलम्ब

होने के कारण उन्हें होने वाली कठिनाइयों तथा असुविधाओं के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) गत समय में कुछ अभ्यावेदन मिले थे ।

(घ) दिल्ली स्थित टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय (बड़ौदा) के एक भाग को गुजरात सर्किल के राजकोट इन्जीनियरी डिविजन में ले जाने के लिए आदेश दिये गये हैं तथा कर्मचारियों को राजकोट के कार्यालय में जाने के लिए आदेश दे दिया गया है। स्थानीय कर्मचारियों के लिए नौकरी की व्यवस्था हो जाने तथा अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक समस्यायें हल हो जाने पर शेष कार्यालय का भी डिविजनल स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जायेगा ।

भविष्य निधि निरीक्षकों द्वारा हस्तक्षेप

3787. श्री बलराज मधोक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि निरीक्षकों की पहुँच दिल्ली में फौजदारी अदालतों के रिकार्ड तक होती है और वे उसमें गड़बड़ी करते हैं और यदि हां, तो क्या इस बारे में अधिकारियों को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) न्याय प्रशासन में इस प्रकार के हस्तक्षेप को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने भी ऐसी शिकायतें आने पर जांच कराई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अब तक ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

3788. श्री शिवचन्द्र झा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सुरक्षा नियमों का प्रयोग कितनी बार तथा कितने चोरबाजारी करने वाले व्यक्तियों, जमाखोरों तथा कर बचाने वाले लोगों के विरुद्ध किया गया;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध इस समय किन कानूनों का प्रयोग किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 41,376 मामलों में जमाखोरों, चोरबाजारी करने वाले व्यक्तियों तथा कर बचाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध इस समय अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, आयकर अधिनियम, 1961, सम्पत्तिकर अधिनियम 1957, सम्पदा कर अधिनियम, 1953, उपहार कर अधिनियम, 1958, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक 1944 अधिनियम आदि कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक प्रयोगशालाओं की स्थापना

3789. **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री द० रा० परमार :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशालायें हैं, उनमें किन-किन विषयों पर अनुसन्धान होता है, वे कहां पर स्थित हैं; तथा किस वर्ष में स्थापित की गई थीं, उनमें से प्रत्येक पर कितना पूंजीगत धन व्यय किया गया है, उन पर वार्षिक आवर्ती व्यय कितना होता है, तथा उनमें से प्रत्येक प्रयोगशाला में कितने वैज्ञानिक काम करते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात में नमक के लिए एक छोटी सी प्रयोगशाला के अतिरिक्त कोई राष्ट्रीय अथवा अन्य प्रयोगशाला नहीं है, जबकि अन्य राज्यों में तीन-तीन राष्ट्रीय प्रयोगशालायें तक हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक नयी अनुसन्धान प्रयोगशालायें खोलने के प्रस्ताव पर विचार करते समय इस प्रादेशिक विषमता को पूरा करने का है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के तत्वावधान में 26 राष्ट्रीय प्रयोगशालायें/संस्थान और 4 प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशालायें हैं। ये कहां स्थित हैं, स्थापना वर्ष और इनके कार्यों के सम्बन्ध में सूचना परिषद की 1965–66 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुबन्ध 2 पृष्ठ 72–76 पर दी हुई है, जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपबन्ध हैं।

विवरण संलग्न है, जिसमें पूंजीगत खाते का खर्च, वार्षिक आवर्ती खर्च और इनमें से प्रत्येक में नियुक्त वैज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 825/67]**

(ख) और (ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने भावनगर (गुजरात) में केन्द्रीय नमक तथा समुद्री रसायन अनुसन्धान संस्थान नामक एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला

स्थापित की है और यदि कुछ अन्य राज्यों में एक से अधिक राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान स्थापित किये गये हैं, तो ऐसा उसके गुणावगुण के आधार पर किया गया है।

बस्तर में बेगार

3790. श्री झा० सुन्दरलाल : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में आज भी बहुत से लोगों से बेगार ली जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

बस्तर जिले में डाकघर

3791. श्री झा सुन्दरलाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में इस समय कितने डाकघर चल रहे हैं और कहां-कहां हैं;

(ख) क्या उनकी संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो कितने नये डाकघर खोले जायेंगे तथा कहां-कहां ?

संसदीय कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुलराल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 826/67]।

आदिवासियों को शिक्षा

3792. श्री झा सुन्दरलाल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों के पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से समूचे देश में उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) और (ख) विशेष स्कूलों तथा प० बंगाल के शहरी क्षेत्रों के कुछ स्कूलों को छोड़कर, आदिवासियों समेत सभी बच्चों के लिए समस्त देश में चौथी अथवा पांचवीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है। इस प्रकार, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, प० बंगाल (केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लड़कियों के लिए), "गुजरात (सातवीं कक्षा तक), उत्तर प्रदेश (केवल लड़कियों के

लिए), , बिहार, (केवल लड़कियों के लिए), महाराष्ट्र, (सातवीं तक) तथा सभी संघ क्षेत्रों में आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। बहुत से राज्यों ने अनिवार्य शिक्षा कानून बनाए हैं किन्तु समझाने बुझाने के उपायों पर ही हमेशा जोर दिया जा रहा है।

दिल्ली के नागरिकों के आवेदन-पत्र

3793. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद तथा उसके कार्यालय ने नागरिकों के उर्दू और अंग्रेजी के आवेदन-पत्रों को लेने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यापकों के लिए मकान

3794. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में अध्यापकों के पास आवास की सुविधा नहीं है;

(ख) क्या आवास की अत्यधिक कमी होने का एक कारण यह है कि कैम्पस क्षेत्र में जमीन उपलब्ध नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कैम्पस क्षेत्र के विस्तार के लिए और अधिक जमीन अलाट करने का है ताकि और अधिक मकान बनाये जा सकें ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। दिल्ली विश्वविद्यालय केवल थोड़े अध्यापकों को ही रहने के लिए मकानों की व्यवस्था कर सका है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिये पहले से ही पर्याप्त भूमि है।

टूटी-फूटी इमारतें

3795. श्री ओंकार सिंह :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली कालेज की दो सौ वर्ष पुरानी इमारत अब भूमि में धसनी शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां तो क्या दिल्ली की अन्य इमारतों की भी यही दशा होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या योजना बना रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Travelling Allowances Claimed by Ministers

3796. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Home affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some Cabinet Ministers have claimed excessive travelling allowance during the last 3 years and if so, the names of such Ministers and the excess amount claimed by each of them;

(b) whether the excess amount has been recovered from them; and

(c) whether Government propose to curtail expenditure on travelling by Cabinet Ministers and Ministers of State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c) Tours are undertaken by Ministers only when it is necessary in connection with the proper performance of their duties. The Question of laying down any limits or of the recovery of excess amount does not, therefore, arise.

I. T. I. Trainig

3797. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the object of the exhibition held on 29th March, 1967 at the Industrial Training Institute, Curzon Road, New Delhi under the supervision of the Director of Industries;

(b) for how long the said institution has been functioning and the number of trainees trained therein;

(c) whether the trainees after completing training are provided with jobs; and

(d) if not, the reasons therefor and the benefit accruing to the persons trained and also to Government ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The exhibition was organised under the supervision of the Directorate of Employment and Training as usual

at the time of the Annual function of the Institute when prizes are distributed to the out-standing trainees and the National Trade Certificates are awarded to successful trainees. The main object of the exhibition displaying the work of the trainees is to promote the sale of articles at no profit no loss basis.

(b) This Institute has been functioning since the end of 2nd World War 3557 trainees have successfully completed training since 1950.

(c) and (d) Although it is not obligatory on the part of the Government to provide jobs to the passed-out trainees, every effort is made to render necessary assistance to them, if desired, for securing suitable jobs through the Employment Exchanges.

Stipend to Trainees at I. T. I. New Delhi

3798. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri Ram Singh Ayarwal:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the trainees of the I.T.I. Curzon Road, New Delhi are given a stipend of Rs 25 per head per month;

(b) whether it is also a fact that the trainees are not paid this amount every month;

(c) whether this amount is insufficient and whether Government propose to increase it?

(d) whether Government provide jobs to the trainees after they complete their training; and

(e) if so, the details thereof?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) A stipend of Rs. 25.00 p.m. is awarded to 33⅓% of total no. of trainees in the Institute.

(b) No. After formalities regarding the award of stipends are completed, the stipends are disbursed every month.

(c) The question of enhancement of the rate of stipends is under consideration.

(d) and (e) Although it is not obligatory on the part of Government to provide jobs to the passed-out trainees, every effort is made to render necessary assistance to them, if desised, for securing suitable jobs through the Employment Exchanges.

East Pak. Firing on Indian Patrol

3799. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri Jagannath Rao Joshi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 25 Pakistani soldiers from East Pakistan crossed into Goalpara area at a place called 'Manakchar' and fired on the Indian patrol, as reported in the Nav Bharat Times dated the 8th April, 1967 ;

(b) if so, the extent of loss of life and property as a result thereof; and

(c) the action taken by Government in the matter?

The Minister of Home Affairs (Shri Y.B. Chavan) : (a) to (c) There was no incident of trespass by Pakistani soldiers into the Goalpara area. However, on 1st April, 1967, at about 0030 hours, a patrol party of the district police encountered a gang of about 25 Pakistani criminals near Sonarpara, PS Mankachar, District Goalpara. The patrol party forced them to retreat to Pakistan side. There has been no loss of life or property on the Indian side. Protests have been lodged with the East Pakistan authorities at the District and the State levels.

Amount Missing From Postal Bag

3800. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Communications be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that a sum of Rs. 3,500 was found missing from a postal bag belonging to Sirsi post Office 20 miles away from Muradabad; and

(b) if so, the action taken in that regard?

The Minister of State in the Departments of Parliamentry Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) Yes, sir.

(b) The matter has been reported to the police and their enquiries are in progress. One departmental official has been arrested by the police and he is now on bail, Another official has been placed under suspension by the department pending enquiries.

पाकिस्तानियों द्वारा आक्यतरबानी में गोलाबारी

3801. डा० कर्ण सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्शिदाबाद जिले में आक्यातरबानी में 9 अप्रैल, 1967 को पाकिस्तानी गुण्डों ने भारतीय सीमा रक्षकों पर गोली चलाई थी;

(ख) भारत को कितनी हानि हुई और गोलाबारी की ऐसी उत्तेजक घटनाएं कितनी हो रही हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) 8/9 अप्रैल, 1967 की रात को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में कयेतेरबाड़ी (अक्चातरबानी नहीं) के जगत बर्मन के घर में कुछ सशस्त्र अज्ञात डाकुओं ने डाका डाला था। उन्होंने घर के अन्दर के लोगों पर आक्रमण करके एक व्यक्ति को घायल कर दिया था। खतरे की घंटी सुनकर सीमा सुरक्षा सेना का एक दल घटना स्थल की ओर गया और उसने पाकिस्तान की ओर भागते हुए डाकुओं पर गोली चलाई। डाकुओं ने जवाबी गोली चलाई तथा डाकू लगभग 500 रुपये की सम्पत्ति लेकर भाग गये।

राज्य सरकार तथा कूच बिहार के उप आयुक्त ने पूर्वी पाकिस्तान की राज्य सरकार तथा उप आयुक्त को विरोध पत्र भेजे थे। सीमा सुरक्षा सेना ने कूच बिहार-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर अपनी गश्त बढ़ा दी है।

इस घटना से पहले के तीन महीनों में पश्चिमी बंगाल-पाकिस्तान सीमा पर इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी।

Extension to Superannated Persons

3802. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of officers and Class III and Class IV employees in his Ministry who attained the age of 60 years on 31st December, 1966; and

(b) the number of persons who have been continuing the reafter on the same post or on promotion ?

The Minister of State in The Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) One, Sir.

(b) One, Sir,

नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड

3803. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :,

(क) क्या सरकार ने नागरिक सुरक्षा तथा होमगार्डों से सम्बन्धित कार्यों का विस्तार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रसाशनों मे होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा संस्थाओं को स्थाई बनाने के लिये कहा गया है। विभिन्न चुने गये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षित नागरिक सुरक्षा उपायों को आवश्यक कानूनी रूप देने के लिये चालु सत्र में एक नागरिक सुरक्षा विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है। इन संस्थाओं के संगठन, प्रशिक्षण तथा उपकरणों में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से कई सुधार किये गये हैं। उदाहरणार्थ, सीमावर्ती राज्यों में बढ़ाई गई संख्या के 10 प्रतिशत को राइफलें दी जाती हैं यह प्रतिशत बढ़ाकर 30 प्रतिशत तथा अन्य स्थानों में 20 प्रतिशत कर दिया गया

है । पूल योग खर्च की मदों को राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के साथ विभाजन की प्रक्रिया सरल कर दी गई है ।

Car Lifter Gang

3804. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 117 on the 29th March, 1967 and state:

(a) the judgement delivered by the court in case of those accused who were arrested and were member of a gang of car-lifters in Delhi; and

(b) whether those cars were handed over to their owners ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The case is still pending trial.

(b) Two cars were handed over to the owners and seven to the Insurance companies as the owners had already received insured amounts for the cars from them.

Reservation of Posts for Girls in Central Government Services

3805. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Y.S. Kushwah

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some posts in the various Ministries of the Central Government have been reserved for girls; and

(b) if so, the number of girls working in the various offices and the percentage of vacant posts?

The Minister of State in The Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir. There is however one posts of Lady Receptionist in a Ministry which is held by a lady.

(b) Girls are working in various officers but not against "reserved" posts. In view of the position stated above, the question of posts reserved for girls remaining vacant does not arise.

औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन

3806. **श्री मधु लिमये :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री राम मनोहर लोहिया :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण कर्मचारी की परिभाषा को बदलने के हेतु सरकार का विचार औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि स्टेट बैंक के

कर्मचारियों की यूनियन द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन पत्र के आधार पर सुपरवाइजरी पदों पर काम करने वाले कुछ व्यक्तियों को जो इस समय शामिल नहीं हैं–तथा 1000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को उसमें शामिल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो सुपरवाइजरी पदों की कौन-कौन सी श्रेणियों को उसमें शामिल करने का विचार है; और

(ग) संशोधक विधेयक के कब लाये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) 1600/- रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले पर्यवेक्षी और प्रबन्धक कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत लाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 (एस) में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव को 10 मई, 1967 को नई दिल्ली में हुए स्थायी श्रम समिति के 26वें अधिवेशन की कार्यसूची में शामिल किया गया था, परन्तु समय के अभाव के कारण मिटिंग में इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया। इसे स्थायी श्रम समिति या भारतीय श्रम सम्मेलन के आगामी अधिवेशन में विचार-विमर्श के लिए रखा जायगा।

Transfer of C.P.W.D. Personnel in H.P

3807. Shri Onkar Singh:
Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of Home Affairs be pleasce to refer to the reply given to Unstarred question No, 550 on the 5th April, 1967 and state the full datails of the decision taken regarding the transfer of the C.P.W.D. personnel in Himachal Pradesh?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): In so for as appointments to the posts of Executive Engineers and above in the Himachal Pradesh P.W.D. are concerned, it has been decided, in consultation with the Union public Service Commission, to discontinue the provision in regard to the deputition percentage of 75. The discontinuance of the present provision of 50% deputation for appointment to the posts of Assistant Engineers is under consideration, in consultation with Union Public Service Commission.

दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक

3808. श्री बलराज मधोक :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार तीसरी लोक सभा में पुरःस्थापित किये गये दिल्ली नगर निगम अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयकों को, जो कि इस सभा के भंग हो जाने के कारण व्यपगत हो चुके हैं, फिर नये सिरे से पुरःस्थापित करने का है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 22 के अनुसार यह विधेयक दिल्ली महानगर परिषद के सामने रखने

के लिये दिल्ली प्रशासन को सौंप दिया गया है। इस विधेयक पर दिल्ली महानगर परिषद की सिफारिशों पर तथा उन पर कार्यकारी परिषद के विचारों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद इसे संसद में प्रस्तुत करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय वस्तुएं

3809. **श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश शासन काल में भारत से ऐतिहासिक महत्व की कितनी भारतीय वस्तुए इंग्लैंड भेजी गई जो इस समय ब्रिटिश संग्रहालय लन्दन में हैं;

(ख) क्या ब्रिटिश सरकार से उन वस्तुओं को वापस लेने के लिये भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ग) क्या ब्रिटिश सरकार ने उन में से कुछ वस्तुओं को लौटाने से इंकार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) पूरी सूचना एकत्र करना संभव नहीं हो सका है। एकत्र की गई सूचना से पता चला है कि सिक्कों को ब्रिटिश संग्रहालय द्वारा प्रकाशित सात खण्डों की माला में सूचीबद्ध किया गया है। दो अध्ययन ऐसे भी हैं जो संग्रहालय में क्रमशः मध्यकालीन भारतीय मूर्तियों और अमरावती मूर्तियों से संबंधित है।

(ख) से (घ) इन पर कार्यवाई उपर्युक्त (क) में उल्लिखित पूरी सूचना के संग्रह और जांच हो जाने पर निर्भर करेगी।

Pay Scales of Teachers in Union Territories.

3810. Shri Sidehshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether there is a uniformity in the pay-scales of teachars in all the **Union Territories;**

(b) if not, the reasons therefore; and

(c) the time by which Government would be able to remove this discrimination?

The Minister of State in the Ministry of Eduction (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir.

(b) While some of the Union Territories have their own scales of pay, the others have to follow the pattern of pay scales in the neighbouring States.

(c) Does not arise,

Government aid to Delhi Schools

3811. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that some schools in Delhi receive almost cent-per-cent Government aid and yet they are not treated as Government Schools; and

(b) if so, The reasons there fore ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagat Jha Azad) : (a) It is not a fact that some schools receive almost cent-per-cent Government aid; hence the rest of the question does not arise.

(b) Does not arise.

हिन्दी में तकनीकी शब्दावलि

3812. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के उच्चतम स्तर तक के लिये विज्ञान तथा अन्य तकनीकी शब्दों के लिये हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दी पारिभाषिक शब्दावलि का प्रयोग करके विज्ञान तथा तकनीकी विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें तैयार करवाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि आयोग ने, जो इस विषय से सम्बन्धित संगठन हैं, अभी तक सात बुनियादी विज्ञानों (भौतिकी, गणित, रसायनशास्त्र, भूगोल, भूगर्भविज्ञान, जीव-विज्ञान तथा वनस्पति-शास्त्र) में प्रथम स्नातक स्तर के 40,000 शब्दों की विज्ञान शब्दावली को अन्तिम रूप दिया है और उसे प्रकाशित किया है । गणित और भौतिकी में उत्तर स्नातक स्तर के 5,000 अन्य शब्दों को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है । अन्य विषयों में, उत्तर स्नातक स्तर तक शब्दावलि तैयार करने का कार्य चल रहा है । अभी तक इन विषयों में लगभग 1,47,000 शब्द तैयार किए गए हैं जिनमें से 88,100 शब्दों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

(ख) और (ग) जी हां । अभी तक निकाले गए प्रकाशनों का ब्यौरा, बुधवार 24-5-1967 को श्री एस० एम० जोशी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया जा चुका है ।

Unfair Means in Examination

3813. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the results of the High School, Higher Secondary and University examination during the current academic year are better than those of the last year;

(b) whether some decisions have been taken with a view to putting a check on recourse to unfair means by students such as copying in examinations; and

(c) if not, the methods being devised to prevent occasional assaults on Invigilators during the examinations ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagat Jha Azad) : (a) to (c) The information is not readily available and would have to be collected from all the

Boards of Examination/Universities conducting these examinations. It is learnt however, that in some of the Public Examinations conducted this year, the result have been better than last year. For instance, in the Higher Secondary (3-year coures) examination of the Central Board of Secondary Education, New Delhi the pass percentage for 1967 is 65.6 against 62.8 of the last year (1966).

As regards use of unfair means by students, the adoption of necessary measures to curb the evil is the responsibility of the Boards and Universities concerned.

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में चपरासी

3814. श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में इस समय कितने चपरासी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उनमें से कुछ चपरासियों को दैनिक मजूरी के आधार पर रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उन्हें दैनिक मजूरी पर रखने के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्व प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ी

3815. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1960 से लेकर 1967 तक की अवधि में विश्व केल-कूद प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों ने किन-किन खेलों में नाम कमाया और उन्होंने भारत के लिए व्यक्तिगत खेलों में पदक जीते तथा उन्होंने इन प्रतियोगिताओं में कौन कौन सा स्थान प्राप्त किया ;

(ख) उक्त अवधि में राष्ट्रपति ने ऐसे कितने खिलाड़ियों को पुरस्कार दिये; और

(ग) किन-किन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने टीम के रूप में भारत के लिये नाम कमाया ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

देश में विश्वविद्यालय

3816. **श्री दामानी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्यवार विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें कितने रिहायशी विश्वविद्यालय हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है, जिसमें सूचना दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया. देखिये संख्या एल० टी० 827/67]**

विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम

3817. **श्री दामानी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) (एक) पत्राचार पाठ्यक्रम (दो) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्राईवेट विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति देने वाले विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं;

(ख) विश्वविद्यालय की उक्त परीक्षाओं में जितने विद्यार्थी बैठते हैं; और

(ग) क्या ऐसे विद्यार्थी नौकरी करने वाले वर्ग में से है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) (1) दिल्ली विश्वविद्यालय।

(2) आगरा, अलीगढ़, आन्ध्र, बनारस, बिहार, बर्दवान, कलकत्ता, डिब्रूगढ़, दिल्ली, गोहाटी, गोरखपुर, जबलपुर, रांची, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लखनऊ, मद्रास, उत्तरी बंगाल, उस्मानिया, पंजाब, पटना, पूना, सागर, श्री वेंकटेश्वर, उत्कल और विक्रम विश्वविद्यालय।

(ख) सूचना मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) (2) में उल्लिखित विश्वविद्यालयों द्वारा रोजगार से लगे व्यक्तियों और महिलाओं को प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से परीक्षाओं में बैठने की इजाजत दी जाती है।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

3818. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री शा० ना० माइती :
श्री अ० कु० किस्कू :

क्या संसद्-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय सचेतकों का आगामी सम्मेलन कब होने की सम्भावना है; और

(ख) उसकी कार्य-सूची क्या होगी ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) राज्य सरकारों के मुख्य सचेतकों की सुविधा के जानने के पश्चात अगला अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन करने का विचार सामान्यतः अक्टूबर, 1967 में है।

(ग) कार्यसूची यथासमय निश्चित करली जायेगी।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली

3819. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में करोड़ों रुपये की लागत का सामान आयातित पुर्जे न मिलने के कारण बेकार पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सामान का प्रयोग कब से नहीं किया जा रहा है ;

(ग) इस सामान के बेकार पड़े रहने के परिणामस्वरूप प्रयोगशाला को अब तक अनुमानतः कितनी हानि हुई है; और

(घ) इस समबन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Meerut and Kanpur Universities

3820. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether the setting up of Meerut and Kanpur Universities in Uttar Pradesh has been postponed;

(b) if so, whether the Central Government were consulted in this regard; and

(c) whether the University Grants Commission has obtained any information as to why this decision has been taken by the Uttar Pradech Government ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

दादरा नगर हवेली से आदिवासी परिवारों की बेदखली

3821. श्री उमानाथ : **श्री प० गोपालन :**
श्री चक्रपाणि : **श्री नम्बियार :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दादरा-नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने जंगलात की भूमि से आदिवासियों को बेदखल करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने आदिवासी परिवारों को बेदखल किया गया है तथा उनकी बेदखली के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में रेल डाक सेवा कार्यालय

3822. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में इस समय कितने रेल डाक सेवा कार्यालय हैं; और

(ख) 1967-68 में उस राज्य में कितने रेल डाक सेवा कार्यालय खोलने का विचार है और कहां कहां पर ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 18

(ख) बोलनगीर में एक ।

उड़ीसा के रोजगार दिलाऊ कार्यालयों में पंजीबद्ध महिला उम्मीदवार

3823. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अप्रेल, 1967 को उड़ीसा के विभिन्न रोजगार दिलाऊ कार्यालयों में कितनी महिला उम्मीदवारों (स्नातक तथा गैर स्नातक, दोनों) के नाम दर्ज थे, और

(ख) अप्रेल, 1967 के अन्त तक उनमें से कितने उम्मीदवारों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) नियुक्ति सहायता चाहने वाले शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक पढ़े लिखे) बेरोजगारों के सम्बन्ध में अर्ध-वार्षिक जानकारी जून और दिसम्बर मास में इकट्ठी की जाती है। ताजे आंकड़े नीचे लिखे अनुसार है,—

महिला उम्मीदवारों की श्रेणी	31 दिसम्बर 1966 को रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टरों में दर्ज नाम	जनवरी–दिसम्बर, 1966 के बीच नियुक्ति सहायता पानेवाले
ग्रेजुएट (जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट भी शामिल हैं)	78	21
मैट्रिक (जिनमें हायर सैकेण्ड्री पास और इन्टरमीडिएट भी शामिल हैं)	298	154
मैट्रिक से कम (जिनमें अनपढ़ भी शामिल है)	1718	335
कुल	2094	510

भारत में महिलाओं के लिए पोलिटेक्निक

3824. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में (राज्यवार) महिलाओं के लिये कितने पौलिटेक्निक हैं; और

(ख) 1967-68 में राज्यवार ऐसे कितने पोलिटेक्निक खोलने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क)

1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	गुजरात	2
4.	केरल	3
5.	मद्रास	3
6.	मध्य प्रदेश	1
7.	मैसूर	2
8.	उत्तर प्रदेश	2
9.	प० बंगाल	1
10.	चंडी गढ़	1
11.	दिल्ली	1
	जोड़	19

(ख)	1. आंध्र प्रदेश	1
	2. हरियाणा	1
	3. मैसूर	1
	जोड़	3

दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकी अध्ययन विभाग

3825. **श्री उमानाथ :** **श्री प० गोपालन :**
श्री रमानी : **श्री नम्बियार :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकी अध्ययन विभाग के अध्यक्ष को विश्व यात्रा के लिये किसी अमरीकी संस्था से धन मिला था;

(ख) यदि हां, तो यह अनुदान देने वाली संस्था का नाम क्या है; और कितनी राशि का अनुदान दिया गया था और इस यात्रा का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या यात्रा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो कब तथा किन किन देशों की; और

(ङ) क्या धन लेने से पहले सरकार की अनुमति ली गई थी तथा क्या सरकार द्वारा अनुमति दी गई थी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां :

(ख) रॉकफैलर प्रतिष्ठान ने अमरीका, यूरोप और अफ्रीका में अफ्रीकी अध्ययन कार्यक्रमों के संयोजन और कार्यकरण के अध्ययन के प्रयोजन के हेतु इन देशों की अध्ययन यात्रा करने के लिये 6625 डालर का यात्रा अनुदान दिया था ।

(ग) और (घ) यह यात्रा 27 सितम्बर, 1965 से 29 मार्च, 1966 तक की गई थी । अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड, पश्चिम जर्मनी, नाइजीरिया, सूडान, इथोपिया केनिया, उगांडा और तांगानिका देशों की यात्रा की गई ।

(ङ) जी हां ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोग

3826. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री घुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो महीनों में पूर्वी पाकिस्तान से कितने व्यक्ति भारत आये; और

(ख) ये लोग किन किन स्थानों पर बसाये गये हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अप्रेल और मई 1967 में 3,950 व्यक्ति ।

(ख) ये आप्रव्रजक हाल ही में आये हैं । इनमें से जिन व्यक्तियों को सहायता देना आवश्यक समझा गया उन्हें पारगमन शिविरों अथवा सहायता शिविरों में रखा गया है । उन्हें अपनी पारी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि जो लोग बड़ी संख्या में पहले आये थे उनके पुनर्वास के कार्यक्रम को अभी पूरी तरह क्रियान्वित किया जाना है ।

प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया के चेयरमैन का वक्तव्य

3827. **श्री उमानाथ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अप्रेल, 1967 के 'हिन्दू' में प्रकाशित प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया के बोर्ड आफ ट्रस्टीज के चेयरमैन श्री जी० नरसिम्हन के प्रैस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने एशिया फाउन्डेशन के सी० आई० ए० से धन लेने के कारण उसके साथ सम्बन्ध विच्छेद करने तथा 1967 के लिये लिया गया अनुदान वापिस करने के निर्णय की घोषणा की है ;

(ख) क्या ऐसी अन्य भारतीय संस्थाओं का पता लगाने के लिए, जो एशिया फाउन्डेशन से सहायता लेती है, तथा उनके साथ सम्बन्ध तोड़ने के लिए तथा और अधिक धन प्राप्त करना बन्द करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या है और कितना धन प्राप्त किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) गुप्तचर विभाग ने, जिसे आम चुनाओं में तथा अन्य कार्यों के लिये विदेशों से प्राप्त धन के प्रयोग के बारे में जांच करने के लिये कहा गया था, हाल में प्रतिवेदन दिया है ; इस पर अच्छी तरह विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकी अध्ययन विभाग के अध्यक्ष

3828. **श्री उमानाथ** :
श्री नम्बियार :
श्री रमानी :
श्री प० गोपालन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकी अध्ययन के वर्तमान अध्यक्ष की, उनकी नियुक्ति के समय से लेकर अब तक की रचनाओं तथा उनके विचारों की आलोचना

राष्ट्रवादी अफ्रीकियों द्वारा पत्रिकाओं, गोष्ठियों तथा विभिन्न अन्य मंचों से बार-बार की गई है और उनकी रचनायें तथा उनके विचारों को उपनिवेशवाद समर्थक तथा अफ्रीकी विरोधी बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये आलोचना किन-किन मुख्य बातों की की गई है तथा किन किन लोगों द्वारा की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने अफ्रीकी अध्ययन विभाग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद किसी भी समय इन आलोचनाओं के संदर्भ में उनकी रचनाओं तथा उनके आचरण की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) सरकार को इस प्रकार की आलोचना के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

फ्रीमेसॉनिक लॉज

3829. **श्री रमानी :** **श्री प० गोपालन :**
श्री उमानाथ : **श्री नम्बियार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत में चल रहे फ्रीमसॉनिक लॉज, की श्रृंखला तथा उनकी गतिविधियों की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार ने इन लॉजों की गुप्त गतिविधियों के बारे में किसी प्रक्रम पर जांच की है,

(ग) क्या यह सच है कि अनेक उच्च सरकारी पदाधिकारी इस संस्था के सदस्य बन गये हैं और उन्होंने उसकी गोपनीयता की शपथ से अपने आपको बांध लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संस्था के सदस्य बनने से पूर्व उन अधिकारियों ने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली थी;

(ङ) क्या इस संस्था की सदस्यता ग्रहण करने से इन अधिकारियों की राज्य तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर पड़ सकने वाले प्रभाव के बारे में सरकार ने किसी प्रक्रम पर पुनर्विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पुनर्विचार के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) नियमों के अनुसार पहले इस प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेवा निवृत्तियां

3830. **श्री दामानी** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी सेवा में निम्नलिखित वर्गों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की औसत वार्षिक दर कितनी हैं—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी;

(दो) अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी;

(तीन) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी;

(चार) केन्द्रीय सचिवालय में सेक्शन अफसर, सहायक तथा कलर्क; तथा

(पांच) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी; और

(ख) इस प्रकार सेवानिवृत्ति के कारण देय भविष्य निधि, उपदान तथा अन्य सुविधाओं के रूप में दी जाने वाली नकद राशि यदि कोई हो तो उसकी वार्षिक औसत क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्थायी श्रम समिति की बैठक

3831. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थायी श्रम समिति, जिसकी 10 मई, 1967 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी, बैठक के लिए परिचालित की गई कार्यसूची की सभी मदों पर विचार न कर सकी; और

(ख) समिति की इस बैठक में क्या क्या मुख्य निर्णय किये गये ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण, जिसमें उक्त बैठक में किए गए मुख्य निर्णयों और सिफारिशें दी गई है, सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 828/67**]

Charge Sheeted Delhi Administration Employees

3832. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Government Servants in the Delhi Administration charge-sheeted during 1963-64 and the details in respect thereof, Department-wise; and

(b) the number of cases out of them pending about which Government could not take any decision so far during the last 4 years and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministery of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) A statement is attached. [**Placed in Library, See. No- L. T. 829/67**]

चुरुलिया कोयला खान

3833. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि न्यू चुरुलिया कोल कम्पनी, रानीगंज की चुरुलिया कोयला खान के कर्मचारियों को 12 सप्ताह से उनके सप्ताहिक वेतन, 7 मास से मासिक वेतन तथा 9 महीनों का त्रिमासिक बोनस नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या 1965 का लाभ में हिस्से का बोनस भी उन्हें नहीं दिया गया है;

(ग) क्या प्रबन्धकों ने सरकार को तथा कर्मचारियों को कोई सूचना दिये बिना ही कोयला खान छोड़ दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 6 सप्ताहों की साप्ताहिक मजूरी, 5 महीनों की मासिक मजूरी और 2 तिमाहियों के तिमाही बोनस की अदायगी अभी बाकी है ।

(ख) यह पहली जून, 1967 को दिया जाना था लेकिन इनकी अदायगी अभी तक नहीं हुई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) मासिक मजूरी की अदायगी न करने के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है । साप्ताहिक मजूरी और बोनस का भुगतान न करने के बारे में भी ऐसी ही कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ।

इस कोयला खान को दोबारा चलाने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं । यदि ये प्रयास असफल रहें, तो कामबंदी पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के मुआवजा भुगतान उपबन्ध लागू किए जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश में डाकियों के लिये क्वार्टर

3834. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अप्रेल, 1967 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न डाकघरों में कितने डाकिये काम कर रहे थे;

(ख) उनमें से कितने डाकियों को क्वार्टर मिले हुए हैं;

(ग) कितने डाकिये किराये के मकानों में रह रहे हैं; और

(घ) किराये के मकानों में रहने वाले डाकियों को क्वार्टर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 5572

(ख) 121 डाकियों को विभाग द्वारा क्वाटर दिये गये हैं।

(ग) 5451 डाकियों को विभाग से क्वाटर नही मिले हैं,

(घ) कर्मचारियों के लिये विभिन्न स्थानों में क्वार्टर बनाने के प्रस्ताव हैं। धन उपलब्ध होने पर उनका निर्माण किया जायेगा।

सेवाओं के सभी स्कन्धों के कर्मचारियों के लिये बिना भेद-भाव के मकान बनाने के विचार हैं, निर्धारित नियमों के अनुसार डाकियों को भी इनमें से क्वाटर दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश में शिक्षित लोगों की बेरोजगारी की समस्या

3835. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में शिक्षित लोगों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कोई योजना प्रायोजित की है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन अलग अलग राज्यों में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं के फल स्वरूप शिक्षितों, तथा अन्य लोगों के लिए भी, अतिरिक्त नियुक्ति-अवसर प्राप्त होंगे।

उत्तर प्रदेश, में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बेरोजगार व्यक्ति

3836. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अप्रेल, 1967 को उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : इस सम्बन्ध में अर्धवार्षिक जानकारी हर छः माह बाद जून और दिसम्बर महीने में इकट्ठी की जाती है। उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 31 दिसम्बर, 1966 को दर्ज उम्मीदवारों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है:

(क) शिक्षित लोग (मैट्रिक और इससे अधिक)	1,16,018
(ख) अनुसूचित जातियां	14,792
अनुसूचित आदिम जातियां	3

उत्तर प्रदेश में अधिसूचित किये गये तथा भरे गये रिक्त स्थान

3837. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अप्रेल, 1967 को उत्तर प्रदेश के सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में अधिसूचित रिक्त स्थानों की संख्या कितनी थी, और

(ख) उन संस्थानों में अप्रेल, 1967 के अन्त तक विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से भरे गये रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जानकारी नीचे दी गई है:–

संस्थापनाएं	जनवरी से अप्रेल 1967 के दौरान सूचित रिक्त स्थानों की संख्या	जनवरी से अप्रेल, 1967 के बीच भरे गए रिक्त स्थानों की संख्या
सरकारी क्षेत्र	18,558	12,429
निजी	7,787	4,799

उत्तर प्रदेश में इंजिनियरों को रोजगार

3838. **श्री गुणानन्द ठाकुर :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे इंजीनियरों की संख्या कितनी है जिन्होंने वर्ष 1966-67 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरी कालेजों तथा प्राद्योगिकीय संस्थाओं से परीक्षा पास की तथा जिन्हें रोजगार नहीं मिला; और

(ख) उन्हें रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) वांच्छित जानकारी प्राप्त नहीं है। फिर भी उत्तर प्रदेश में 1966-67 में 1516 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट उत्तीर्ण हुए। उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 31 दिसम्बर, 1966 को 235 इंजीनियरिंग, ग्रेजुएटों (जिसमें पोस्ट-ग्रेजुएट्स भी शामिल है) के नाम दर्ज थे।

(ख) पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन चल रही विभिन्न विकास योजनाओं के फल स्वरूप, आशा है, इंजीनियरों के लिए बढ़े हुए रोजगार अवसर प्राप्त होंगे।

विश्वविद्यालय कालेज

3839. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कुछ विश्वविद्यालय कालेजों को पूर्ण विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या विशेष विशेषाधिकार तथा अनुदान प्राप्त होंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) और (ख : सुस्थापित कालेजों को स्वायत्त स्तर प्रदान करने के संबंध में शिक्षा आयोग की सिफारिश पर (इसकी अन्य सिफारिशों के साथ-साथ) विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास

3840. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल में पुनर्वास सम्बन्धी समस्याओं के बारे में 18 मई, 1967 को उस राज्य के पुनर्वास मन्त्री के साथ विचार-विमर्श किया था;

(ख) क्या इस प्रश्न पर केन्द्र तथा राज्य के बीच का मतभेद दूर हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो किस सम्बन्ध में ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) 18 मई, 1967 को केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री ने कुछ औपचारिक तथा आम विषयों पर पश्चिम बंगाल के पुनर्वास मंत्री के साथ विचार–विमर्श किया था। विचारों का आदान प्रदान अत्यधिक लाभप्रद था। पश्चिम बंगाल में पुनर्वास सम्बन्धी समस्याओं के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के रवैये तथा दृष्टिकोण में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। इस समय मुख्य कठिनाई वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को महंगाई भत्ता

3841. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार का विचार 1000/–रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता बन्द करने का है;

(ख) क्या उसने केन्द्रीय सरकार से इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देने को लिखा है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भी इस सम्बन्ध में ऐसा ही पग उठाने का है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले पर फिर से विचार करने तथा 1000/- रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को महंगाई भत्ता मंजूर करने वाले आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है ।

(ग) जी, नहीं ।

उड़ीसा के कालेजों तथा स्कूलों के अध्यापक

3842. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री ख० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के सम्बद्ध कालेजों तथा स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान बढ़ाने के लिये 1966-67 में कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क)और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1966-67 के दौरान, स्टेवर्ट साइंस कालेज, कटक को दूसरी आयोजना के वेतन मानों को लागू करने के लिए 2,000 रुपये दिये गये थे ।

हाई स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों में सुधार के लिये, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता सीधे ही नहीं दी जाती है ।

डाकघरों में जमा राशि

3843. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 अप्रेल, 1967 को छोटी बचत योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के विभिन्न डाकघरों में कुल कितनी राशी जमा थी ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा में विभिन्न डाकघरों में 30 अप्रैल, 1967 को कुल

राशि कितनी जमा थी, इस बारे में आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं, तथापि, 1 अप्रेल, 1966 से 30 अप्रेल, 1967 तक की अवधि में कुल राशि 12, 68, 23,000 रुपये जमा हुई थी और इसी अवधि कुल जमा राशि 3,23,81,000 रुपये थी।

उड़ीसा में स्कूलों के होस्टल

3844. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार को राज्य में स्कूलों के होस्टलों के निर्माण के लिये 1966-67 में कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन, सामान्य शिक्षा के कार्यक्रमों के लिये 1966-67 के दौरान राज्य सरकार को 36.66 लाख रुपये की कुल सहायता स्वीकृत की गई थी।

उड़िया भाषा का साहित्य

3845. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1966-67 में उड़िया साहित्य तथा संस्कृति के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को कोई अनुदान दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीया भाषा के विकास की अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा सरकार को 27,250 रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया था।

उड़िया भाषा के नाटकों का संबंर्धन

3846. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 में संगीत नाटक अकादमी ने उड़ीसा को राज्य में उड़िया भाषा के नाटकों के संवर्धन के लिये कोई वित्तीय सहायता दी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1966–67 में संगीत नाटक अकादमी ने **पखवाज** प्रशिक्षण के लिये उड़ीसा संगीत परिषद्, पुरी को 3000/– रुपये का अनुदान दिया था।

उड़ीसा के जिला गजेटियर्स

3847. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला गजेटियर्स तैयार करने तथा उनके मुद्रण के लिये 1967–68 में उड़ीसा सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) और (ख) : उड़ीसा सरकार द्वारा जिला गजेटियर्स के संकलन और मुद्रण पर किए गए खर्च का 40 प्रतिशत उसे 1967–68 के दौरान केन्द्रीय सहायक–अनुदान के रूप में मिलेगा। संकलन के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा 14,800.00 रु० प्रति खण्ड है।

मोजम्बीक से स्वदेश आने वाले लोग

3848. **श्री ख० प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोजम्बीक से स्वदेश लौटने वाले लोगों के पुनर्वास के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : प्राप्त सूचना के अनुसार, मोजम्बीक से स्वदेश लौटने वाले अधिकतर लोग गुजरात में बस गये हैं। उनके पुनर्वास के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा इस प्रकार है—

(1) स्वदेश लौटने वाले गरीब लोगों को 100 रुपये प्रति मास तक प्रति परिवार वित्तीय सहायता दी गई है। खर्च की यह राशि गुजरात सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान रूप से वहन की जाती है।

(2) स्वदेश लौटने वाले इन लोगों को व्यापार अथवा लघु उद्योग चलाने के लिये 3 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर ऋण दिये गये/जाते हैं। यह ऋण प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक 5000 रुपये तक दिया जाता है।

(3) कृषि-भूमि के आवंटन के मामले में स्वदेश लौटे हुए इन व्यक्तियों को उसी आधार पर वरीयता दी जाती है जिस आधार पर पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों की दी गई है।

(4) स्वदेश लौटे इन लोगों के बच्चों को गुजरात में लागू योजनाओं के अन्तर्गत सभी सुविधाएं प्राप्त हैं—यथा निःशुल्क शिक्षा छात्रवृत्तियां तथा स्कूलों में मुफ्त पुस्तकों की व्यवस्था, इन लोगों के बच्चों को 200 रुपये तक की पुस्तकें प्रति परिवार, प्रति वर्ष मुफ्त दिये जाते हैं।

तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में, इनके बच्चों को तकनीकी संस्थाओं में साधारणतया कुल फीस को मिलाकर जो राशि बनती है, वह तथा इसके अलावा और 60 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक भत्ता दिया जाता है।

(5) अनाज, चीनी तथा गुड़ नियंत्रण आदेश, जैसे विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत स्वदेश लौटे इन व्यक्तियों को व्यापार–लाइसेंस देने के लिये विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है।

गुजरात सरकार ने बताया है कि गुजरात आये हुये लगभग सभी 500 परिवार बसाये जा चुके हैं, गुजरात सरकार द्वारा दी गई पुनर्वास सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(एक) 143 परिवारों को 3,27,500 रुपये के ऋण दिये गये हैं।

(दो) स्वदेश लौटे इन लोगों के चार औद्योगिक कारखानों को कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस दिये गये हैं।

(तीन) 3 परिवारों को खेती के लिये 23 एकड़ भूमि दी गई है,

(चार) 20 परिवारों को उचित मूल्य वाली दुकानों के लाइसेंस दिये गये है।

(पांच) 22 परिवारों को चीनी के लाइसेंस दिये गये हैं।

(छः) 47 परिवारों को, जो कि गरीबी की परिस्थिति में हैं, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति मास तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(सात) मोजम्बीक से स्वदेश लौटे लोगों के 73 बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें मिल रही हैं,

(आठ) 4 व्यक्तियों को सरकारी रोजगार मिल गया है।

Teachers of Central Hindu School, Varanasi

3849. Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of Education be pleased to state;

(a) whether the University Grants Commission has received any memorandum from the teachers of the Central Hindu School, Varanasi. run by the Banaras Hindu University regarding their pay-scales; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) In June, 1966, a representation was received by the University Grants Commission from teachers of the Central Hindu School through the Banaras Hindu University. The University had recommended relaxation of the postgraduate qualifications in respect of a few senior graduate teachers, who had been teaching High school classes for several years, for being placed in the postgraduate scales. The Commission informed the University that the representations should be dealt with by the University in accordance with its rules.

केरल में स्कूलों के लिये स्थान

3850. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दन :
श्री अविचन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने स्कूलों के लिये सरकारी स्थान की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान अथवा ऋण मांगा है; और

(ख) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) केरल के शिक्षा मंत्री ने उस राज्य के स्कूलों के आवास में सुधार करने के लिए एक विशेष अनुदान अथवा ऋण की प्रार्थना की थी।

(ख) इस प्रार्थना को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका है, क्योंकि केन्द्रीय आयोजना में ऐसी सहायता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

3851. श्री यशपाल सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी नगरों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या बढ़ाने की मांग बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजरात) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने टेलीफोन व्यवस्था में चालू कुल लाइनों की संख्या के 2 प्रतिशत पी० सी० ओस. एक वर्ष के भीतर बढ़ाने तथा उसके बाद फिलहाल 5 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा करने

के लिये प्रयत्न करने के सम्बन्ध में हाल में अनुदेश जारी किये हैं। दीर्घ कालीन योजनाओं के लिये इसे 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत तक करने के हेतु व्यवस्था की जायेगी।

Central Hindi Directorate

3852. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Education** be pleased to state the number of Deputy Directors working in the Central Hindi Directorate at present and their pay scales and the nature of work assigned to them ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : There are at present two Deputy Directors working in the Central Hindi Directorate. Their scale of pay is Rs. 900-50-1250. The work assigned to them is indicated below :

1. **Deputy Director** (Administration) :

He assists the Director in the day-to-day administration of the office. He is directly responsible for all work relating to Administration, Establishment. Accounts, Budget, House-keeping, Financial matters, etc He is also functioning as Drawing and Disbursing Officer.

2. **Deputy Director** (Publication)

He looks after the schemes relating to preparation, translation and publication of books in collaboration with publishers, preparation of publicity material and production of literature, compilation of Departmental publications, such as 'Bhasha', a quarterly magazine and' Hindi Samachar Jagat', a monthly Bulletin, work relating to development of Devanagari script, evolution of standard system of Hindi Shorthand. He is also in charge of the Information Centre, Exhibitions, Cultural Programmes. recognition of Hindi Examinations etc.

Coordination Cell in Central Hindi Directorate

3853. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Education** be pleased to state

(a) Whether it is a fact that a Reference and Coordination Cell was formed in the Central Hindi Directorate ;

(b) if so, the date of its formation and the number of persons working in it as on the 1st January, 1967 and the number of persons working in it at present ; and

(c) the details regarding the work assigned to the aforesaid Cell and the volume of work completed by it so far ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) Yes, Sir. A Reference and Coordination Cell was set up in the Central Hindi Directorate on 2nd August, 1966, with 7 Research Assistants and 2 Technical Assistants, drawn temporarily from the Manuals Translation Unit. The Cell was set up for the adhoc

purpose of preparing reference cards of the terms and expressions used in the translation of various manuals etc. This work has since been stopped with effect from 1st April, 1967. The work which was assigned to the Cell when it was set up has been completed.

Holidays on Hindu Festivals

3854. Shri Mahant Digvijay Nath :
Shri Achal Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) The reasons due to which important festivals of Hindus such as Holi, Shivaratri, Vaisakhi. Raksha Bandhan, etc. were not declared as closed holidays for the Central Government employees, whereas holidays pertaining to other communities were not curtailed at all ; and

(b) whether a list of holidays for the current year will be laid on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy : (a) As a result of the recommendations of the Second Pay Commission, the number of public holidays was reduced from 23 to 16, Since the largest number of holidays were for Hindu festivals, some of them had to be omitted. Raksha Bandhan has not been a closed holiday at any time, while Holi is still being observed as a closed holiday. Shivratri and Vaisakhi are included in the list of restricted holidays and any employee, who wishes to observe these festivals, can do so by availing of the two restricted holidays allowed in a year.

(b) A list of holidays for 1967 is attached. **[Placed in Library See No. LT-830/67]**

टेलीफोन प्रणाली

3855. श्री यशपाल सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान टेलीफोन प्रणाली की विभिन्न त्रुटियों की जांच के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्तियों, कार्मिक संघ के नेताओं तथा तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब तक किया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग की फोटो विश्लेषण संस्था

3856. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग की भारतीय फोटो विश्लेषण संस्था की फोटोग्रामिट्री में कितने विदेशी विशेषज्ञ है ;

(ख) विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त करने का क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस संस्था की स्थापना से पहिले अखिल भारतीय भू तथा भूमि आयोग सर्वेक्षण विभाग, भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, केन्द्रीय शुष्क प्रदेश अनुसन्धान संस्था, जोधपुर आदि संस्थाओं ने विमान से लिये गये चित्रों का उपयोग किया था ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) फोटोग्रामिट्री के लिए संस्थान में कोई विदेशी विशेषज्ञ नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां । इन चारों संगठनों ने हवाई चित्रों का उपयोग किया था ।

ब्रिटेन के बालचर (स्काउट्स) दल द्वारा भारत का दौरा

3857. **श्री आत्मदास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'आस्ट्रेलिया के लिए ब्रिटिश बालचर अभियान' नामक ब्रिटेन का एक बालचर दल आस्ट्रेलिया जाते हुए भारत की यात्रा कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या क्या सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) कोई सुविधाएं नहीं मांगी गई हैं ।

भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, 1947 का लागू किया जाना

3858. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम. 1947 को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जैसे कि अधिनियम में व्यवस्था की गई है, सरकार की नीति ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य मान्यता की अपेक्षा स्वैच्छिक मान्यता पर बल देने का है। भारतीय श्रम सम्मेलन (मई, 1953) ने ट्रेड यूनियनों को स्वैच्छिक मान्यता के लिए कुछ कसौटियां निर्धारित की थी, जो कि इस समय उद्योग में अनुशासन संहिता की अंग हैं।

Fire in Jhuggis in Shanker Market, New Delhi

3859. **Shri Bramhanandji :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state;

(a) whether it is a fact that 80 Jhuggis caught fire near Shanker Market, New Delhi, on the 5th June, 1967;

(b) if so, the causes of the fire;

(c) the extent of damage sustained as a result thereof; and

(d) the nature of relief given by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) There was no fire affecting 80 jhuggis near Shanker Market, New Delhi on the 5th June, 1967. The reference is presumably to the fire which occurred in jhuggis near Minto Bridge, New Delhi on the 31st May, 1967. More than 100 jhuggis were gutted by fire. The cause of the fire is reported to be a dropped light in one of the huts. The damage is estimated to be Rs. 40,000/-approximately. An ad hoc grant of Rs. 40/- per jhuggi has been sanctioned by the New Delhi Municipal Committee.

Representation to States in Central Services

3860. **Shri T. Ram :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the percentage of employees in the Central Services belonging to each State, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Article 16 of the Constitution provides that there shall be equality of opportunity for all citizens in metters relating to employment or appointment to any office under the State. No domiciliary restrictions have been imposed in the matter of recruitment to the Central Services and candidates from all States have equal opportunity to compete for appointment to the Central Services.

2. A census of Central Government servants belonging to the various Central Services on the basis of the State from which they hail, had never been undertaken by Government. The information asked for in the question is not, therefore, available with Government and the collection of these figures will involve a comprehnsive census of nearly 2.5 million Central Government servants, spread out throught the country and this will entail considerable expenditure and delay. The utility of the information will not be commensurate with the labour and expnditure involved in collecting it.

Re-employment of Retired Officers

3861. **Shri Mudrika Singh :**
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of retired Indian Civil Service Officers who, within two years of their retirement, were given permission for seeking employment during the last three years;

(b) the number of those among them who entered Government/Semi-Government/private service; and

(c) the number of persons retired from High Courts/Supreme Courts who were given Government assignments during said period ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

नेहरू संग्रहालय को अन्यत्र ले जाना

3862. श्री आत्म दास : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार नेहरू संग्रहालय को तीन मूर्ति से हटा कर शान्ति बन ले जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Gymnasiums

3863. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of gymnasiums established in the country with Government assistance after the attainment of Independence; and

(b) the monthly or annual amount being given by Government to gymnasiums and the number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) 66

(b) Nil

Indian Sportsmen in Olympics

3864. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the reasons as to why the performance of Indian Sportsmen at the Olympic games is poor;

(b) the steps being taken by Government to ensure that the Indian sportsmen get a place in the Olympic games in keeping with the prestige of India and win laurels in every sphere as sportsmen from Russia, America and Japan do; and

(c) whether Government have taken any effective steps for the improvement of gymnastics ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Considering the fact that it is only in recent years that Government have taken active interest in organising the development of games and sports on an All India basis, the performance of Indian contingent in the last Olympic Games, held at Tokyo in 1964. cannot really be regarded as poor, within the limited resources.

(b) Every effort is being made by Government to encourage Indian sportsmen and it is hoped that our performance in the next Olympic Games, should India participate, would be better than the previous one though it cannot be said that in every sphere we would bring laurels like Russia, America and Japan who have more financial resources available and have had long organised experience in these events.

(a) Steps have been taken to improve Gymnastics by providing training facilities at the National Institute of Sports, Patiala. Physical Education Training Colleges and other educational institutions. Financial assistance is also rendered to the Gymnastic Federation of India for holding the annnal national championships.

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायकों की पदोन्नति में गतिरोध

3865. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायकों की पदोन्नति में गतिरोध के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई संयुक्त सचिवों की समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में वरिष्ठ सहायक नाम से सहायकों की एक नई श्रेणी बनाने के बारे में क्या सिफारिश की गई है और उस नये पद के लिये क्या वेतन-क्रम निर्धारित करने की सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में हो तो प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) यह विषय उन विभिन्न मामलों में से एक था जो इस समिति के विचारार्थ सौंपे गये थे। चूंकि इस समिति ने अपना पहला प्रतिवेदन दे दिया है जिसमें वे मामले हैं जिन पर वह पहले ही विचार कर चुकी है किन्तु इस विशेष मामले पर वह हाल ही में विचार कर रही है और ऐसी आशा है कि इस सम्बन्ध में उसकी सिफारिशें जल्दी ही प्राप्त हो जायेंगी।

Expenditure on Indian Sports and Gymnastics

3866. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the amount spent annually on Western sports like Cricket, Hockey, Badminton, Tennis etc. and that on Indian sports like wrestling and gymnastics; and

(b) whether Government has any schemes to promote Indian sports and gymnastics ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) National Sports Federations are primarily responsible for the development of various games and sports. However, in so far as Government are concerned, financial assistance

is given on the recommendation of the All India Council of Sports after examining each case on merits. No fixed annual allotment is made for any particular game.

(b) For indigenous games and gymnastics, proposals received in this behalf from National Federation concerned are given due consideration.

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्था, नई दिल्ली

3867. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत से विदेशी एजेंट पश्चिमी देशों के सीधे संरक्षण में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्था, नई दिल्ली में अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी अनुसन्धानकर्ता छात्रों की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण रखा जाता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) जहां तक भारत सरकार को पता है, स्कूल में कोई भी विदेशी एजेंट अनुसंधान कार्य नहीं कर रहा है। किन्तु 1 जून, 1967 को स्कूल में सात विदेशी छात्र थे। ये विद्यार्थी अन्य भारतीय विद्यार्थियों की भांति ही शैक्षिक कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए स्कूल के प्राधिकारियों द्वारा इन पर कोई विशेष नियंत्रण रखना आवश्यक नहीं समझा गया है।

Military Training School, Nowgong

3868. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No, 397 on the 3rd April, 1967 and state the purpose for which Government propose to utilise the Military Training School Building, Nowgong;

(a) whether Government propose to utilize other buildings, costing lakhs of rupees, lying vacant at Nowgong; and

(b) if so, the time by which it would be done ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The building, which is also known as Old Army Cadet College, is being utilised as a training centre.

(a) We have no information about any such buildings.

(b) Does not arise.

Primary and Secondary Education in M. P.

3869. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the total amount sanctioned by the Central Government for spreading primary and secondary education in Madhya Pradesh during the last three Five Year Plan Periods under the centrally sponsored schemes;

(b) whether the Madhya Pradesh Government made any demand during 1966-67 for grants-in-aid; and

(c) if so, the amount thereof and the amount sanctioned by the Central Gover - ment ?

The Minister of State in the Ministry of Eduatcion (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) During the Third Five Year Plan Period a total amount of Rs. 83,40,371.25 was sanctioned by the Central Government for centrally sponsored schemes including Advance Action Programmes. The information in respect of the First and the Second Plan Periods is being collected and will be laid on the table of the House.

(b) and (c) Yes, Sir. Under Centrally Sponsored Schemes in the field of Primary and Secondary Education, the Government of Madhya Pradesh requested for a payment of Rs. 28,00,200/- and the same was sanctioned.

कलकत्ता की गोदियों में माल उतारना चढ़ाना

3870. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री सीताराम केसरी :
श्री शशि रंजन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता की गोदियों में कम माल उतारने-चढ़ाने की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) हाल ही में छंटनी किये गये बोरियां भरने वाले और बोरियां सीने वाले मजदूरों को पुनः काम पर लेकर पंजीकृत मजदूरों के दल में 2,000 से अधिक रिक्त स्थान न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) दो प्रोत्साहन टनभार योजनाएं (एक खाद्यान्न और दूसरी नमक के जहाजों के बारे में) 16 मार्च, 1965 से शुरू की गई। प्रोत्साहन देने सम्बन्धी टनभार की और योजनाएं जो अन्य जहाजी सामान उठाने के बारे में हैं, विचाराधीन हैं।

(ख) वर्तमान रिक्त स्थानों की संख्या 908 है, न कि 2,000। कलकत्ता बोर्ड ने अब सब-रिजर्व पूल के 60 वर्तमान रोलियों और 645 अस्थायी रजिस्टर्ड रोलियों को पक्का करने के बाद स्तानान्तरण करके इन रिक्त स्थानों में से 705 रिक्त स्थान भरने का निर्णय कर लिया है। आगे 700 कामगारों का एक पूल बनाया जा रहा है। ये श्रमिक पहले अस्थायी सूचीबद्ध बोरियां भरने वाले श्रमिकों के रूप में भर्ती किये जायेंगे। जब खाद्यान्न जहाजों की भीड़ होगी तो ये श्रमिक बोरियां भरने वाले श्रमिकों के रूप में काम करेंगे, अन्यथा वे भी रोलियों के रूप में काम करेंगे।

राज्यपालों की नियुक्ति

3871. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री कं० हाल्दार :
श्री भगवान दास :
श्री रमानी :
श्री नायनार :
श्री पी० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्र 'युगान्तर" के दिनांक 5 जून, 1967 के अंक में पृष्ठ 3 पर प्रकाशित लेख की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यपाल के उच्च पद पर नियुक्ति करने में किसी व्यक्ति की उपयुक्तता पर ही मुख्य रूप से विचार किया जाता है।

कलकत्ता पतन श्रमिक

3872. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सीताराम केसरी :
श्री शशि रंजन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व पूल के श्रमिकों का मासिक रजिस्टर में तबादला करने की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता पतन के 100 गोदी श्रमिकों को रिजर्व पूल से मासिक रजिस्टर में तबदीली कराने से रोक दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना, 1956 में रिजर्व पूल के श्रमिकों का मासिक रजिस्टर में तबादला करने के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का कोई विशेष उपबन्ध नहीं है। परन्तु यह बात दृष्टि में रखते हुए कि इस योजना में मासिक रजिस्टर भरने की व्यवस्था है और मासिक रोजगार और अच्छा रोजगार है। कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड ने रिजर्व पूल के कुछ श्रमिकों की बदली कलकत्ता गोदी के नौभरक मैसर्स नरेश नाथ मुकर्जी के मासिक रजिस्टर में स्वीकार की है, बशर्ते कि गैंग श्रमिकों के मामले में, एक गैंग के सब श्रमिक ऐसी बदली को मान लें।

(ख) और (ग) मैसर्स नरेश नाथ मुकर्जी ने निम्नलिखित रजिस्टर श्रमिकों को पूल से मासिक रजिस्टर में बदलने के लिये निवेदन किया है :

56 गैंग श्रमिक।
10 वियमैन।
1 हैच फोरमैन।

कलकत्ता बोर्ड ने उन 4 गैंगों (जिनमें 31 श्रमिक, 10 विंचमैन और 1 हैच फोरमैन शामिल है), जिन्होंने पूल से मासिक रजिस्टर में बदली की अपनी स्वीकृति लिखित रूप में दे

दी थी, की बदली मंजूर कर ली है। यह प्रश्न कि उन गैंगों के बारे में क्या किया जाना चाहिए, जिनके सभी श्रमिकों ने मासिक रोजगार के लिये अपनी रजामन्दी व्यक्त नहीं की है, बोर्ड की सामान्य समिति की अगामी बैठक में विचार-विमर्श के लिए रखा जाने वाला है।

विदेशों में भारतीय छात्र

3874. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तथा भारत से बाहर के अन्य विश्वविद्यालयों में भारतीय राष्ट्रजन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से भिन्न विषयों की शिक्षा पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा कहां-कहां पर;

(ग) उन छात्रों पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है; और

(घ) जब इन विषयों के अध्यापन की सुविधाएं देश में उपलब्ध हैं तो उन्हें विदेशों में जाने की अनुमति क्यों दी जाती है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) 1–1–1965 को उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, विदेश में विज्ञान और टेक्नोलोजी के अलावा दूसरे विषयों में अध्ययन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देश-वार संख्या अनुबन्ध में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 831/67**]

(ग) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लन्दन, आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तथा अन्य विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों पर हुआ विदेशी मुद्रा का खर्च प्रति विद्यार्थी, 10,000 रु० (अवमूल्यन से पहले) वार्षिक है। किन्तु अमेरिकी विश्व-विद्यालयों के मामले में यह दर 15,000 रु० (अमूल्यन से पहले) प्रति विद्यार्थी वार्षिक है।

(घ) सरकार की आम नीति के अनुसार भारतीय विद्यार्थियों को, उत्तर-स्नातक अध्ययनों अथवा उच्च कार्य। अनुसंधान अथवा उन विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये विभिन्न छात्र वृत्तियों की योजनाओं के अन्तर्गत विदेश भेजा जाता है जिनके लिए देश में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और अध्ययन। अनुसंधान' प्रशिक्षण के जो विषय राष्ट्रीय महत्व के समझे जाते हैं। तथापि, किसी विश्वविद्यालय में किसी एक विषय में गैर-तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के लिए भी किसी विद्यार्थी को विदेशी मुद्रा दी जा सकती है बशर्ते कि वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो जैसे कि उसने भारत में आनर्स डिग्री अथवा मास्टर्स डिग्री में उस सम्बन्धित विषय में 60 प्रतिशत से कम अंक न प्राप्त किए हों।

टेलीफोन राजस्व

3875. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से टेलीफोन विभाग से वार्षिक आय कितनी होती है;

(ख) इस समय मध्य प्रदेश में टेलीफोन राजस्व की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ग) मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा संस्थानों में टेलीफोन राजस्व की कितनी राशि बकाया है; और

(घ) उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री(श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 213·91 लाख रुपये ।

(ख) 31 अक्तूबर, 1966 तक जारी किये गये बिलों की 1 फरवरी, 1967 को देय बकाया राशि 8·46 लाख रुपये थी ।

(ग) 3·15 लाख रुपये राज्य सरकार के नाम हैं और 86 हजार रुपये केन्द्रीय सरकार के नाम ।

(घ) इन टेलीफोन बिलों का भुगतान न करने वालों के टेलीफोनों के, जिसमें सरकारी टेलीफोन भी शामिल हैं, कनक्शन काट दिये गये हैं । इन राशियों को जल्दी वसूल करने के हेतु चूककर्ताओं से अपने टेलीफोन बिलों का भुगतान करने के लिये कहा जा रहा है और कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है ।

मध्य प्रदेश में सीधे डायल घुमा कर दूरस्थ स्थानों को टेलीफोन करने की सुविधायें

3876. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के किसी नगर में सीधे डायल घुमा कर दूरस्थ स्थानों को टेलीफोन करने की सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या है;

(ग) क्या भोपाल, जबलपुर, इन्दौर और रायपुर में सीधे डायल घुमा कर दूरस्थ स्थानों को टेलीफोन करने की सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इन्दौर तथा भोपाल में करीब तीन-चार वर्ष में और जबलपुर तथा रायपुर में लगभग पांच वर्ष में, तथापि, ये लक्ष्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं ।

(ड़) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम में डाक तथा तार के कर्मचारी

3877. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण, नागालैंड, मनीपुर तथा त्रिपुरा को छोड़ कर डाक तथा तार के वर्तमान कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी हैं; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, खासी, गारो तथा मिजो क्षेत्रों के रहने वाले हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 8,932

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

पुनर्वास विभाग के उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकारी

3878. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री इसहाक साम्भली :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास विभाग के लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय में कितने अधिकारी/कर्मचारी तीन वर्षों से अधिक समय से लगातार काम कर रहे हैं;

(ख) इतनी लम्बी अवधि से उनके लगातार वहां बने रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि उस कार्यालय में आरम्भ में निम्न पद पर नियुक्त किये गये अधिकारियों को उसी कार्यालय में काम करने दिया जाता है, हालांकि उन्हें कई पदोन्नतियां भी मिल चुकी हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अधिकारी–2 और कर्मचारी–64।

(ख) प्रशासनिक कारणों से तथा लोक हित में।

(ग) जी, हां।

उत्तर प्रदेश खण्ड में भ्रष्टाचार आदि के अनिर्णीत मामले

3879. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री इसहाक साम्भली :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास विभाग के लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के कितने तथा किस-किस आरोप के मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख उक्त कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस तथा सी० आई० डी० के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं और उनका स्वरूप क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पांच (5)

(एक) दस्तावेजों का नष्ट करना	1
(दो) निष्क्रान्त सम्पत्तियों का अधिकृत हस्तान्तरण	3
(तीन) बिक्री प्रमाणपत्र का छल-कपट से जारी किया जाना	1
कुल :	5

(ख) 7 विशेष पुलिस संस्थान/सी० आई० डी० के मामले। ये प्रतिकर का कथित अनियमित वितरण/समायोजन, छल-कपट करके सम्पत्तियों की बिक्री तथा जालसाजी से सम्बन्धित हैं।

(ग) जहां तक भाग (क) में उल्लिखित 5 मामलों का सम्बन्ध है, दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को चार्ज-शीट दी गई है और जांच चल रही है। भाग (ख) में उल्लिखित 7 विशेष पुलिस संस्थान/सी० आई० डी० के मामलों में से एक मामले में विशेष पुलिस संस्थान ने सक्षम न्यायालय में मुकदमा चलाया है और मामला न्यायाधीन है। शेष 6 मामलों के बारे में जांच चल रही है।

पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी बनाना

3880. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री इसहाक सामली :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास विभाग के उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी बनाया गया है;

(ग) कितने कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी नहीं बनाया गया तथा उसके क्या कारण हैं;

(घ) कितने मामलों में कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी बनाने के पश्चात् अस्थायी कर दिया गया है; और

(ङ) किन परिस्थितियों, नियमों तथा हिदायतों के आधार पर उन्हें अस्थायी कर दिया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 101

(ख) 83

(ग) अठारह (18)
अयोग्य 3
अनराइप 2
विचाराधीन 13

(घ) एक

(ङ) सम्बन्धित कर्मचारी लखनऊ स्थित क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त के कार्यालय में नियुक्त होने से पहले अन्य कार्यालय में जिस पद पर था, उस पद पर उसे गलती से अर्ध-स्थायी घोषित किया गया था। गृह-कार्य मंत्रालय से परामर्श करके उस वेतन-क्रम में उसकी अर्ध-स्थायी पद स्थिति रद्द कर दी गई है। केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमों के उप-बन्धों के अन्तर्गत उसे इस बीच उस उच्चतर वेतन-क्रम में उस पद पर, जिस पर लखनऊ स्थित क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त के कार्यालय में उसकी नियुक्ति की गई थी, अर्ध-स्थायी घोषित किया गया है।

Manufature of Telephones in India

3881. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of telephones manufactured in India every year during the Third Plan Period and the target fixed for the Fourth Plan;

(b) since when the telephones and other telephone equipments are being entirely manufactured in India;

(c) whether some spare parts are still being imported from abroad; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The number of telephones (including headgear sets from the year 1963–64 onwards) manufactured in India during the Third Five Year Plan period was as follows :

1961–62	1,16,701
1962–63	1,32,000
1963–64	1,46,132
1964–65	1,55,304
1965–66	2,01,019

The target fixed for the Fourth Five Year Plan period is 12,00,000 telephones (including headgear sets).

(b) Since 1954, practically all the componants required for telephones are being manufactured in the Indian Telephone Industries Ltd, Bangalore. As regards telecommunication equipments other than telephones, the I. T. I. Ltd. have been gradually extending the range of manufacture.

(c) Yes, Sir.

(d) Certain minor items of spare parts are not available indigenously, or are required in quantities which are not economical to be taken up for indigenous manufacture.

सांस्कृतिक शिष्टमंडल

3882. श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों में विदेशों को भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडलों की संख्या कितनी है;

(ख) उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की; और

(ग) ऐसे शिष्टमण्डलों की यात्रा से क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) पांच।

(ख) सोवियत रूस, हंगरी, चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, फ्रांस और भूटान।

(ग) हमारे कलाकारों के प्रदर्शन की बहुत सराहना की गई थी और विदेशों में भारतीय विरासत को सही-सही रूप में प्रस्तुत किया गया था। इन दौरों से विदेशों के साथ आपसी समझ बूझ और सद्भाव बढ़ाने तथा उनसे और घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने में भी सहायता मिली है।

आसाम मे हिन्दी का प्रचार

3883. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1964–65, 1965–66 और 1966–67 में अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार की योजना के अन्तर्गत आसाम सरकार को कोई अनुदान दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार सम्बन्धी योजना के अधीन, 1964–65 से 1966–67 तक के वर्षों के दौरान, असम सरकार को निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किये गये थे :—

अनुदान का प्रयोजन	वर्ष जिनके दौरान रकम मंजूर की गई		
	1964–65	1965–66	1966–67
	रु०	रु०	रु०
हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति	1,76,706	4,27,000	1,50,000
राज्य में हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करना	—	64,000*	—

* इस रकम का 1965–66 के दौरान स्तेमाल नहीं किया जा सका, इसलिए इसे 1966–67 वर्ष के लिए आगे ले जाया गया ।

एक पैसे वाली डाक टिकटें

3884. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग ने एक पैसे वाली डाक टिकटों की छपाई बन्द कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि एक पैसे वाली डाक टिकटें डाक घरों में और विशेषतया संसद-भवन के डाक घर में उपलब्ध नहीं है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Symposia on Education

3885. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only educationists with Western outlook are invited while organising symposia on education;

(b) whether it is also a fact that Sanskrit experts and scholars are ignored in the aforesaid symposia;

(c) whether some complaints have also been received by Government in this regard; and

(d) if so, the steps taken to avoid such complaints ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) Whenever symposia on education are organised, invitations are extended to experts who possess experiance in the particular subject. Whether they are Western or oriental in outlook is not a point for consideration.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Demonstration in Jammu

3886. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Onkar Lal Berwa :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das ;
Shri M. L. Sondhi :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ram Singh Ayarwal:
Shri Jagannath Rao Joshi:

Shri Hem Barua :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Madhu Limaye :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri M. R. Masani :
Shri Rabi Ray :
Shri George Fernandes :
Shri Abdul Ghani Dar :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Government have conducted any investigation regarding the damage done recently to the jeep belonging to U. N. O. and to the Churches in the Jammu and Kashmir State during demonstrations in support of the Arab; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Government of India have not conducted any investigation in the matter. No report has been received about any jeep belonging to U. N. Observers Group having been damaged.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं

3887. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या शिक्षा मंत्री 7 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1648 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, प्रत्येक प्रयोगशाला में सिबबंदी, इमारतों और अनुसंधान-कार्य पर पृथक-पृथक कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो किन स्थानों में और कब ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 1964–65, 1965–66 और 1966–67 वर्षों के दौरान सिबबंदी, भवन तथा अनुसंधान पर हुए खर्च को दर्शाने वाले तीन विवरण संलग्न हैं। [पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 832/67]

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Lok Pal/Lok Ayukt

3888. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Atam Das :
Shri Nardeo Snatak :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Andhra Pradesh Government has informed the Central Government that they are against the Procedure regarding the appointment of 'Lok Pal' and 'Lok Ayukts' to go into the lapses of Ministers; and

(b) if so, the reaction of the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The Government of Andhra Pradesh have communicated their views on the recommendations contained in the interim report of the Administrative Reforms Commission on problems of redress of citizens grievances which are under consideration.

झरिया कोयला क्षेत्रों में कर्मचारियों की मांगें

3889. श्री शिव चंडिका प्रसाद : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस प्रायोजित कोयला खान मजदूर संघ द्वारा झरिया कोयला क्षेत्र में 431 कोयला खानों के प्रबन्धकों को दिये गये नोटिस के बारे में, जिसमें यह मांग की गई थी कि कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को तुरन्त क्रियान्वित किया जाये, झरिया कोयला क्षेत्रों में कानूनी राशन व्यवस्था लागू की जाये और सस्ती दरों पर खाद्यान्न बेचने की व्यवस्था की जाये. धनबाद स्थित प्रादेशिक श्रम आयुक्त द्वारा किये गये समझौते के प्रयत्न असफल हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कोयला क्षेत्रों में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने तथा उत्पादन को क्षति पहुँचाये बिना कर्मचारियों की उचित मांगों को प्रबन्धों से पूरी करवाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। भारतीय मजदूर कांग्रेस से सम्बद्ध कोयला-खान मज़दूर संघ द्वारा 128 कोयला-खानों के प्रबन्धकों को दिए गए नोटिस के बारे में प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद द्वारा समझौता-कार्यवाही की गई। इनमें से 106 कोयला खानें झरिया कोयला-क्षेत्र में है।

(ख) कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। राज्य सरकारों के पास खाद्यान्न स्टाक की प्राप्यता के अनुरूप धीरे-धीरे कानूनी राशन शुरू किया जायगा।

मजूरी बोर्डों के पंचाट

3890. श्री शिवचन्द्र झा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई मजूरी बोर्डों के पंचाटों को अभी तक पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन मजूरी बोर्डों के नाम क्या हैं तथा इन पंचाटों को जल्दी से जल्दी पूर्णतया क्रियान्वित कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सम्बन्धित उद्योग में कुछ इकाइयों ने कुछ मजूरी बोर्डों की सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की हैं।

(ख) इंजीनियरी उद्योग और कच्चा लोहा खनन उद्योग तथा चूना पत्थर व डोलोमाइट खनन उद्योग के मजूरी बोर्डों की अन्तरिम सिफारिशों की क्रियान्विति अपेक्षाकृत कम सन्तोष-जनक रही है। राज्य सरकारों से इंजीनियरी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित कराने के लिये विशेष कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के अफसरों को कच्चा लोहा तथा चूना पत्थर व डोलोमाइट खनन उद्योगों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की कार्यवाही के लिए सलाह दी गई है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु

3891. श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष करने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोहाटी में टेलीफोन

3892. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहाटी में टेलीफोन लगवाने के कितने आवेदन-पत्र पिछले दो वर्षों से अनिर्णीत पड़े हुए हैं;

(ख) टेलीफोन लगाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) शीघ्र टेलीफोन लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) कोई भी नहीं। केवल एक आवेदन-पत्र, जो कि 1 जुलाई, 1967 को प्राप्त हुआ था, प्रतीक्षा सूची में है।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ब) एक्सचेंज की क्षमता 2800 लाइनों की है और चालू कनेक्शन 2485 हैं। प्रतीक्षा सूची... । इस एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाकर उसमें 4200 लाइनों की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्य के पूरा हो जाने पर, प्रतीक्षा सूची के अनुसार धीरे-धीरे टेलीफोन लगा दिये जायेंगे।

कावेरी स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड कावेरीनगर, मद्रास

3893. **श्री रमानी :**
श्री उमानाथ :
श्री चक्रपाणी :
श्री प० गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि अधिकारियों द्वारा भविष्य निधि के बकाया की वसूली के लिए की गयी कार्यवाही के अनुसरण में मद्रास राज्य के कावेरीनगर की कावेरी स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के सूत के भण्डार तथा मिल की अन्य सम्पत्ति को मोहरबन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि कितनी है और वह कितने समय में जमा हुई है;

(ग) क्या मोहर बन्द सम्पत्तियों को इस बीच में छोड़ दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसे छोड़ने के कारण क्या हैं;

(ङ) क्या इस बीच में बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो वसूली के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) नवम्बर, 1965 से मार्च, 1967 तक की समयावधि के लिए 4,30,835.15 रु०।

(ग) जी हां।

(घ) मैनेजमेंट द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कि भविष्य निधि की बकाया रकम एक मास के अन्दर दे दी जायेगी, कुर्की आदेश वापस ले लिया गया।

(ङ) अभी तक नहीं।

(च) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्व वसूल करने की कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है। नियोजक के विरुद्ध अभियोजन चलाने के प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं।

बालांगिर-सोनपुर टेलीफोन लाइन

3894. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री धीरेन्द्रनाथ :
श्री प्र० के० देव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बालांगिर तथा सोनपुर के बीच टेलीफोन लाइन अधिकांशतः खराब रहती है; और

(ख) यदि हां, तो लाइन को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मई, 1967 के महीने को छोड़कर जबकि भारी तूफान के कारण 23 मई, 1967 को ट्रंक लाइन को भारी क्षति पहुँची थी, लाइन के खराब होने की बहुत थोड़ी घटनायें हुई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम

3895 **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री जनार्दनन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में पत्राचार पाठ्यक्रमों में प्रत्येक विश्वविद्यालयों में कितने विद्यार्थियों के नाम पंजीकृत किये गये थे;

(ख) क्या इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये पात्रता के बारे में कोई विशिष्ट नियम बनाये गये हैं; और

(ग) 1966 में इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन-पत्र दिये थे ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) अब तक केवल दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही बी० ए० (पास) डिग्री में पत्राचार पाठ्यक्रम लागू किये हैं। विश्वविद्यालय द्वारा 1966 में पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए दाखिल किये गये विद्यार्थियों की कुल संख्या 3,300 थी।

(ख) दाखिला देश के सभी विद्यार्थियों और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों तथा उनके आश्रितों के लिए खुला हुआ है। दाखिले के वर्ष की पहली अक्तूबर से पहले विद्यार्थी की आयु 16 वर्ष पूरी होनी चाहिए। बी० ए० (पास) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए न्यूनतम योग्यता इस प्रकार होनी चाहिए।

(1) **तीन-वर्षीय बी० ए० (पास) पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए** : विद्यार्थी को किसी राज्य अथवा विश्वविद्यालय के शिक्षा बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) **चार-वर्षीय बी० ए० (पास) पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए** : विद्यार्थी को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली की हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा इसके सम-

कक्ष मान्यता-प्राप्त कोई अन्य परीक्षा अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता-प्राप्त इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

(ग) 1966 में दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिये 4769 व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र भेजे थे ।

House Collapse in Dharampura (Delhi)

3897. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Dr. Satya Prakash Puri :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1649 on the 7th June, 1967 and state :

(a) whether a copy of the report of the Commission, appointed to go into the causes of the house collapse on the 15th August, 1966 in Dharampura, Delhi, which was submitted to the Delhi Administration on the 31st May, 1967 will be laid on the Table of the House;

(b) the decision taken so far on this report which was stated to be under the consideration of Delhi Administration; and

(c) if no decision has so far been taken, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes.

(b) No decision has so far been taken by the Delhi Administration on the recommendations made by the Commission.

(c) The views of the Delhi Municipal Corporation on the recommendations made by the Commission are awaited.

Use of Hindi

3899. Shri Ram Charan : Will the Minister of Education be pleased to state the progress made so far in respect of the use of Hindi in his Ministry and in its subordinate and attached offices ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : Hindi is being progressively used in the Ministry and its attached and subordinate offices, in addition to English, for the various official purposes.

Foreign Government Scholarships for Studies Abroad

3900. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of students who were awarded scholarships for studies abroad by the Government of India, by foreign Governments and agencies in 1965-66 and 1966-67;

(b) the number of students among them who belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(c) whether the quota reserved in Government of India services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is kept in view while considering their cases; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) 1965-66 392
1966-67 364

(b)	Scheduled Caste	Scheduled Tribe
1965-66	4	4
1966-67	1	–

(c) and (d) There is a separate Scheme of Overseas Scholarships financed by the Government of India and meant exclusively for students from Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Nomadic and Semi-nomadic Tribes. For the scholarships offered by the foreign governments and agencies, the selections are made purely on merit on all India basis, and there is no reservation for any region or class of persons.

पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण

3901. श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलपाईगुड़ा जिले में पाकिस्तानियों ने कुछ व्यक्तियों का अपहरण किया है जिसका समाचार 11 जून 1967 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' के संस्करण में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अपहृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन अपहृत व्यक्तियों को वापस लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) 9 जून, 1967 को दोपहर के लगभग 1 बजे 5 पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने दक्षिण बेरूबाड़ी के श्री महेन्द्र दास का अपहरण कर लिया था और उन्होंने उसको उसी दिन रात्रि में लगभग 10 बजे छोड़ दिया था।

सीमा सुरक्षा बल के क्षेत्रीय कमान्डर ने पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्रीय कमान्डर को और राज्य सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की सरकार को विरोध पत्र भेजे गये थे।

पश्चिम बंगाल सरकार की फाइलें वापिस करना

3902. श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री 14 जून 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2466 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार की इस प्रार्थना पर विचार कर लिया गया है कि उन गोपनीय कागजातों को जो राज्य सरकार से गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना के तत्काल पूर्व प्राप्त हुई थीं, उन्हें वापिस कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की इस प्रार्थना पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) मामला अभी तक विचाराधीन है ।

बस्तर जिले (मध्य प्रदेश) में कालेज और स्कूल

3903. **श्री झा सुन्दरलाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में 31 मार्च, 1967 को कितने-कितने प्राथमिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज थे, और

(ख) ये कालेज तथा स्कूल कहां-कहां पर हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Implementation of Development Schemes in Hastinapur

3905. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1728 on the 7th June, 1967 and state :

(a) the details regarding the schemes of Rs. 97 lakhs being implemented in Hastinapur; and

(b) the number of the schemes completed so far and the number which are still under implementation ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) The details are given below :-

(i) **Schemes already sanctioned.**

Name	Amount
	Rs.
1. Financial assistance to a private Spinning Mill at Hastinapur on condition of employment of displaced persons.	66,67,000
2. Scheme for imparting training to displaced persons to be employed in the Spinning Mill at Hastinapur.	60,825
3. Financial assistance to Co-operatives of displaced persons for setting up a powerloom unit with 250 looms at Hastinapur.	16,00,000
4. Financial assistance by the Rehabilitation Industries Corporation to a private party for setting up a Wood Working Unit at Hastinapur.	3,80,000

5. Setting up of a unit for agricultural implements by the Rehabilitation Industries Corporation.	4.00,000
6. Unit for making Cement Concrete products at Hastinapur.	2,09,500
7. Settlement of displaced persons as fishermen in the Ganga Khader area at Hastinapur.	47,200
	Total : 93,64,525

(ii) **Schemes under consideration :**

(1) Manufacture of Stationery articles	2,94,000
(2) Knitting of socks, sweaters, vests, jerseys etc.	1,20,000
	4,14,000
Grand total :-	97,79,000
or say	97 lakhs

(b) The implementation of sanctioned schemes is still in progress or under consideration.

Hindi Forms

3906. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any arrangements have been made for publishing all the forms, proformas in Hindi, being used in his Ministry and the literature sent to the people by his Ministry in reply to their applications; and

(b) when all these forms would be published in Hindi ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) Suitable instructions have been issued for reprinting new forms and the old forms which have been exhausted, in bilingual edition. The literature sent to the public is also supplied in Hindi, where feasible and considered necessary.

Higher Posts of Hindi in Central Secretariat

3907. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Rabi Ray : **Shri Maharaj Singh Bharati :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any quota has been fixed for direct recruitment through the U.P.S.C. and that for departmental promotions to the posts of Hindi officers in the Central Secretariat;

(b) if so, the manner in which departmental promotions are made; and

(c) if no departmental promotions are made, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :
(a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) Uniform model recruitment rules are being finalised in consultation with the U.P.S.C. and various Ministries for the posts of Hindi Officers in the Central Secretariat by selection from amongst Hindi Assistants, Research Assistants and Hindi Translators etc., working in the different Ministries of the Government of India.

Use of Hindi in Home Ministry

3908. **Shri Rabi Ray :** **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Molahu Prasad : **Shri Maharaj Singh Bharati :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) the number of Sections in the Administrative Division of his Ministry where the work is done originally in Hindi;

(b) whether it is a fact that the demand by the high officers for the English translation of the papers received and documents prepared originally in Hindi is the main obstacle in the use of Hindi; and

(c) if so, the steps proposed to be taken to remove the said obetacle ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :
(a) Noting in Hindi has been introduced in two Sections under of the Administrative Division of the Home Ministry so far.

(b) No Sir. Instructions were issued in 1963 that where a file containing Hindi noting was referred to another Ministry or another Section of the same Ministry, an English translation or summary should be furnished. These decisions are based on the need to ensure expeditions disposal of cases in the context of a large number of Central Government employees not having adequate knowledge of Hindi.

(c) Does not arise in view of the fact that necessary arrangements exist in the Home Ministry for the translation of Hindi communications and notes when required.

उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये जांच आयोग

3909. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री बीजू पटनायक ने उन्हें एक पत्र लिख कर उनके तथा उड़ीसा के अन्य भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा एक जांच आयोग नियुक्त किये जाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या उन्होंने एक समाचारपत्र के विरुद्ध दायर किया गया मानहानि का मुकदमा भी स्वयं वापिस लेने की पेशकश की है ताकि सार्वजनिक जांच की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ग) जी हां, परन्तु सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है।

(ख) गृह मंत्री को भेजे गये अपने पत्रों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है।

मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ

3910. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों की संख्या कितनी है, उनके सदस्य कितने हैं तथा वे किस-किस संस्था से संबंधित हैं; और

(ख) ऐसे कार्मिक संघों की संख्या कितनी है जिनको उक्त क्षेत्रों में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास (श्री हाथी) : (क) केवल उन्हीं उद्योगों में चल रही यूनियनों के बारे में सूचना उपलब्ध है जो केन्द्रीय क्षेत्र में आते हैं और अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मान्यता-प्राप्त हैं। मान्यता-प्राप्ति की स्थिति इस प्रकार है :–

	सरकारी क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
	यूनियनों की संख्या	जांची गई सदस्य-संख्या	यूनियनों की संख्या	जांची गई सदस्य-संख्या
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस	7	7,900	3	1,279
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	1	848	1	542
हिन्द मजदूर सभा	5	5,146	–	–
संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस	2	166	–	–
अन्य	5	29,477	1	158

इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र में 11 यूनियनों (राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की 7, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा और संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस की एक एक तथा स्वतंत्र एक और 13 यूनियनों (राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की 6, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 3, संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस की एक और 3 स्वतंत्र) को बिना जांच किये मान्यता दी गई, क्योंकि संबंधित उपक्रमों में वे ही यूनियनें थीं।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की 15 यूनियनों और गैर-सरकारी क्षेत्र की 9 यूनियनों के दावे विचाराधीन हैं। इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि केन्द्रीय क्षेत्र में अब तक कितनी यूनियनों को मान्यता नहीं दी गई है।

अमरीकी दूतावास के सामने प्रदर्शन

3911. श्री हेम बरुआ : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम एशिया में हाल में हुए युद्ध में अमरीका सरकार के रवैये के प्रति हमारी जनता का विरोध प्रकट करने के लिये नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास के सामने 13 जून, 1967 को एक प्रदर्शन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित दूतावास की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) कुछ संगठनों ने 13 जून, 1967 को अमरीका के दूतावास के सामने एक प्रदर्शन किया था ।

(ख) पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी ।

डाक जीवन बीमा

3912. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक जीवन बीमा के मूल्यांकन के बारे में बीमा नियन्त्रक का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसमे कितना अधिलाभ दिखाया गया है तथा उसे पालिसीधारियों में किस प्रकार बांटने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या नये पालिसीधारियों से ली जाने वाली किश्तों की घटी हुई दरों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पालिसीधारियों को कोई रियायत दी जायेगी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) अधिलाभ की राशि 278.35 लाख रुपये है । इसके वितरण का तरीका विचाराधीन है ।

(ग) इस प्रकार का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

भारतीय प्रेस संस्था के लिये सेन्ट्रल इन्टेली जेन्स एजेन्सी से धन आना

3913. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रेस संस्था को अमरीका की सेंट्रल इन्टेलीजेंस एजेंसी से किसी न किसी रूप में धन मिल रहा था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) हाल के चुनावों में तथा अन्य कार्यों के लिये विदेशी धन का प्रयोग किये जाने के बारे में आसूचना विभाग से जांच करने के लिये कहा गया था। आसूचना विभाग से दाल में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसकी सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है। सरकार को प्रतिवेदन के बारे में अपने निष्कर्षों की तैयार करने में और यह निर्णय करने में कि क्या और आगे जांच की आवश्यकता है, कुछ समय लगेगा।

Post offices to be opened in the Fourth Plan

3914. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post offices proposed to be opened in the country during the Fourth Plan ;

(b) the number of Post Offices proposed to be opened in Mysore State ; and

(c) the amount likely to be incurred ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 12,000*

(b) 991*

(c) Rs. 1,96,700 (approximate) on new post offices in Mysore State.

* if the ban on the opening of new Extra Departmental Branch Post Offices is lifted and prescribed standards are fulfilled.

Express Delivery Articles

3915. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Ministerof **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Express Delivery articles delivered during 1965-66 ;

(b) the number of complaints received in this regard during the said year ; and

(c) the remedial measures taken in regard thereto ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 49,249,083

(b) 7,958

(c) The following steps have been taken:-

(1) Instructions have been issued to ensure that sufficient delivery staff is available at the time of receipt of E. D. articles.

(2) To increase the frequency of express delivery by providtnig more delivery agents, orders have been issued to replace the E. D. messengers by extra-departmental agents.

(3) Express delivery work has also been taken away from the signallers busy with telegraph work in post offices, so that the delivery of E. D. artcles is not delayed.

(4) E. D· articles are also being bundled separately so that these are not mixed up with the ordina y articles.

(5) In order to ensure that Express delivery articles are picked out quickly steps have been taken to print and supply good gummed E. D. lables. It has also been prescribed that whenever an E. D. article is found without, E.D. lable, a label should be pasted on it.

(6) In addition special coloured envelopes have been introduced for being used by the public in order to enable the sorting and delivery staff to pick out such articles from the mails quickly,

(7) Special red coloured bags and envelopes have also been introduced for enclosing Express delivery articles to facilitate expeditious treatment of such articles.

College at Narela (Delhi)

3916. Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atam Das :
Shri Arjun Singh Bhadoria
Shri O.P. Tyagi :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision had been taken to start a college at Narela in Delhi in 1967 ;

(b) whether this decision has now been changed and no College would be started there ; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps Government propose to take to start a College there ?

The Minister of Education (DR. Triguna Sen) : (a) and (b)-The Delhi Administration has decided to start a college in Narela in 1967 provided at least 250 students register for admission to B.A. (Pass) Course in this College. There is no change in this decision.

(c) Does not arise.

मद्रास में बुनियादी शिक्षा

3917. श्री लोबो प्रभु : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समाचार का पता है कि मद्रास सरकार ने बुनियादी शिक्षा को समाप्त करने का निर्णय किया है,

(ख) क्या बुनियादी शिक्षा की असफलता के परिणामस्वरूप ऐसा किया गया है तथा इससे गरीब लोगों के विरुद्ध, जो कि अपने बच्चों को अन्य स्कूलों में नहीं भेज सकते, भेदभाव पैदा होता है, और

(ग) क्या बुनियादी तथा गैर-बुनियादी शिक्षा के परिणामों की तुलना करने के लिये सरकार एक समिति नियुक्त करने को तैयार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) : ऐसी समिति नियुक्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मद्य निषेध की नीति

3918. श्री लोबो प्रभु : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्य निषेध एवं शराब निकालने वाले लोगों के अपना व्यवसाय करने के मूलभूत अधिकारों के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में दिये गये निर्णय को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार मद्यनिषेध सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के किस फैसले का उल्लेख किया जा रहा है। परन्तु भारत सरकार के समक्ष उच्चत्तम न्यायालय के किसी हाल के फैसले के आधार पर मद्य निषेध नीति पर पुनर्विचार करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यापकों को प्रोत्साहन

3919. श्री लोबो प्रभु : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार अध्यापकों और स्कूलों को उनके विद्यार्थियों के परीक्षा–फल के आधार पर बोनस देती है, और

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों को इस प्रणाली को अपनाने के लिये सिफारिश करने का है जिससे कि अपने छात्रों की प्रगति के बारे में अध्यापकों की उदासीनता समाप्त की जा सके ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

साक्षरता

3920. श्री लोबो प्रभु : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक स्कूलों में दाखिल हुए बच्चों में से कितने प्रतिशत बच्चे साक्षरता प्राप्त किये बिना ही स्कूल छोड़ जाते हैं,

(ख) क्या सरकार ने इस बात का विचार किया है कि अनिवार्यता का सर्वाधिक लाभदायक तरीका यह है कि एक बार दाखिल हो जाने वाले विद्यार्थियों के लिये साक्षरता प्राप्त करने तक उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया जाये, और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) शिक्षा आयोग के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देने वालों की प्रतिशतता लड़कों के लिए 56 तथा लड़कियों के लिए 62 है ।

(ख) और (ग) : जी, हां । किन्तु विद्यमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में अनिवार्यता लागू करना ज्यादा व्यवहारिक नहीं है । इसकी बजाये, बरबादी को रोकने और उपयुक्त प्रेरणाओं की व्यवस्था करने तथा अन्य समझाने–बुझाने जैसे उपायों द्वारा हाजिरी सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए जाते हैं ।

पुनर्गठन के बाद राज्यों के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

3921. श्री क० लकप्पा: क्या गृह-कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद सब राज्यों के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां बना ली है; और

(घ) यदि हा, तो प्रत्येक विभाग और राज्यों के अनुसार सूचियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) उन अधिकारियों, की संख्या जिनकी वरिष्ठता सूचियां तैयार करनी पड़ी और उन अधिकारियों की संख्या जिनके बारे में सूचियां 1 जून, 1967 तक पूरी तरह से तैयार हो गई थी दर्शाने वाला एक राज्य-वार विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–833/67**] विभागवार अलग अलग आकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

आपातकाल की स्थिति

3922. श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जूलाई, 1967 से आपातकाल की स्थिति को समाप्त करने के प्रस्ताव को अभी लागू न करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) गृह-कार्य मंत्री 22 जून, 1967 को सभा में इस विषय पर पहिले ही एक वक्तव्य दे चुके हैं ।

1962 से साक्षरता में वृद्धि

3923. **श्री क० लकप्पा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1962 से अब तक देश में साक्षरता की प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : एक अनुमान के अनुसार 1961–71 के दौरान साक्षरता के लगभग एक प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाने की उम्मीद है। '1961 की जनगणना के आंकड़े कुल आबादी के 24 प्रतिशत थे। तदनुकूल आगे के अन्दाजों के अनुसार जोड़ते हुए, 1967 के लिए अनुमानित संख्या लगभग 30 प्रतिशत है।

नीरद सी० चौधरी की 'दि कान्टीनेंट आफ किर्की'

3924. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री नीरद सी० चौधरी की 'दि कान्टीनेंट आफ किर्की' नामक पुस्तक के पृष्ठ 36 तथा 37 में आसाम के लोगों के बारे में की गई टीका–टिप्पणियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इन टीका-टिप्पणियों में न तो एतिहासिक सच्चाई है और न ही वास्तविकता और इनसे साम्प्रदायिक तनावों के बढ़ाने की संभावना हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आसाम सरकार उपयुक्त और प्रभावशाली कार्यवाही करने की दृष्टि से इस मामले पर विचार कर रही है।

स्कूलों में विज्ञान तथा गणित की पढ़ाई

3926. **श्री रा० बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे स्कूलों में विज्ञान और गणित पढ़ाने के वर्तमान पाठ्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) क्या गणित-शास्त्र के मूल सिद्धान्तों का सम्यक ज्ञान बढ़ाने पर बल देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) कुछ गंभीर दोष पाये गये हैं। पाठ्यक्रम अधिकांशतया अंशकालिक है क्योंकि इसमें विज्ञान और गणित शास्त्र के आधार पर आधुनिक सिद्धान्त सम्मिलित नहीं है पाठ्यपुस्तकें

पर्याप्त स्तर की नहीं है। तथा अपनाये गये अध्यापन तरीकों में खोजी और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण का अभाव है। अध्यापकों को नियम पुस्तिकायें, मार्गदर्शी पुस्तकें तथा अन्य शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकें नहीं दी गई है। प्रयोगशाला उपकरण आदि अभी भी पुराने किस्म के हैं तथा विज्ञान की आधुनिक आधार पर शिक्षा देने के उपयुक्त नहीं है।

(ग) शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद ने विशेषज्ञों की सहायता से पाठ्यक्रम को बदलने तथा उन्नत करने आदर्श पाठ्यपुस्तकें तथा शिक्षकों के लिये मार्गदर्शी पुस्तकें तैयार करने तथा प्रयोगशाला के प्रयोगात्मक एकता बनाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। नये पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणितशास्त्र के मूल सिद्धान्तों के विकास पर तथा मूल बातों की सही जानकारी पर जोर दिया गया है।

अन्दमान के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

3927. श्री गणेश: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त की सलाहकार परिषद् ने अन्दमान प्रशासन के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिये जाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों की मुख्य आयुक्त की सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की थी कि अन्दमान और निकोबार प्रशासन में स्थानीय रूप से भर्ती किये गये कर्मचारियों को भी मकान किराया भत्ता मिलना चाहिये जोकि वर्तमान आदेशों के अधीन इस समय इस भते के अधिकारी नहीं हैं।

(ख) सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था।

अंदमान राज्य परिवहन विभाग की फाइलें

3928. श्री गणेश : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान राज्य परिवहन विभाग के टिकट गायब हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो गायब हुए टिकट कितने रुपये के थे ;

(ग) क्या कोई पुलिस जांच की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) 14793.45 रुपये (मूल मूल्य)

(ग) और (घ) : पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

अंदमान में डीजल के वाटर पम्पों की खरीद

3929. **श्री गणेश:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान के लोक निर्माण विभाग द्वारा खरीदे गये डीजल के वाटर पम्प खराब तथा पुराने पाये गये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्दमान प्रशासन के एक अधिकारी को इन पम्पों का चयन के लिये कलकत्ता भेजा गया था; और

(ग) क्या सरकार ने इस सरकारी धन की हानि के लिये किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) अंदमान के लोक निर्माण विभाग ने कलकत्ता की फर्म को 50 अश्व शक्ति वाले डीज़ल इंजनों से युक्त 5 डीज़ल पम्पों के लिये क्रयादेश दिये थे। पोर्ट ब्लेयर में प्राप्त तीन पम्पों में से दो पम्प लगाये गये थे। यह पाया गया था कि हांलाकि पम्प नये थे परन्तु उनमें लगे इंजन नये नहीं थे। इस मामले के बारे में फर्म के प्रतिनिधि से बातचीत की गई थी और वह इन इंजनों के बदले में नये इंजन देने के लिये तयार हो गया था।

अन्दमान प्रशासन के किसी भी अधिकारी को इस कार्य के लिये कलकत्ता नहीं भेजा गया।

अंदमान में पुलिस का भोजनालय

3930. **श्री गणेश:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1958 और 1967 के बीच की अवधि में अन्दमान के पुलिस भोजनालय के हिसाब-किताब की लेखा-परीक्षा की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त अवधि में पुलिस के भोजनालय की कुल वार्षिक आय कितनी रही और व्यय कितना रहा ; और

(घ) पुलिस कर्मचारियों से धन इकट्ठा करने के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है तथा क्या धन देने वालों को रसीदें दी जाती हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ,

(ख) अंदमान का पुलिस भोजनालय सरकार द्वारा विभागीय तौर पर नहीं चलाया जाता। अतः इसके हिसाब किताब की सरकार द्वारा लेखा-परीक्षा नहीं की जा सकती। भोजनालय एक गैर सरकारी संस्था है और सभी पुलिस कर्मचारी, जो इसमें आना चाहें, इसके सदस्य बन सकते हैं। इसका प्रबन्ध समय समय पर सदस्यों द्वारा निर्वाचित समिति द्वारा किया जाता है। यदि भोजनालय के सदस्य चाहते तो इसके हिसाब किताब की लेखा परीक्षा की जा सकती थी परन्तु ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई।

(ग) भोजनालय की वार्षिक आय और व्यय के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं ।

वर्ष	आय	व्यय
	रु० पै०	रु० पै०
1958	75,907–49	77,911–51
1959	83,217–98	81,625–05
1960	90,107–14	92,217–92
1961	79,308–44	84,226–72
1962	88,820–88	89,195–10
1963	1,85,302–14	1,83,414–10
1964	2,17,786–04	2,06,348–36
1965	2,04,725–74	2,03,334-98
1966	1,07,246–78	1,09,986–19
1967	69,135–02	67.020–85

(31, मई, 1967 तक)

(घ) जून, 1966 तक भोजनालय के बिलों की वसूली मासिक वेतन बिलों की वेतन पंजियों के द्वारा की जा रही थी । रसीदें नहीं दी जाती थी । जुलाई, 1966 से वेतन बांटने वाले अधिकारी भोजनालय के इंचार्ज द्वारा दी गई वसूली सूचियों के अनुसार वेतन बांटते समय वसूली कर रहे हैं । भोजनालय का इंचार्ज वसूली की गई कुल राशि के लिये वेतन बांटने वाले अधिकारियों को समेकित रसीदें दे रहा है ।

दिल्ली में पोलिटेक्निक तथा इंजीनियर कॉलेज

3931. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन शिक्षा सत्रों में दिल्ली के पोलिटेक्निकों में तथा दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरी की प्रत्येक शाखा में कुल कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया गया और उनमें से इंजीनियरी की प्रत्येक शाखा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी थे ;

(ख) क्या उनके लिये सुरक्षित स्थानों से कम विद्यार्थियों को दाखिला मिला ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(घ) क्या इंजीनियरी की प्रत्येक शाखा के लिये पृथक-पृथक स्थान आरक्षित हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज में इंजीनियरी की प्रत्येक शाखा में तथा दिल्ली के प्रत्येक पोलिटेक्नीक में वर्षवार तथा शाखावार दाखिल किये गये विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों

की संस्थावार, वर्षवार और शाखावार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है (अनुबन्ध संख्या 1) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 834/67]

(ख) जी हां।

(ग) अनुसूचित जातियों। अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी उपलब्ध न होने के कारण जो उनके लिये निर्धारित की गई दाखिले की निम्न अर्हताओं को भी पूरा करते थे।

(घ) जी हां।

लौह अयस्क खानों का काम-काज

3932. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री स० कुण्डू :
श्री रामचरण :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी ने बादाम पहाड़ तथा गोरुमोहिसनी स्थित अपनी लौह अयस्क खानों का काम-काज बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन खानों के बन्द हो जाने से स्थानीय अनुसूचित आदिम जातियों के लगभग 8,000 लोग बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस बेरोजगारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कम्पनी का इस खान को इस वर्ष के अन्त तक बंद करने का विचार है ?

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 5000 श्रमिक बेरोजगार होने की सम्भावना है।

(ग) इन श्रमिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने नाम रोजगार दफ्तर में रजिस्टर कराएं। रोजगार और प्रशिक्षण महा–निदेशालय ने इन श्रमिकों को समुचित रोजगार सहायता देने के लिए रोजगार निदेशक उड़ीसा को आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय भाषा के रूप में मनीपुरी भाषा

3934. **श्री मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता–प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं की सूची में मनीपुर भाषा को सम्मिलित किये जाने के लिये मनीपुर सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची में मनीपुरी को शामिल करने के लिये मनीपुरी साहित्य परिषद् द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति मिली है ।

(ख) सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की सूची का और अधिक विस्तार करने के पक्ष में नहीं है ।

एयर इंडियन के विमान चालकों द्वारा हड़ताल के बारे में
Re. STRIKE BY AIR INDIA PILOTS

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : एयर इंडिया सम्बन्धी वक्तव्य कल सभा पटल पर रखा गया था ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली–सदर) : मैंने भी आपको उसके बारे में लिखा था ।

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हे अलग से इस बारे में एक घण्टे का समय दूंगा ।

नियम 197 के अन्तर्गत वक्तव्य पर विनिर्णय
RULING ON STATEMENT UNDER RULE 197

अध्यक्ष महोदय : कल जब गृह कार्य मन्त्री ने संसद् सदस्य **श्री** बी० के० घोष पर आक्रमण के बारे में ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के उत्तर में वक्तव्य दिया, तब श्री ही० ना० मुकर्जी ने व्यवस्था का यह प्रश्न उठाया था कि मन्त्री महोदय इस मामले में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह मामला न्यायालय के विचारधीन है । उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि क्या गृह मन्त्री के लिये किन्हीं विशेष दलों पर छींटाकशी करने वाले वक्तव्य देना उचित है । उनके व्यवस्था के प्रश्न का श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, श्री रंगा, श्री उमानाथ, श्री स० मो० बनर्जी, श्री श्री अ० डांगे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन किया था । इन माननीय सदस्यों ने कहा था कि अध्यक्ष को गृह मंत्री की टिप्पिणियों को सभा की कार्यवाही से निकालने के लिये अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये । श्री नि० चं० चटर्जी ने कहा था कि नियम 197 के अन्तर्गत केवल तथ्यों सम्बन्धी वक्तव्य दिया जा सकता है और ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती जिस पर वाद-विवाद हो । इसके विपरीत श्री वेंकटासुब्बया ने कहा कि गृह मन्त्री ऐसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो वे उचित समझें । श्री रणधीर सिंह ने उनका समर्थन किया था ।

विधि मन्त्री ने कहा था कि नियम 197 यह नहीं कहता कि वक्तव्य केवल तथ्यों तक ही सीमित हो और गृह मन्त्री की यह टिप्पणी कि संसद् सदस्य पर आक्रमण खेद जनक है इस नियम के विरुद्ध नहीं है । गृह मन्त्री ने अपने वक्तव्य को स्पष्ट करते हुए कहा था कि

उनका उद्देश्य हिन्सा की निन्दा करना है, किसी विशेष घटना का नहीं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें होती है :—

(एक) क्या नियम 197 के अन्तर्गत वक्तव्य केवल तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिये और उसमें मन्त्री द्वारा अपने निष्कर्ष नहीं जोड़े जाने चाहिये।

(दो) क्या ऐसे वक्तव्य में ऐसे विषय ऐसा होना चाहिये जिस पर वाद-विवाद हो सके और जिस पर सभा में भिन्न भिन्न राय हो सकती हो।

(तीन) क्या अध्यक्ष को सभा की कार्यवाही से ऐसे शब्दों तथा वाक्याशों को निकालने का आदेश देना चाहिये जो जांच करने पर ऐसे विषय से सम्बन्धित पाए जाते है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

इन सब बातों पर मेरा निर्णय इस प्रकार है :—

(एक) नियम 197 के अन्तर्गत वक्तव्य प्रश्न के उत्तर के रूप में नहीं होता और इसलिये वह तथ्यों तक ही सीमित रहना जरुरी नहीं है। उसमें सरकार अथवा मन्त्री के निष्कर्ष या निर्णय जोड़े जा सकते हैं और यह जरुरी नहीं है कि वह वक्तव्य ऐसा होना चाहिये जो सभा को पूर्ण रूप से मान्य हो। इसी प्रकार ऐसे वक्तव्य पर केवल सूचना सम्बन्धी प्रश्न ही नहीं पूछे जा सकते हैं। कभी कभी ऐसे वक्तव्यों पर प्रश्न सुझाव, आलोचना आदि के रूप में हो सकते हैं और इस लिये ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि मूल वक्तव्य तथा उस पर पूछे जाने वाले प्रश्न तथ्यों तक ही सीमित रहने चाहिये। सभा में अब तक इसी परिपाटी का पालन किया जाता रहा है।

(दो) मेरी उपरोक्त टिप्पणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे वक्तव्यों पर वाद-विवाद हो सकता है। प्रतिबन्ध केवल यही है कि ऐसे वक्तव्यों पर उसी समय वाद-विवाद नहीं हो सकता। ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में मन्त्री के वक्तव्य में सम्मिलित विषय पर चर्चा के लिये बाद में नोटिस देने पर कोई पाबन्दी नहीं है। इसलिये यदि कुछ माननीय सदस्य द्वारा अपने वक्तव्य में शामिल किये गये निष्कर्षों अथवा विचारों से सहमत नहीं है तो उन्हें उस विषय पर वाद-विवाद करने तथा सभा के समक्ष उचित प्रस्ताव या प्रश्न पर सभा का मत जानने की छूट है।

(तीन) नियम 380 इस प्रकार हैं :—

"यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानि कारक या अशिष्ट, असंसदीय या अभद्र हैं तो वह स्वविवेक से आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।"

यह बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने नियम उद्धत कर दिया है।

कोई मामला जो न्यायालय के विचाराधीन है और जिसका सभा में किसी वक्तव्य या वाद-विवाद या भाषण में उल्लेख किया गया है इस नियम के अन्तर्गत नहीं आता और इसलिये अध्यक्ष को ऐसे शब्दों तथा वाक्यांशों को सभा की कार्यवाही से निकालने का अधिकार नहीं है जो किसी ऐसे विषय संबंधित हों जो किसी न्यायालय के विचाराधीन है। फिर भी नियम 352 (एक) के अन्तर्गत कोई सदस्य अपने भाषण में किसी ऐसी बात का उल्लेख नहीं करेगा जो किसी न्यायालय के निर्णयाधीन है। यदि वह ऐसा करता है तो अध्यक्ष उसे अपना भाषण तुरन्त बन्द करने के लिए कह सकता है। अध्यक्ष यह टिप्पणी भी कर सकता है कि सदस्य को उस मामले का उल्लेख नहीं करना चाहिये था जो न्यायालय के विचाराधीन हैं। दोनों वक्तव्य कार्यवाही में शामिल रहेंगे परन्तु अध्यक्ष ऐसे शब्दों को निकाल नहीं सकता है और न ही उसे ऐसा करना ही चाहिये। वर्तमान मामले में गृह मन्त्री के वक्तव्य से पता चलता है कि वर्तमान स्थिति यह है कि पुलिस ने की हुई शिकायतों को छानबीन शुरू कर दी है और उस वक्तव्य में यह नहीं कहा है कि वास्तव में न्यायालय में कोई फौजदारी कार्यवाही आरम्भ की गई है। अतः मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मुझे गृह मन्त्री के वक्तव्य से कोई बात निकाल देनी चाहिये या वैसा करने का मुझे अधिकार है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : When some discussion was going on here on Dr. Dharam Teja, the Deputy Speaker was asked to expunge certain remarks if in his opinion they related to a matter which was sub-Judice. So far as expunction of defamatory, indecent, unparliamentary, undignified words or phrases, is concerned, this is the rule which should be applied. Nothing defamatory, undignifed or unparliamentary expression was used at that time. Therefore the remarks which have been expunged should be reincluded in the records. I fully agree with your decision.

अध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी द्वारा पहले जो निर्णय ले लिया गया है उसे बदला नहीं जा सकता।

Shri Madhu Limaye : But you can reconsider otherwise we will take some other course which would be unpleasant.

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ नहीं हो सकता।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE: QUESTION OF PRIVILEGE

डा० राम मनोहर लोहिया के विरुद्ध श्री शीलभद्रयाजी के आरोप

Shri Madhu Limaye : (Monghyr) : Shri Sheelbhdra vajee, an hon. member of Rayja sabha belonging to the Congress Party, made a serious charge againstan hon. Member of this House While speaking in the Rajya Sabha. on 30th May, 1967 he said;

"जब विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की गई थी, हालांकि 750 संसद सदस्य थे, साहू जैन का पक्ष लेने के लिये कोई भी तैयार नहीं हुआ और लोहिया साहब को एक लाख रुपये देकर उनके हस्ताक्षर ले लिये गये।"

This Charge is so unfounded and baseless that only one sentence would be enough to refute it. Dr. Lohia was neither a member of Rajya Sabha nor was he a member of Lok Sabha at that time, therefore the question of obtaining his signatures does not arise at all.

A question of privilege was raised in Rajya Sabha and after inquiry the Chairman of Rajya Sabha came to the conclusion that Shri Yajee could not produce any proof to substantiate his charge. Though Dr. Ram Manohar Lohia belongs to my party but if he is found guilty of such a nefarious charge, this House has full authority to terminate his membership of this House. But the Chairman of the other House his come to this conclusion that Shri Yajee has not been able to substantiate his charge; Dr. Ram Manohar Lohia is a Member of this House and he also belongs to our party. Therefore to some extent it becomes our duty, and your duty also, because you are the Speaker of the Lok Sabha and therefore custodian of our rights and privileges to protect the rights and dignity of each of members, As to what action this House can take in this matter ? I want to say, that in May's Parliamentary Practice and Procedure (on page 145), the following has been laid down :

दोनों सभाएं स्वतंत्र हैं तथा दोनों में से कोई भी दूसरी सभा के किसी सदस्य को कोई दण्ड नहीं दे सकती है । परन्तु यदि कोई सदस्य दूसरी सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप लगाता है तो उन आरोपों की जांच करने के बाद दूसरी सभा में जांच के विषय में जांच के निष्कर्ष रख दिये जाते हैं । इसके पश्चात यह दूसरी सभा सदस्य के आरोपों की जांच करती है क्योंकि वह इस सभा का सदस्य होता है तथा उसे दण्ड देती है ।"

Now it becomes the duty of this House to take proper measures to inquire into this and punish the Member concerned in a proper way.

You, Sir, that day read out the decision of the joint committee of both the House which was constituted by you and said that it is still bidding on us. That decision is as follows :

"जब किसी सदन में विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाया जाता है जिससे दूसरे सदन के सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी का सम्बन्ध है, पीठासीन अधिकारी उस मामले को दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी को सोंपेगा ।

First of all you, Sir, I have to decide whether such an allegation constitutes a breach of privilege of a member of this House and altimately of this House itself. If in your opinion there has been a breach of privilege, I do not say that this House or its committee can punish Shri yajee, but you can certainly write to the Chairman of the Rajya Sabha that there has been a breach of privilege of an hon. Member of this House and it has spoilt his reputation and request him to treat it as a breach of privilege of an hon. Member of Rajya Sabha and to take action accordingly. If this is done, I have nothing to say in this regard.

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम यह मामला श्री सन्त बख्श सिंह द्वारा दो सप्ताह पहले उठाया गया था और मैंने समझा था कि मैं उन्हें संतुष्ट कर चुका हूँ कि उस सभा का विशेषाधिकार उतना ही अनुल्लंघनीय है जितना कि इस सभा का । श्री फरनेंडीज ने सचिव तथा सभी दलों की सहायता से इस मामले में मुझसे कई बार बातचीत की थी । तथ्य यह है कि

सभा ऐसे मामले में तभी कार्यवाही कर सकती है जब भाषण सभा से बाहर दिया गया हो। ब्रिटिश संसद में भी ऐसी ही प्रथा है यह मामला बिल्कुल भिन्न है स्वयं उस सभा में प्रश्न उठाया गया था कि इसे विशेषाधिकार समित को सौंप दिया जाये। ऐसा नहीं है कि उस सभा ने इस मामले में कार्यवाही नहीं की। सभापति ने कहा कि मैं स्वयं इसकी जांच करूंगा। उसने उस सदस्य को बुलाया और उनसे प्रमाण देने के लिये कहा। जब वह संतोषजनक प्रमाण नहीं दे सके तो सभापति ने कहा कि उनके आरोप दुरुस्त नहीं है। यदि हम इस मामले को यहां पर पुनः उठाते हैं तो इससे दोनों सदनों के बीच विवाद खड़ा हो सकता है। जब सभापति पहले ही अपना निर्णय दे चुके हैं तो उन्हें फिर से लिखने की कोई आवश्कता नहीं है।

Shri Madhu Limiye : He should tender an apology.

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मधु लिमये को यह मामला इसलिये उठाने की अनुमति दी है जिससे सारे सदन को इस तथ्य की जानकारी हो जाये क्योंकि 14 दिन तक विचार करने के पश्चात भी मुझे स्वयं इस बारे में सन्देह था। मैं इसे स्वीकार नहीं करता क्योंकि सभापति ने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है और मैं उन्हें इस बारे में कुछ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं समझता।

सभापटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विवरणियाँ तथा सूचना (संशोधन) नियम, आदि

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं निम्न लिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विवरणियां तथा सूचना संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 19 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 504 में प्रकासित हुए थे।

(दो) उक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 789/67]**

(2) प्राद्यौगिकी संस्था अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्राद्यौगिक संस्था कानपुर, के वर्ष 1965-66 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 791/67]

(3) केन्द्रीय आंग्ल भाषा संस्था, हैदराबाद के क्रियाकलापों के बारे में वर्ष 1964-65 के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(4) केन्द्रीय आंग्ल भाषा संस्था, हैदराबाद के वर्ष 1964-65 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रदिवेदन । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 791/67**]

भारतीय वन सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, आदि

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं ,निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 17 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 913 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 792/67**]

(2) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) बम्बई ग्राम पंचायतें (पुनर्गठन तथा पुनःसंघटन) आदेश, 1967 जो दिनांक 26 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1866 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) एस० ओ० 2070 जो दिनांक 24 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें दिनांक 26 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस० ओ० 1866 का शुद्धि-पत्र दर्ज है ।

(3) उक्त मद (6) के भाग (एक) की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 793/67**]

(4) नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) नागरिक (भारतीय वाणिज्य दूतावासों में रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम 1967 जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 871 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) नागरिकता (संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 872 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 794/67]

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

छठा प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर:सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन
ELCTION TO COMMITTEE

दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2 के खंड (1) (xvi) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों, के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पांच वर्ष की आगामी अवधि के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य चुने ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2 के खंड (1) (xvi) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पांच वर्ष की आगामी अवधि के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)
The motion Las adodted

एयर इंडिया के विमान चालकों द्वारा हड़ताल के बारे में जारी

RE : STRIKE BY AIR INDIA PILOTS Contd.

श्री स० मो बनर्जी (कानपुर) : कल असैनिक उड्डयन मंत्री ने एयर इण्डिया के विमान चालकों की हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य दिया था। उस हड़ताल की स्थिति से हमें अवगत कराया जाना चाहिये। कल हमें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि इस पर एक घंटे तक या इसके लगभग चर्चा होगी। मैं नहीं चाहता कि बेकार में सभा का समय बर्बाद हो। मंत्रियों के वक्तव्यों के बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। नियम में दिया हुआ कि प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। स्पष्टीकरण के नाम में एक-दो प्रश्नों की अनुमति दी जाती है। मैं चाहता था कि इस पर आज ही चर्चा हो जाये। परन्तु आज एक आधे-घंटे की चर्चा है। अतः एयर इण्डिया में हड़ताल पर एक घण्टे की चर्चा कल होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : आज के समाचार पत्रों में निकला है कि एयर इण्डिया के विमान चालकों की हड़ताल के कारण जबरी छुट्टी दी जायेगी और इसका अर्थ होगा कि काफी कर्मचारियों की छंटनी भी की जा सकती है। क्या मंत्री महोदय ने इस हड़ताल को रोकने का प्रयत्न किया है ? हम इस मामले में उनकी मदद करने के लिये तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसे कल पांच बजे लिया जायेगा और इसपर एक घण्टे तक चर्चा होगी।

अनुदानों की मांगे-जारी

DEMANDS FOR GRANTS Contd.

प्रतिरक्षा मंत्रालय-जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर व्यय चर्चा होगी।

Shri Nitiraj Singh Choudhary (Hoshangabad) : Mr. Speaker, I do not want to repeat the arguments already advanced on the Demands for grants of the Ministry of Defence.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

I agree with Shri Frank Anthony that the Report of the Ministry of Defence does not give sufficient facts and materials. Hence the members have to resort to get information from other sources which are not always correct. I want to place before the minister the fact and want to know its cor retnaess whether the tenth Division which was sent to Jammu and Kashmir was not equipped with adcquate arms, equipment and vehicles. Also

that did not have proper supplies, spare and maintenance. If this is true I would request him not to let such things happen in future.

The Airforce plays a big part in a modern war and the same has been proved by the recent war between Arabs and Israels. Adeguate information has bot been given about our air force in the report. He should increase the air streng h of the nation,

The emoluments given to the personnel in the armed forces are not sufficient. In 1952 the late Prime Minister Shri Nehru give an assurance to co-relate the dearness allowance of the personnel of the armed forces with that of the civil employees. There is a provision of only Rs. 26 lakh for amenities in the budget which is not sufficient. There are no proper arrangements for the resettlement of armed forces personnel after their release from the army. Most of the assurances given by the State Government at the time of aggressions on the country are mere assurances.

I want to bring to the notice of the Defence Minister about the empoluments of officers of the armed forces. According to the Post-War Pay Committee Report, 1947 the emoluments of K. C. I. Os. were at par with that if I. C. S. officers. The K. C. I. Os. used to get upto Rs.4000/-. But after Indianisation of the armed forces the emoluments of Indian Commissioned Officers were decreased. Their pay was decreased and brought at par with that of the I P. S. Officers. It was again revised and at the time of last revision the pay of the Major General was revised but not of other officers. The pay-Scales of I. A. S. Officers has been revised twice and now an I. A. S. Officer starts at Rs.400/- and reaches upto Rs. 3000/-. According to the Post-War Pay Committee the pay of officers in the armed Forces was at par which the I. C. S. Officers. I want the hon. Defence Minister to consider as to why the pay of officers in the armed Forces is not at par with that of the I. A. S. Officers. About other allowances I want to attract his attention to page 366 para 7 of the Second Pay Commission Report where they have stated that; "the central idea of a special pay is that it is the most satisfactory way of compensating such addition to work or responsibilities or such greater ardousness of duties as is recognisable enough to merit additional remuneration." When the administration and this House agrees with this principle and when the administration has sanctioned an allowance of Rs. 100/- to Rs.300/- for special duties why similar allowances like Corps allowance, lodging allowance (single and married) etc. Which used to be given to the officers in the armed forces have now been stopped. I would request the Defence Minister to reconsider this matter and make adjustments in the budget to restart these allowances.

Shri Bhagat said that a sum of Rs. 12.8 crores had been sanctioned for research work. I think it is too inadequate.

We lack in metallurgy also in our country. We need research in this field. We should not rely on other countries.

In certain cantonments you will not find even ordinary amenities of cinema hall.

I cannot understand why a duplicate force known as Border security Force has been created. It would be better if the strength of the army is increased and then there would be unified command also.

So many cases of irregularities have been discovered in the Border Roads Organisation which should be looked into.

There is a land near Itarsi from where 1100 families are being evicted. I want to minister to take it up with the state government and ensure that these families, if at all are to be evicted, are given alternative lands and resettled.

श्री सवर गुह (कन्टाई) : महोदय जिस समय सदन में चीन द्वारा उद्जन बम के विस्फोट पर चर्चा हो रही थी तो मैं उत्तेजित हो गया था। उसका कारण यह था कि यह सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बड़ी सुस्ती के कार्य कर रही है। हम देखते हैं कि सरकार के ऊंचे स्तरों पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में हमें चार मामलों में स्पष्ट होना पड़ेगा। एक तो यह कि हमारे कौन शत्रु होंगे तथा उनके राजनीतिक तथा सामाजिक उद्देश्य क्या होंगे। (2) शत्रु की चाल तथा आक्रमण की योजना के बारे में स्पष्ट जानकारी रखनी होगी। (3) अपनी सेनाओं को आधुनिक शस्त्रों से लेस करना तथा आधुनिक युद्ध का उन्हें ठीक प्रशिक्षण देना। (4) शत्रुओं का मुकाबला करने के लिये राष्ट्र में जागृति हो।

इस देश में इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि हमारे शत्रु कौन होंगे। यह याद रखना होगा कि 1962 तथा 1965 में चीन तथा पाकिस्तान ने अलग अलग आक्रमण किया परन्तु अब वे दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे। हो सकता है कि आगामी पतझड़ का मौसम शान्ति से न गुजरे।

अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान करते हुए हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि पूर्वी पाकिस्तान अब पश्चिमी पाकिस्तान से स्वायतत्ता चाहता है। राष्ट्रपति अय्यूब भी इस बात को जानते हैं और इसी कारण उनका चीन से कुछ समझौता हो गया है जिसकी उन्होंने घोषणा नहीं की है। उन्हें यह भी पता है कि आज नहीं तो कल पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होगा। वह यह सोचता है कि काश्मीर को हड़प तभी किया जा सकता है जब चीन पाकिस्तान की सहायता करे। यही कारण है कि श्री अय्यूब ने चीनियों के घुसपैठ के लिये पूर्वी पाकिस्तान के द्वार खोल दिये है। चीन ने आज पूर्वी पाकिस्तान में अपने राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक पांव जमा लिये हैं। राजनीतिक रुप से पूर्वी पाकिस्तान में अब माओत्से तुंग के बारे में प्रचार होता है। आर्थिक रुप से पूर्वी पाकिस्तान की मंडियों में चीन का सामान भरा पड़ा है तथा पूर्वी पाकिस्तान को कोयला भेजता है और पटसन खरीदता है। चीन का सैनिक सामान गत 18 महीनों से पूर्वी पाकिस्तान में आ रहा है। मुझे पता नहीं कि सुरक्षा मंत्रालय को यह पता भी है अथवा नहीं कि वहां हजारों मुजादियों को चीनी लोग सैनिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन को खुली छुट्टी दे रखी है कि नागा तथा मीजो लोगों को चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में सैनिक प्रशिक्षण दे।

पूर्वी पाकिस्तान कि अवामी लीग जो कि एक वहां का राष्ट्रीय दल है, इस बात को जानता है कि वहां वियतनाम जैसी परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है और वह दल इसका विरोध कर रहा है। पेकिंग तथा उनके समर्थक लोग जो भारत में है चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, असम तथा त्रिपुरा को मिला कर एक अलग गणतन्त्र बना दें तथा भारत में चीन जैसा येनान उत्पन्न कर दें।

चीन तथा पाकिस्तान का मिलकर आक्रमण होगा जिसका उद्देश्य यह होगा कि चीन पूर्वी क्षेत्र के युद्ध में भाग ले और पाकिस्तान इस प्रकार काश्मीर को हड़प कर ले।

पूर्वी क्षेत्र की सैनिक समस्या को राजनीतिक तथा सामरिक दृष्टि से सुलझाना होगा। उसके लिये भारत को पूर्वी पाकिस्तान के स्वतन्त्रता युद्ध का समर्थन करना होगा तथा आकाशवाणी को भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रसार करने होंगे। भूत-पूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों की सहायता से कम से कम एक लाख व्यक्तियों का छापा मार दल तैयार करना होगा जिसमें नामशूद, संथाल तथा चकमा लोगों को शामिल किया जाय जो कि पूर्वी पाकिस्तान से ही आये हैं।

देश को बाहर से खतरा तो बहुत है परन्तु इसके लिए अधिक जिम्मेदार भारत सरकार की उदासीनता है। हमें जनता में नेताजी के देश भक्ति के जोश को फिर जगाना होगा। हमारे देश की सुरक्षा के लिये नेताजी के द्वारा दिये गये तीन मंत्र याद करने होंगे जिनमें जनता से "इत्तिदाद", "ऐतमाद" तथा "कुर्बानी" के लिये कहा गया था।

Shri Prakhash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Deputy Speaker Sir, the Defence Minister has for the first time admmitted that Pakistan was serious about those clauses of the Tashkent agreement recording to which India forces were to with draw for those areas of Pakistan which they had occupied.

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok-Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

मध्यान्ह-भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2 बज कर 5 मिनट म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok-Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteenof the Clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Dy. Speaker** *in the Chair* }

Shri Prakash Vir Shastri : Pakistan has again started war like preparations and they are digging canals from Sulaiman Head works to Bhavalpur on the pattern of Ichhogil Canal. We read. similar reports about the Rajasthar and East Pakistan border.

Our Defence Ministry report itself says that Pakistan has made up its aragements. They also repaired the tanks which were put out of order during India-Pakistan war. They have obtained war material for two infantry d visions and obtained 120 MIG planes. They have also got two squadrons of I. L. 28. The Americans are giving food to India but war material to Pakistan Iran and Turkey are helping Pakistan in affording foreign exchange to her to buy war material. Iron has given its Jahidan airport practically for use of Pakistan.

India cannot decide its defence policy unilaterally. Our defence policy has to take into account Pakistan and China. In the future war India will have to fight on three fronts whether it likes it or not. People of India are not prepared to listen in future the argument that we were stabbed in the back by the enemy. China and Pakistan have entered into an unholy alliance according to which China will engage India forces on the Eastern front and Pakistan will engage on the western front. Trouble in Mizo hills, Nagaland on East Pakistan border give indication in that direction.

We should also create conditions to engage the enemies on other fronts. For this we should fulfil the word which we gave to Pathans when they were helping us in our fight for freedom. So now we should help Khan Abdul Ghaffar Khan and the Pathans in their freedom fight against Pakistan. Similary we should help the East Pakistanis in their fight for freedom against Pakistan. Then we should help the Tibetans in their struggle.

The attitude of Russian Government about Kashmir question is not the same as it was at time of Khruschev.

It is rumoured that Government of India is considering the question of releasing Sheikh Abdullha. I would request the government not to take a weak decision under the pressure of foreigners.

Our military intelligence failed on both the occasions when India was attacked by China and Pakistan. Yet Government has promoted the officers who were incharge of military inteligence. If that is the case how shall we improne our intelligence .

About the manufacture of atomic weapons I would ask the government whether they have any weapon to counter act the effect of atomic weapons ? They may consider it morally bad to manufacture atom bombs but what shall they do it they are attacked with these deadly weapons ?

We sould no longer squandor money on N. C. C. We should absorb into services those students who had millitary subjects in their studies as it will create interest in them about those subjects.

We should give military training to people who live on our borders. We should settele on our borders ex-militarymen so that they may always be ready to bear the first burnt in a war. I hope the Defence Ministry will consider these questions.

श्री चित्तरंजन राय (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने सामान्य बजट पर बोलते हुए कहा था कि यदि हम सुरक्षा बजट में कमी कर दें तो इससे हमारी सुरक्षा सेना के लोगों में निरुत्साह फैलेगा । हमें देश तथा यहां के लोगों के हित के बारे में सोचना होगा ।

हमें प्रत्येक बात को राष्ट्रीय हित से देखना चाहिये । देश की प्रतिरक्षा नीति केवल सेना पर ही निर्भर नहीं बल्कि यह सर्व साधारण पर भी निर्भर है । देश की रक्षा जनता की सामूहिक रूप से मुकाबला करने की शक्ति से होगी । भारत के लोगों ने ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत को स्वतन्त्र कराया है, । वियतनाम की जनता का उदाहरण भी हमारे सामने है । देश की रक्षा करने के लिए जनता में उत्साह तथा वीरता का संचार करने के लिए सरकार को लोगों की स्थिति सुधारनी चाहिये ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से भारत एक देश है परन्तु दुर्भाग्य से प्रान्तीयतावादी विचारों, साम्प्रदायिक भावनाओं तथा विखण्डवादी प्रवृत्ति की प्रबलता है। विभिन्न राजनैतिक दलों ने उसे और भी बढ़ाया है, राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता आज की आवश्यकता है।

हमें रक्षा तथा सेना को विदेशी प्रभाव से दूर रखना चाहिये। इसके लिए हमें देश में तकनीकी ज्ञान का विकास करना होगा। सैनिक कर्मचारियों तथा अनुसन्धानकर्त्ताओं में देश भक्ति की भावना जागृत की जानी चाहिये। देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहन देना कार्य करने की भावना को प्रोत्साहन देने के समान है। यह हमारी रक्षा की उचित गारण्टी होगी।

हमारी चीन तथा पाकिस्तान के साथ सीमा बहुत लम्बी है। केवल सेना से ही इसकी रक्षा नहीं की जा सकती। सभी स्वस्थ व्यक्तियों को सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिये।

श्री गिरराज शरण सिंह (मथुरा) : हमारी बहुत बड़ी सीमा की रक्षा करने के लिए एक बड़ी सेना रखने में कठिनाइयां बहुत अधिक हैं। इसलिए हमें प्रतिरक्षा सेना के ढांचे में परिवर्तन करके उसे ब्रिटिश रक्षा प्रणाली की तरह बनाना चाहिये हमारी सेना पूरी तरह आधुनिक शस्त्रों से लैस, बहुत गतिशील और सामरिक स्थानों पर केन्द्रित होनी चाहिये तथा उसे अर्द्ध सैनिक बल का बहुत बड़ी संख्या में समर्थन मिलना चाहिये। वायु सेना, रिजर्व सेना को अधिक संख्या में संकट वाले क्षेत्रों में ले जाने में समर्थ होनी चाहिये। इस प्रकार हम वर्तमान सेना तथा खर्च में कमी कर सकेंगे और बहुत संख्या में सैनिक रिज़र्व में रख सकेंगे ताकि आपात स्थिति में उन्हें सामरिक महत्व के स्थानों पर ले जाया जा सके।

मंत्रालय के प्रतिवेदन से बहुत कम जानकारी मिलती है। इस प्रकार की गोपनीय काम की अक्षमता अथवा भ्रष्टाचार पर परदा डालती है। सरकार को देश का विश्वास प्राप्त करना चाहिये और रक्षा से सम्बन्धित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जानकारी देनी चाहिये। हैण्डरसन–ब्रुक्स का प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाना चाहिये। पाकिस्तान के साथ युद्ध के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार जांच की जानी चाहिये। वायुसेना का आय-व्ययक बहुत सीमित है।

हमें आर्मी परमाणु शस्त्र नहीं बनाने चाहिये। हम इस पर होने वाला व्यय सहन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त शत्रु के अर्थात चीन के विरुद्ध इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास यह शस्त्र लक्षित स्थानों पर गिराने की व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान के किसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए हमारे परम्परागत शस्त्र ही पर्याप्त हैं।

सेना में कमीशन प्राप्त करने के उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में श्री फ्रैंक एन्थनी के विचारों से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। उनके वेतन तथा भत्ते आदि के मामले पर पुनः विचार किया जाना चाहिये ताकि योग्य तथा सक्षम युवकों को सैनिक सेवा के लिए आकृष्ट किया जा सके। जिन क्षेत्रों में परिवार रखने की अनुमति नहीं है, उनमें तैनाती की अवधि कम कर दी जानी चाहिये। इससे सैनिकों की नैतिकता पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। सेना के अधिकारियों के वृत्ति वेतनों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सैनिक कारखानों के असैनिक कर्मचारियों ने बहुत शानदार कार्य किया है। मैं सैनिकों को विदेशी आक्रमण के विरुद्ध उनके कठिन संघर्ष के लिए बधाई देता हूँ।

सैनिक कारखानों में उत्पादन कम हो गया है। उसके फलस्वरूप कानपुर तथा शाहजहांपुर के सैनिक कारखानों में लगभग 6,000 श्रमिक फालतू घोषित कर दिये गये हैं। मैं चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री यह निश्चित आश्वासन दें कि सैनिक कारखानों में कार्य बन्द करके गैर-सरकारी क्षेत्र को कोई कार्य नहीं सौंपा जायेगा। इस प्रकार तभी किया जाना चाहिये जब कि सैनिक कारखाने ऐसा न कर सकते हों।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की स्थिति सुधारने और एवरो–748 परियोजना के बारे में कार्य संचालन के सम्बन्ध में लोक–लेखा समिति द्वारा लगाये गये विभिन्न आरोपों के सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये। जनवरी,1965 के बाद कोई एवरो विमान नहीं बना हैं। इस मामले की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये।

प्रतिरक्षा कारखानों का शोषण बन्द किया जाना चाहिये। प्रतिरक्षा संस्थानों में स्थायी समझौता व्यवस्था पुनः स्थापित की जानी चाहिये, जैसा रेलवे डाक तार आदि विभागों में किया गया है।

दिल्ली के आयुध कारखानों में 12 स्टाफ कारें केवल 19,000 रुपये में बेची गई थी। कुछ अधिकारियों को 5 कारों की आवश्यकता थी और उन्हें वे 5,000 रुपये प्रति कार के दर से मिली थीं। उसी डिपो में तीन लाख रुपये के सरकारी सामान की चोरी भी की गई थी। मंत्री महोदय को इन मामलों की जाँच के लिए एक एक आयोग नियुक्त करना चाहिये। वेतन आयोग की कुछ सिफारिशें प्रतिरक्षा कर्मचारियों पर लागू नहीं की गई हैं। उन्हें तुरन्त लागू किया जाना चाहिये।

Shri Sheo Narain (Basti) : One group of opposition favours non-alignment, another group is in favour of joining American bloc while still another is in favour of joining Russian bloc. A few members have gone to the extent of advocating peaceful relations with China. That shows the extent of their Allegiance to the country.

A few opposition parties are interested in creating discord in the army. The hon. Minister should take steps to see that their attempts do not succeed.

Border roads and bridges should be sterngthened. The residents of those areas should be imparted military training and they should be provided with arms and ammunition to defend themselves.

प्रतिरक्षा मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति लगातार ऐसी बन रही है कि विदेशों में प्रतिरक्षा सामान के सम्भरण पर निर्भर रहना किसी भी देश के लिये खतरनाक है। भारत जैसे देश के लिये यह और भी खतरनाक हैं। सौभाग्य से हम प्रतिरक्षा उत्पादन व्यवस्था का विकास करने में सफल हुए हैं। अब हम प्रतिरक्षा सम्बन्धी अपनी आवश्यकतायें बहुत हद तक पूरी कर सकते हैं। यह बात प्रोत्साहनजनक है कि इस दिशा में की गई प्रगति से हमें न

केवल सप्लाई के एक ऐसे निश्चित साधन का विकास करने में सहायता मिली है कि जिससे हमें फालतू पुर्जे आदि लगातार मिल सकें ।

मैं उन सभी देशों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विभिन्न प्रकार के सामान की प्राप्ति में हमारी सहायता की है और औद्योगिक सहायता भी दी है। हमें जहां से भी सहायता मिलेगी, हम उसे प्राप्त करने में नहीं हिचकिचायेंगे यद्यपि ऐसी सहायता हमारे मान तथा प्रतिष्ठा के अनुसार हो ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि एक लोकतन्त्रात्मक देश में किसी समस्या पर विचार करने और समझने की प्रक्रिया में जितने अधिक लोग होंगे, उतनी ही हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। परन्तु हमारी भी कुछ सीमायें हैं। हमारे इस समय पड़ौसी देशों के साथ जैसे सम्बन्ध हैं, उन्हें देखते हुए हमें कोई ऐसी बात अनजाने में नहीं कहनी चाहिये जिससे उन लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त हो जाये, जिन्हें हम ऐसी जानकारी नहीं देना चाहते हैं ।

यह सोचना बिल्कुल गलत है कि हमारी सैनिक शक्ति के बारे में जो कुछ विदेशी पत्रों में प्रकाशित होता रहता है, वह ठीक होता है । अधिक से अधिक उन सूचनाओं को एक अच्छे मस्तिष्क की कल्पना कहा जा सकता है । हमें उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिये । ऐसी जानकारी इसलिये भी दी जाती है कि हम इसकी पुष्टि करें अथवा उसका खण्डन करें और इस प्रकार सही जानकारी प्राप्त कर ली जाये ।

निस्सन्देह सैनिक गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रश्न महत्वपूर्ण है, परन्तु वह हमारी सम्पूर्ण गुप्तचर्या व्यवस्था से अलग नहीं है। मैं यह भावना दूर कर देना चाहता हूं कि इस बारे में काफी जानकारी का आदान-प्रदान नहीं होता है। हमारी जासूसी प्रणाली की कार्य-कुशलता पिछले पाकिस्तानी आक्रमण के समय स्पष्ट हो गई थी।

यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हम युद्ध करना चाहते हैं, हमारी नीति देश की प्रतिरक्षा करने की है। हमारा किसी भी देश पर आक्रमण करने का कोई विचार नहीं है। हमारी सीमाओं को चीन तथा पाकिस्तान से खतरा है। प्रतिरक्षा मंत्रालय इस खतरे के प्रति सजग है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 1962 में हमें बहुत हानि हुई है, परन्तु हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। हमने जो इसमें सुधार करने के बारे में कार्यवाही की उसके कारण तीन वर्ष बाद अर्थात् 1965 में हम बहुत अच्छा मुकाबला कर सके। आशा है कि 1967 में हम इससे भी अच्छी कार्यवाही कर सकेंगे।

प्रतिरक्षा योजना कुल साधनों तथा मांगों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी और इस समय उपलब्ध साधनों को देखते हुए उन पर पुनः विचार करना पड़ रहा है। परन्तु योजनाबद्ध परिव्यय की तुलना में आयव्ययक में कमी किये जाने के बावजूद भी विमान तथा अस्त्र शस्त्र अर्थात् बन्दूक तोपें आदि, प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपें, राडार उपकरण, इलेक्ट्रोनिक्स, गोला बारूद तथा नौ-सेना के जहाज आदि की खरीद में कोई कमी नहीं की गई है।

युवकों में अनुशासन की भावना जागृत करने के लिये राष्ट्रीय छात्र सेना शुरु की गई थी, परन्तु यह योजना सभी राज्यों में समान रूप से सफल नहीं हुई है। उपकुलपतियों ने इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया और सिफारिश की कि उसे अनिवार्य रूप से समाप्त किया जाये। राष्ट्रीय समाज सेवा योजना के विकास को देखते हुए इस वर्ष के अन्त तक अथवा आगामी वर्ष के आरम्भ में छात्र सेना दल के भविष्य के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा।

सामरिक महत्व की सड़कों का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती सड़क विकास संगठन ने सीमाओं के निकटवर्ती क्षेत्रों को खोलने में बहुत काम किया है। हम पहाड़ी क्षेत्रों तथा गुजरात और राजस्थान राज्यों में सड़कें बना रहे हैं।

जब भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में संशोधन किया गया तभी विभिन्न स्तरों पर सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के वेतनों तथा भत्तों की भी जांच की गई है और आवश्यक कार्यवाही की गई है। यदि हम उन्हें मिलने वाले कुल भत्तों तथा दूसरी रियायतों पर विचार करें तो उन्हें दूसरे कर्मचारियों से कुछ अधिक भत्ते आदि मिले हैं।

जो महंगाई भत्ते आदि सैनिकों को दिये जाते हैं यदि आप उनमें वह सुविधायें भी जोड़ दें जो मुफ्त भोजन आदि की उन्हें दी जाती है तो पता चलेगा कि वह अन्य लोगों से कुछ लाभ में ही हैं। अभी तीन चार दिन पहले सरकार ने कुछ भत्तों में और बढ़ोत्तरी की है। एक और पुनरीक्षण भी हो रहा है जिसमें 22 भत्तों को लिया जायेगा जो इस समय अधिकारियों तथा दूसरे सैनिकों को मिलते हैं।

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल की बहुत आलोचना हुई है। हमने इसे विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिये लागू किया था। परन्तु कुछ राज्यों में इसको सफलता नहीं मिली। अब सब विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों ने यह सिफारिश की है कि इसकी अनिवार्यता समाप्त की जावे। एक और योजना भी लागू की गई है जिसे राष्ट्रीय समाज सेवा योजना कहेंगे और विद्यार्थियों को इन दोनों में से एक को छांटना होगा। राष्ट्रीय सेनाछात्र दल अब केवल एक वर्ष के लिये ही अनिवार्य है।

श्री नाथपाई (राजापुर) : आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। उस योजना का क्या बना जिसके अनुसार एच० एफ० 24 का ढ़ांचा तो भारत में बनेगा, परन्तु इंजन उसका संयुक्त अरब गणराज्य में बनेगा? हमने सुना है कि हाल के इसराईल-अरब युद्ध में वहां का कारखाना समाप्त कर दिया है। सैनिक सामान के बारे में आपको क्या कहना है? क्या आप चाहते हैं कि हमारी सेना सदा घटिया सामान के साथ लड़ा करेगी?

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के बारे में आपको क्या कहना है? एच० एफ० 24 के कारखाने के नष्ट हो जाने के समाचार असत्य हैं। वह करार भी अभी पक्का नहीं है। हमने कहा है कि वे हमारा ढ़ांचा प्रयोग करके देखें और हम उनके इंजिन अपने ढ़ांचों पर प्रयोग करके देखेंगे। कुछ और त्रुटियां भी हैं जिनकी जांच-पड़ताल हो रही है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : आपने मैच II के कार्य पर 8 वर्ष नष्ट कर दिये हैं। आप एच० एफ० 24 किसके स्थान पर बना रहे हैं ? हंटर के स्थान पर बना रहे हैं क्या या किसी और के स्थान पर ?

श्री स्वर्ण सिंह : एच० एफ० 24 के निर्माण पर कई वर्ष हो गये हैं। वायुयानों के निर्माण में उन्नत देशों में भी काफी समय लगता है। हमने यह कार्यक्रम 1956 में आरम्भ किया था और पहले वायुयान ने मई 1961 में उड़ान की। वायुसेना को विमान देने में 8 वर्ष लगे हैं।

हन्टर विमानों ने पिछले पाकिस्तान से युद्ध में अच्छा कार्य किया, इसलिये इनका निर्माण हम जारी रखेंगे।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या हमारे पास लड़ाकू बम वर्षक विमानों की कमी है तथा क्या आगे इनका निर्माण किया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम मिग विमान बना रहे हैं जो कि अच्छे विमान सिद्ध हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के पश्चात कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, परन्तु मैं कुछ प्रश्नों की अनुमति देता हूं।

श्री नाथ पाई : महोदय क्या इस उत्तर को आप सामान्य उत्तर कहेंगे जो सुरक्षा मंत्री ने दिया है। हमें दो समुद्रों की रक्षा करनी है परन्तु उन्होंने नौ सेना के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसे ही वायुसेना के बारे में भी हमारे प्रश्न पूछने पर ही उन्होंने कुछ कहा। यह तो आश्चर्य की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी बात पर स्पष्टीकरण लेना है तो मैं ऐसे प्रश्नों की अनुमति दूंगा।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : क्या नौ-सेना के बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्री दांडेकर ने बहुत अच्छा भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि हमें नौ-सेना के दो भाग रखने होंगे, एक तो पश्चिमी तट के लिये और दूसरे पूर्वी तट के लिये। हम उसमें वृद्धि कर रहे हैं तथा पूर्वी तट और अंदमान और निकोबार द्वीपों पर इस प्रकार की सुविधायें तैयार कर रहे हैं।

पूर्वी तट पर कुछ वायु अड्डों के बारे में भी सुझाव आये थे। हमारे पूर्वी तट पर पहले ही अच्छे अड्डे हैं।

एमर्जेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों के बारे में यह स्थिति है कि उनमें से सैकड़ों तो स्वयं नौकरी छोड़कर चले गये। काफी अफसरों को पक्का कमीशन दिया गया है और वह 40% हैं। कुछ पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल आदि में ले लिये गये हैं।

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : He has not answered my question as to what steps have been taken to protect country against atomic attack ?

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैंने पनडुब्बियों के बारे में प्रश्न किया था क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सी पनडुब्बियां प्राप्त करली हैं। मेरा दूसरा प्रश्न नान कमीशन अफसरों के बारे में है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है।

श्री स्वर्ण सिंह : पनडुब्बियां लेने के बारे में हम कुछ कार्यवाही कर रहे हैं।

यह कहना ठीक नहीं है कि नान कमीशन अधिकारियों में असंतोष है।

उद्जन बम के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, we have got a very unsatisfactory reply after 7 hours of discussion. We are going to grant about Rs. 1000 crores and so all these matters should be considered adequately. Without a standing committee this matter will not be given proper consideration.

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक अलग प्रश्न है।

श्री उमानाथ : क्या यह सच है कि हवलदारों से जमादार बनने के लिये हिन्दी प्रथम कक्षा पास करनी होती है ? हमारी सुरक्षा सेना की एकता बनाये रहनी चाहिये ?

श्री स्वर्ण सिंह : भाषा के कारण कोई भी व्यक्ति घाटे में नहीं रहेगा। मुझे इस समय वस्तुस्थिति का पता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह सच है कि कुछ आयुध कारखानों के कर्मचारियों के पास इस समय कोई कार्य नहीं है, क्योंकि जो वर्दियां आदि वह बनाते थे वे अब गैर-सरकारी लोगों अथवा रेल विभाग को दे दी हैं ? सरकार उन आयुध कारखानों को चलाये रखने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे आयुध कारखानों में पहले कार्य बहुत था परन्तु अब कुछ कम हो गया है। यदि काम कम हो गया है तो और कार्य तो कर नहीं सकते।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडिवाश) : मंत्री जी ने भंगियों तथा पानी ले जाने वाले कर्मचारियों की छंटनी के बारे में कुछ नहीं कहा है। न ही सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने के बारे में कुछ कहा है।

श्री स्वर्ण सिंह : सैनिक स्कूलों ने काफी अच्छा कार्य किया है और वहां से प्रशिक्षण प्राप्त बहुत से विद्यार्थियों को कमीशन भी प्राप्त हुआ है। यदि कोई राज्य कोई नया स्कूल खोलने की प्रार्थना करेगा तो उस पर हम विचार करेंगे।

छंटनी के प्रश्न के बारे में स्थिति यह है कि यह निर्णय सैनिक अधिकारियों की सिफारिश पर किया गया। कुछ स्थानों पर अब नल लग गये हैं इसलिये वहां नौकरी से लोगों को हटाना पड़ा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या यह सच है कि इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज को इन्स्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, लन्दन से मिलाने का प्रयास किया जा रहा है ? क्या कारण है कि इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज की शासक निकाय में दोनों सदनों में से केवल एक सदस्य श्री दांडेकर को ही नियुक्त किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : भारतीय तथा लन्दन स्थित संस्था का आपस में कोई मेल नहीं है। किसी गोष्ठी में भाग लेने से इनका जोड़ नहीं हो जाता। संस्था के सभापति गृह-कार्य मंत्री हैं और उसमें श्री दांडेकर के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : हमारे साधन सीमित होने के कारण हम अधिक सेना नहीं बढ़ा सकते। फिर हम इसराईल की भांति सहायक सेना क्यों नहीं रखते ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे पास प्रादेशिक सेना की कुछ यूनिट हैं और साधन होने पर इन्हें बढ़ायेंगे भी।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योगों को प्रतिरक्षा विभाग से अलग किया जाये तथा क्या कारण है कि उड़ीसा के प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योगों में उपेक्षा की जा रही है तथा क्या ऐसी इकाई स्थापित करने में राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पर विचार किया जाता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रतिरक्षा उत्पादन एक महत्वपूर्ण विषय है तथा उसका अलग सचिव है। उसकी प्रतिरक्षा मंत्रालय में देखभाल करता है। यह कहना गलत है कि औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने में राजनीतिक दृष्टिकोण से इन मामलों पर विचार किया जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : जवानों को रहने के लिये रिहाईश के बारे में क्या किया है ? मुसलमानों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम प्रत्येक वर्ष जवानों के लिये रिहाइशी मकान बनाते हैं। यह कहना गलत है कि मुसलमान भर्ती नहीं किये जा रहे।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दपाल) : क्या सरकार गैर-सरकारी उद्योग को प्रतिरक्षा उत्पादन का कार्य देने की बात सोच रही है ? यह भी सूचना दीजिये कि क्या सरकार प्रतिरक्षा उत्पादन की क्षमता में कमी लाये बिना प्रतिरक्षा उत्पादन के सारे मामले पर पुनः विचार करने को तैयार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम बहुत से कार्यों में गैर-सरकारी उद्योग का उत्पादन में सहायता ले रहे हैं।

हम उत्पादन के विषयों में जांच कर रहे हैं परन्तु यदि हम प्रतिरक्षा के सारे ढांचे की जांच करने लगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा।

श्री काशीनाथ पाण्डे (पदरौना) : क्या चीन तथा पाकिस्तान के खतरे को ध्यान में रखते हुए यह सम्भव नहीं है कि एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अफसरों का एक पूल बनाया जाये ताकि उनकी सेवा का लाभ उठाया जाये ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम तो चाहते हैं कि इन्हें पूल में रखा जाये, परन्तु कुछ विभाग कहते हैं कि इस से उनके कार्य में बाधा पड़ जायेगी ।

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : Has Government made adequate arrangements of ration etc. for the families of youngmen posted on the front ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं आपकी बात से सहमत हूँ । हमने राज्य सरकार आदि से कहा है कि इस ओर विशेष ध्यान दें ।

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरनतारन) : क्या पाकिस्तानी घुसपैठियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये ग्रामीण व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की योजना विचाराधीन है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इसका स्वागत करता हूँ, परन्तु इस दिशा में पहले राज्य सरकारों को करनी होगी ।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : What has the Defence Minister to say about China's increasing intimacy with Sikkim, Bhutan, Nepal and Pakistan ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसका सम्बन्ध चीन तथा पाकिस्तान द्वारा दी गई धमकी से है ।

Shri Sheo Narain : Are you prepared to give us an assurance about giving military to people in border areas from Gorakhpur to Naxalbari ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है । अब मैं कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए :

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय की निम्नलिखत मांगे मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई

The following Demands in respect of Ministry of Defence were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
4	रक्षा मंत्रालय	54,14,000
5	रक्षा सेवायें सक्रिय—स्थल सेना	4,48,27,33,000

6	रक्षा सेवाएं सक्रिय–नौ सेना	25,97,33,000
7	रक्षा सेवाएं सक्रिय–वायु सेना	1,07,02,00,000
8	रक्षा सेवाएं–निष्क्रिय	17,00,00,000
111	रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय	83,68,36,000

वाणिज्य मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब वाणिज्य मंत्रालय का अनुदान की मांग संख्या 1 से 3 तथा 110 को लेंगे, जिनके लिये 7 घंटे का समय नियत किया गया है। जिन्हें कटौती प्रस्ताव देने हैं वे सदस्य 15 मिनट के अन्दर अन्दर सभा पटल पर भेज दें ।

वर्ष 1967-68 के लिये वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गयी ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
1	वाणिज्य मंत्रालय	29,43,000
2	विदेशी व्यापार	26,28,25,000
3	वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	12,75,32,000
110	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	16,37,000

श्री म० अमरसे (बनस्कंठा) : वाणिज्य मंत्रालय में नौकरशाही का बोलबाला है, मैं अपने को राज्य व्यापार निगम के कार्य संचालन तक ही सीमित रखूंगा। इसका विभिन्न आयात तथा निर्यात अभिकरणों पर एकाधिकार है। व्यापार के मामले में राज्य व्यापार निगम का दृष्टिकोण बहुत ही गैर-व्यापारी ढंग का है और जिस क्षेत्र में भी इसने पदार्पण किया है, उसमें गड़बड़ी हुई है। निर्यात तथा आयात के मामले में इसकी असफलताओं को इसके बहीखातों में उन कम्पनियों के उत्पादों की बिक्री पर अर्जित भारी कमीशन की राशि दिखाकर पर्दा डाल दिया गया है जिनपर इसे कमीशन लेने का कोई अधिकार नहीं था और जिन पर इसका एकाधिकार रहा ।

निर्यात के क्षेत्र में इसके गैर-व्यापारिक दृष्टिकोण से विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अनेक अवसर हाथ से निकल गये। राज्य व्यापार निगम और एम० एम० टी० सी० कच्चे मैंगनीज के निर्यात को बढ़ाने में बुरी तरह असफल रहे हैं। जब से एम० एम० टी० सी० ने मैंगनीज अयस्क के निर्यात का काम अपने हाथ में लिया है तब से इसका निर्यात 12.80 लाख टन से घटकर 1966 में 11.20 लाख टन रह गया है। वियतनाम की लड़ाई से मैगनीज अयस्क की कुछ मांग पैदा हुई थी जिसका एम० एम० टी० सी० उपयोग नहीं कर सका। फैरो मैंगनीज का निर्यात 1965 में लगभग 55,000 टन से घटकर 1966 में लगभग 25,000 टन रह गया है।

मंत्री महोदय ने हाल ही में बताया कि कच्चे मैंगनीज और कच्चे लोह के निर्यात में एम० एम० टी० सी० को 1.20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। बढ़ता हुआ निर्यात व्यापार गैर-सरकारी क्षेत्र से छीन लिया गया और इस प्रकार देश को जो स्वाभाविक लाभ हो रहा था उसे अस्वाभाविक घाटे में बदल दिया गया है। जो कम्पनियां पहले इस कार्य को करती थी उन्हें लगभग 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपये तक लाभ होता था। परन्तु समाजवाद ने इस भारी मुनाफे को 1.20 करोड़ रुपये के घाटे में बदल दिया। राज्य व्यापार निगम और एम० एम० टी० सी० की अकार्यकुशलता के कारण देश की विदेशी मुद्रा की भारी हानि हुई।

{ श्री गु० सि० ढिल्लन पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon *in the Chair.* }

राज्य व्यापार निगम ने नमक के निर्यात पर एकाधिकार कर लिया है। निर्यात 3.50 लाख टन पर ही रुक गया। नमक उद्योग में 28 लाख टन नमक का स्टाक जमा हो गया है परन्तु राज्य व्यापार निगम इतनी अधिक मात्रा में निर्यात करने में सफल नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इसका निर्यात गैर-सरकारी हाथों में सौंप दिया जाय, तो उसे कुछ समय में ही तिगुना किया जा सकता है।

राज्य व्यापार निगम ने नकली रेशमी कपड़े के निर्यात को भी अपने हाथ में ले लिया है परन्तु वह इस व्यापार को बढ़ाने में सफल नहीं हुआ। यह व्यापार जो गैर सरकारी व्यापार के रूप में 75 लाख रु० से 100 लाख रु० प्रतिमास तक बढ़ता जा रहा था अब हमेशा के लिये समाप्त हो गया है।

सरकार ने बार बार यह दावा किया है कि राज्य व्यापार निगम जैसी केन्द्रीय एजेंसियां साम्यवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में सबसे अधिक उपयुक्त है, परन्तु राज्य व्यापार निगम इस व्यापार को भी बढ़ाने में बुरी तरह असफल रहा है और इसने साम्यवादी देशों में इस देश के नाम को बदनाम किया है।

राज्य व्यापार निगम ने आयात के अकुशल प्रबन्ध और तैयार सामान को बाजार में अव्यवस्थित ढंग से जमा करने के कारण आयात के क्षेत्र में स्थानीय निर्माताओं के लिये समस्यायें पैदा कर दी है। राज्य व्यापार निगम ने गन्धक के आयात को पिछले वर्ष अपने हाथ में लिया है। सभा को पता है कि राज्य व्यापार निगम महिलाओं के वस्त्रों के एक छोटे अमरीकी व्यापारी के साथ एक झूंठे सौदे में फंस गया था। इस फर्म के पास टेलीफोन तक भी नहीं था। इस घुटाले पर पर्दा डालने के लिये इसने एक इसी तरह का झूंठा सौदा मेक्सिको की एक फर्म के साथ किया। लोक सभा को बताया गया था कि दूसरे सौदे के अधीन खरीदी गई गन्दक शीघ्र ही आयेगी। यह एक गलत वक्तव्य था क्योंकि देश में बिल्कुल भी गंधक नहीं आया। इस मामले की एक सार्वजनिक जांच की जानी चाहिये।

फास्फेट उर्वरक उद्योग में आये हुए संकट के लिये भी राज्य व्यापार निगम जिम्मेदार है। उद्योग की आवश्यकता लगभग 14 लाख टन उर्वरक की है। राज्य व्यापार निगम का

एक सल्फेट पर एकाधिकार है किन्तु यह इसकी आधी मात्रा के निर्यात की भी व्यवस्था नहीं कर सका है ।

इसरायल सबसे सस्ते दाम पर राक सल्फेट देने के लिये तैयार है, परन्तु राज्य व्यापार निगम इसके लिये साहस नहीं कर सकता, क्योंकि इससे चौदहवें अरब राज्य की विदेश नीति को धक्का पहुँचता है ।

बिजली से चलने वाले करघे और हाथकरघे बंद किये जा रहे हैं क्योंकि नकली रेशम के सूत के आयात पर एकाधिकार होने के बाद राज्य व्यापार निगम ने 1966-67 के दौरान एक औंस सूत भी नहीं मंगाया । ऐसे समाचार मिले हैं कि राज्य व्यापार निगम ने हाल ही में नकली रेशम के सूत के आयात की व्यवस्था की है, जिसके लिये यह जापानी निर्यातकों को सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से ऊंचे मूल्य दे रहा है, मेरा वाणिज्य मंत्री से अनुरोध है कि वे इस मामले की जांच कराये ।

देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हमारे यहां कास्टिक सोडा और सोडा रोश का काफी उत्पादन होता है । यह उद्योग इस समय अपना माल नहीं बेच सकता है परन्तु राज्य व्यापार निगम ने फिर भी इन चीजों का भारी मात्रा में आयात किया है और उन्हें बाजार में लाकर पटक दिया है । देश को यह सांत्वना देकर धोका दिया जा रहा है कि इस सौदे का भुगतान रुपयों में किया गया था । गैर सरकारी हाथों से व्यापार लेकर राज्य को सौंपने का केवल एक ही परिणाम सामने आया है कि देश को विदेशी मुद्रा के रूप में आयकर की हानि हुई है ।

कांग्रेस सरकार के परमिट-लाइसेंस-कोटा-राज और कांग्रेस दल की राज्य के सम्बन्ध में समाजवादी परिभाषा के कारण देश में एकाधिकारवाद उत्पन्न हुआ है । एकाधिकार, चाहे गैर सरकारी हाथों में हो या सरकारी हाथों में, खतरनाक है । केवल स्वतंत्र उद्यम और प्रतियोगी समाज ही एकाधिकारवाद की बुराई को दूर कर सकता है । समाजवाद से जनता को कोई लाभ नहीं है । कांग्रेस के समाजवाद ने देश को बरबाद कर दिया है और इसे विनाश के दरवाजे पर पहुँचा दिया है ।

टैक्सटाइल कमिश्नर के कार्यालय में सूती कपड़े के सुचारू उद्योग को एक अव्यवस्थित उद्योग में बदलने की कोशिश की गई है । कपास नियंत्रण के मामले में कोई मूलभूत त्रुटि है । 25 वर्ष के परीक्षण काल के बाद कपास नियंत्रण के बारे में नई विचारधारा अपनाने की आवश्यकता है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय किसानों, उद्योग तथा व्यापारियों के लिये दुखदायी नियंत्रण को समाप्त करने की कोशिश करेंगे ।

मेरे विचार से टैक्सटाइल कमिश्नर विभिन्न संस्थाओं का नियंत्रण हटाने की मांग को अस्वीकार कर रहा है और कपास पर नियंत्रण जारी रखने की सिफारिश कर रहे हैं । स्पष्टतया उनका नियंत्रण बनाये रखने में एक स्वार्थ निहित है और इसी कारण कपास पर से नियंत्रण नहीं हटाया जा रहा है । राष्ट्रपति जी ने संसद के अधिवेशन का उद्घाटन करते समय अनावश्यक नियंत्रणों को समाप्त करने की अपनी सरकार की नीति बताई थी परन्तु यह

सब निरर्थक है । यदि कपास पर से नियंत्रण हटाने की दिशा में तुरन्त कदम नहीं उठाये गये और किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिये गये तो सूती कपड़ा उद्योग समाप्त हो जायेगा ।

हमें यह कहा गया है कि यदि कपास की सीमायें हटा ली गई तो नियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्य बढ़ जायेंगे । कपड़े के अधिक दाम देने से गरीब आदमी को नुकसान पहुँचेगा । सरकार को उपभोक्ता की ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं है । इस सरकार की समाजवादी नीतियों से मूल्य बढते हैं । चीनी के दाम पिछले एक महीने में 3 रुपये से 4 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गये हैं । कं० के० शाह समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कपड़े की कीमत में की गई प्रत्येक पांच प्रतिशत वृद्धि से निर्वाह व्यय आधा प्रतिशत बढ जाता है ।

कमजोर एककों की व्यवस्था करने के लिये कपड़ा निगम स्थापित करने के मार्गदर्शक सिद्धान्त यह होने चाहिये कि उन कारणों को ठीक ढंग से समझा जाय जिससे वे एकक कमजोर हो गये हैं । वास्तविक तरीका, जिससे अन्ततः उपभोक्ता और उद्योग को लाभ होगा, यह है कि मूल कारण का पता लगाया जाय और उन कठिनाइयों को दूर किया जाय जिनसे एकक कमजोर हो गये हैं और कपड़ा उद्योग को पुनः मजबूत बनाया जाय । परन्तु सरकार ऐसा करने के स्थान पर राष्ट्रीयकरण के नाम पर जनता पर और बोझ डालना चाहती है ।

विभिन्न राज्य सरकारों ने खराब आर्थिक स्थिति वाली कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेकर उनकी स्थिति और भी अधिक खराब कर दी है । उदाहरणार्थ, युनाइटेड इण्डिया मिल्स को महाराष्ट्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है । इसके हाल के संतुलन के अनुसार 15 लाख रुपये मासिक घाटा हो रहा है । महाराष्ट्र सरकार ने इन मिलों को चलाने के लिये जनता पर साढे तीन करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डाल दिया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि खराब आर्थिक स्थिति वाली मिलों को फिर से सुव्यवस्थित रूप से चलाने का प्रयास करने से अन्य अच्छे कारखानों पर अधिक बोझ पड़ता है और अन्ततः यह बोझ जनता को उठाना पड़ता है । अतः खराब आर्थिक इन मिलों को बन्द कर के अधिक कुशल एककों को सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : अभी कितने पृष्ट और रह गये हैं । माननीय सदस्य 20 मिनट ले चुके हैं । माननीय सदस्य अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें ।

श्री कृष्ण मूर्ति (कडलूर) : अभी और कितने पृष्ठ रह गये हैं, सभापति महोदय के लिये इस प्रकार कहना उचित नहीं है ।

सभापति महोदय : मैंने माननीय सदस्य को अपना भाषण पढ़ने के लिये समय दे दिया है । मैं चाहता हूँ कि वह अपना भाषण समाप्त करें । इसके अतिरिक्त मैंने क्या कहा ?

श्री रा० दो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या किसी माननीय सदस्य यह कहना उचित है कि सभापति महोदय का यह दुर्व्यवहार है ।

श्री पीलू मोदी : इस प्रकार सभा का समय बर्बाद करना उचित नहीं है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य द्वारा इन शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। किन्तु मैं उनके कहे का बुरा नहीं मानता हूं। इसमें दुर्व्यहार का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने यह कहने के स्थान पर कि माननीय सदस्य और कितना समय लेंगे, यह कह दिया कि और कितने पृष्ठ पढ़ने शेष रह गये हैं। माननीय सदस्य के लिये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है।

श्री कृष्ण मूर्ति : इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सभापति महोदय को शोभा नहीं देता।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के लिये यह उचित नहीं है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भविष्य में नहीं किया जाना चाहिए।

श्री म० अमरसे : वाणिज्य मंत्रालय के कर्मचारी इतने अनुभव हीन हैं कि जनता को यह विश्वास नहीं है कि यह मंत्रालय बड़ी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक परियोजनाओं का संचालन कर सकता है। महाराष्ट्र सरकार का अपने द्वारा चलाई जाने वाली मिलों में मजूरी घटाने का प्रस्ताव है। सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार का भेदभाव पूर्ण बर्ताव लज्जा की बात है।

अब मैं वायदा बाजार आयोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ समय पूर्व वाणिज्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि देश में वायदा बाजार प्रायः नहीं है, केवल कुछ ही विशेष मामलों में वायदा व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। यदि वास्तव में ऐसा है तो इस आयोग की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार के निकायों में निहित स्वार्थों तथा नौकरशाही का बोलबाला रहता है। इस आयोग की प्रवर्तन द्वारा केवल घूस लेने के लिये ही छापे मारे जाते हैं। यह शाखा अपने अधिकारों के दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार को प्रश्रय देती है। मंत्री महोदय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि इस शाखा ने अब तक कितने छापे मारे हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गई है ? मैं इस बात के पक्ष में हूं कि यह आयोग समाप्त कर दिया जाना चाहिए जिससे सरकारी धन का अपव्यय न हो।

सदैव यही कहा जाता रहा है कि राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम आदि संस्थाएं देश के हित में स्थापित की गई है, किन्तु हमारा अनुभव बिलकुल इसके प्रतिकूल रहा है। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय तथा सभा के सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन निगम अथवा निकायों का उपयोग राष्ट्र के लिये होना चाहिए न कि राष्ट्र का इनके लिये।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस मंत्रालय की समस्याएं स्वयं अधिकारियों द्वारा पैदा की गई है, अतः ये सद्भावना से तथा नीतियों के प्रति आर्थिक सूझबूझ से हल हो सकती है।

श्री दामानी (शोलापुर) : सभापति महोदय, वाणिज्य मंत्रालय के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। देश का कपड़ा उद्योग, चाय उद्योग, रबर उद्योग, निर्यात-आयात व्यापार

आदि सभी इस मंत्रालय पर निर्भर हैं। पिछले तीन-चार वर्षों से फसल अच्छी न होने से देश जिस कठिन स्थिति से गुजर रहा है उसे देखते हुए इस मंत्रालय ने बहुत सराहनीय कार्य किया है।

कपड़ा उद्योग देश का एक मुख्य उद्योग है। इस उद्योग में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है किन्तु पिछले कुछ समय से यह उद्योग एक कठित स्थिति से गुजर रहा है। मन्त्री महोदय को कपड़ा उद्योग की स्थिति की जांच करनी चाहिये। इस उद्योग की कठिन स्थिति का कारण कपास की कमी है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने इस उद्योग का विस्तार तो किया है, किन्तु उसके अनुपात से कपास की सप्लाई नहीं बढ़ पाई है। इसका कारण कपास का उत्पादन न बढ़ाना है। कपास के उत्पादन में वृद्धि न होने से कपास के मूल्य इतने बढ़ गये हैं कि कपड़ा मिलें कपास खरीदने में असमर्थ हो गई हैं। इसी कारण से कपड़ा उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कपड़ा उद्योग की कठिनाई दूर करने का एक मात्र उपाय यह है कि कपास का उत्पादन बढाया जाय। कपास का उत्पादन बढ़ाये बिना इस उद्योग की समस्या हल नहीं हो सकती है। यह दुःख की बात है कि आयुक्त केवल वितरण की देखभाल करता है। कपास के उत्पादन में वृद्धि से उसका कोई सम्बन्ध है। कपास का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही की देखभाल करने का दायित्व किसी व्यक्ति पर होना चाहिए।

भारत में कपास का प्रति एकड़ उत्पादन केवल 180 पौंड है, जबकि अमरीका तथा संयुक्त अरब गणराज्य में 530 पौंड है। अधिक भूमि में कपास की खेती करने से समस्या हल नहीं हो सकती है। इस समस्या को हल करने के लिये कपास का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। मन्त्री महोदय को चाहिए कि वह इस समस्या पर विचार करने के लिये कपास उत्पादकों उद्योगपतियों, कपास उत्पादक क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों तथा कृषि मन्त्रियों और केन्द्रीय कृषि मन्त्री को आमंत्रित करे। ये सब मिल कर इस समस्या पर विचार करके योजना बनाएं कि उद्योग के लिये और किसानों के लिए क्या मूल्य उचित होगा और उसके बाद कोई निष्कर्ष निकालें।

किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक तथा संकर बीज दिये जाने चाहिये, ताकि वे कपास का उत्पादन बढ़ा सकें। यदि प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ जाये तो किसानों की उत्पादन लागत घट जायगी और वे कम मूल्य पर कपास बेच सकेंगे। केवल यही इस उद्योग की समस्या का हल हो सकता है। लम्बे रेशे की कपास, जिसका हम आयात करते हैं, पैदा करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। उन्हें उनके उत्पाद के कुछ अधिक मूल्य भी दिये जा सकते हैं। हमें कपास के उत्पादन में आत्म निर्भर बनना ही होगा।

अब मैं राज्य व्यापार निगम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह निगम 10 वर्ष पहले स्थापित किया गया था। 10 वर्ष के अनुभव के बाद भी राज्य व्यापार निगम केवल 13 करोड़ रुपये का व्यापार करने में सफल हुआ है। इसमें से दो करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद निर्यात किये गये। इस प्रकार के सही आंकड़े केवल 11 करोड़ रुपये के लगभग होंगे। इसकी तुलना में देश के कुल निर्यात के आंकड़े लगभग 800 करोड़ रुपये होंगे। इस प्रकार

राज्य व्यापार निगम ने केवल 1.5 प्रतिशत निर्यात व्यापार किया । राज्य व्यापार निगम को निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये पूरे प्रयत्न करने चाहिये । निगम को भारत में निर्मित इंजीनियरी सामान का निर्यात करने के लिये प्रयत्न करने चाहिए ।

राज्य व्यापार निगम ने कुछ ऐसी वस्तुओं का आयात किया है जो देश में पहले ही पर्याप्त मात्रा में हैं । समझ में नहीं आता कि इन वस्तुओं के आयात की क्या आवश्यकता है ? राज्य व्यापार निगम को इस सम्बन्ध में सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिये । मन्त्री महोदय को इस निगम के कार्य संचालन पर नियंत्रण रखना चाहिए ।

इस निगम के लाभ-हानि खाते और संतुलन पत्र में ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं कि किसी वस्तु के निर्यात के लिये कोई वस्तु खरीदने के लिये कितनी रकम दी गई और उसके निर्यात से कितनी आय हुई अथवा किस वस्तु के आयात के लिये कितनी रकम दी गई तथा उसकी बिक्री से कितनी आय हुई । प्रत्येक मद का अलग अलग विवरण नहीं दिया गया है । केवल एक मुश्त रकम दिखाई गई है, जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं । अतः मेरा सुझाव है कि प्रत्येक मद के पृथक पृथक आंकड़े रखे जाने चाहिये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

खनिज तथा धातु निगम के बारे में कुछ शिकायतें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं । ऐसा कहा जाता है कि उपभोक्ताओं को उससे 12,200 प्रति मीट्रिक टन की दर पर तांबा खरीदने के लिये बाध्य किया गया जब कि उसकी लागत में 9,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन आई है । मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी वास्तविकता है । मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय को इस प्रकार के मामलों को रोकना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ में वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ ।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : Mr. Chairman, while speaking on the Demands of the Commerce Ministry, I feel that prosperity of a country depends on her industrial development. About three and a half hundred years ago India was a very prosperous country. But the Britishers had ruined India's industry and commerce in order to rule over her. India became dependent for the finished goods whereas she was the main exporter of these goods before the Britisher took over and Indian made goods were in great demand in European countries.

At the time when India attained freedom 1,500 crores worth of sterling balances were at her credit. But it is not known how this amount in shape of foreign exchange had been used. An inquiry should be instituted to find out as to how these sterling balances have been used and to what extent the country has been benefitted thereby.

Today we do not know as to how the foreign exchange allocated to various industrial units has been utilized in having scarce foreign exchange for the country. A study should also be made whether the amount of foreign exchange spent on a unit had been utilized for earning more foreign exchange. If any unit has not earned the amount of foreign spent on it, it should give a guarantee it will do so during the next ten years.

I would like to say something about the officials of the Commerce Ministry. The various officials of the Ministry and official dealing will commence under the Ministry of External Affairs are neither efficient nor conversant with the subjects with which they

deal. They are incapable to take advantage of the opportunities that they come across a for increasing our exports. These officials do not p.ssess adequate knowledge about other countries. They are not, therefore, able to enter into trade agreement with those countries at the opportune time.

Our officials should take advantage of certain situation that arises whenever there is war between certain countries and try to capture new market for our goods. For example due to recent Arab-Israeli conflict Israel could not export fruits to certain countries. India was in a position to export those fruits at that time. We should have taken the advantage of such a position and capture new markets but unfortunately we did not take advtange of this opportunity.

The Government exports sugar at subsidized rates, when people inside the country are facing a great difficulty because of the dearth of sugar. It is not advisable to export sugar at the cost of the people inside the country. The export of sugar should be stopped.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

One of the main reasons for devaluation was to step up our exports. But it is regrettable that our exports have fallen by about fifteen percent after devaluation. It is very much doubtful whether we will be able to achieve our exports targets fixed for the Fourth Five Year Plan. It has been stated the Ministrys' Report that there has not been any significant shift in the direction of India's export during 1966, We should not only follow the beaten path. We shouldfind out for which of our goods new markets can be explored.

Fortunately the U. N. Conference on Trade and Development will beheld next year in India. This is a golden opportunity for us to increase our export. We should invite businessmen alongwith delegates from different countries, so that we may negotiate trade agreements with those businessmen. A full advantage should be taken of the opportunity to be afforded by that conference. International communications should also be improved to meet the needs of that conference.

The P. A. C. report has commented about the preparation of badges for the use at the time of an exhibition in Russia. The P.A.C. Committed out that the value of the import licence sanctioned was not correlated with the value of material actually consumed in the preparation of the badges and it included certain like stainless steel which were not used for the manufacture of badges. The hon. Minister should inquire into the matter.

The P. A. C. have also pointed out that it is not worth while to maintain show-rooms in different countris. The committee have suggsted that in view of the difficult foreign exchange position it is imperative to conserve foreign exchange worth every rupee and hence the Government must carefully examine the actual utility of these show rooms. Those show-rooms which have not Justified their continuance by the resut must be discontinued.

Out of a revaluing fund of crores of rupees an amount of one crores has been provided for irrigation purposes by the Tea Boat. But only one application has been received during one year for use of money from this fund. The P. A. Committee have observed that it is not proper to keep such a huge amount unutilised.

Our imports had increased from Rs. 1386. 8 crores in 1965 to Rs. 1658.7 crores in 1966. The Government should consider over this matter and take suitable steps to remedy the situation.

वाणिज्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या (1)	कटौती प्रस्ताव संख्या (2)	प्रस्ताव का नाम (3)	कटौती का आधार (4)	कटौती की राशि (5)
1	1	श्री यशपाल सिंह	सरकारी उपयोग के लिये कारों के आयात की नीती ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
1	2	श्री यशपाल सिंह	विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण के बारे में नीति ।	,, ,,
1	3	श्री यशपाल सिंह	वस्त्रों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में असफलता ।	,, ,,
1	4	श्री यशपाल सिंह	सरकारी क्षेत्र में मिलें न खोल कर बुनियादी उपभोक्ता उद्योगों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में असफलता ।	,, ,,
1	6	श्री यशपाल सिंह	खादी आयोग के कार्यचालन में सुधार की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	7	श्री यशपाल सिंह	कांडला में अबाध-व्यापार क्षेत्र के विकास की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	8	श्री यशपाल सिंह	विदेशों में भारतीय प्रदर्शनियों के बेहतर आयोजन की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	9	श्री यशपाल सिंह	चाय और पटसन के निर्यात के बारे में नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	15	श्री शिंकरे	अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेना निरर्थक होगा ।	25,000,00 रुपये
2	17	श्री शिंकरे	अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेना निरर्थक होगा ।	100 रुपये
110	26	श्री शिंकरे	खनिज पदार्थ और धातु व्यापार निगम के कार्यचालन में सुधार करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
110	28	श्री शिंकरे	युगांडा के चीनी निगम की सामान्य पूंजी में निवेश ।	1,00 000 रुपये
2	30	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
2	31	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशी व्यापार के विस्तार की धीमी गति ।	,, ,,
2	32	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशी व्यापार में समाजवादी देशों के समान प्रगति करने की ओर पर्याप्त ध्यान देने में असफलता ।	,, ,,
2	33	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशी व्यापार में मुख्यतया पूंजीवादी और साम्राज्यवादी देशों पर निर्भरता ।	,, ,,
3	35	श्री रामावतार शास्त्री	बन्दी पड़ी सूती कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रणाधीन लेने में सरकार की असफलता ।	,, ,,
3	36	श्री रामावतार शास्त्री	मिल मालिकों द्वारा कपड़े के मूल्य में वृद्धि ।	,, ,,

3	37	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में सूती कपड़ा मिलों के विकास की ओर लापरवाही ।	राशि घटा कर 1 रुपये करदी जाये
3	38	श्री रामावतार शास्त्री	दूरवर्ती गांवों में तोल और नाप की मीट्रीक प्रणाली का प्रचार करने में असफलता ।	,, ,,
3	39	श्री रामावतार शास्त्री	कपड़ा उद्योग में अनियमितायें रोकने में असफलता ।	,, ,,
2	48	श्री सेक्वीरा	आयात तथा साख (एक्सचेंज) वाउचरों को निर्बाध रूप से हस्तांतरणीय बनाकर निर्यात के लिये प्रोत्साहन में असफलता ।	,, ,,
1	68	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिये कार्यवाही न करना ।	100 रुपये
1	69	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये पटसन की खरीद राज्य व्यापार निगम को सौंपने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	70	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार पर पड़ने वाला प्रभाव ।	100 रुपये
1	71	श्री क. प्र. सिंह देव	रूई के मूल्य को प्रभावी तौर पर नियंत्रित न करना और कपड़ा-मूल्यों पर से नियंत्रण न हटाना ।	100 रुपये
1	72	श्री क. प्र. सिंह देव	सूती कपड़ा मिलों में फैल रही बीमारी दूर करने और इस सम्बन्ध में कोई व्यवहार्य हल ढूंढने में असफलता ।	100 रुपये

2	73	श्री सेक्वीरा	निर्यात प्रोत्साहनों, विशेषकर शुल्क वापसी को शीघ्र उपलब्ध करने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
2	75	श्री क. प्र. सिंह देव	पश्चिमी जर्मनी को होने वाले भारतीय निर्यात को संरक्षण देने में असफलता।	100 रुपये
2	76	श्री क. प्र. सिंह देव	इस्लामी और दक्षिणी-अमरीकी देश में भारतीय व्यापार के बदले पाकिस्तान द्वारा व्यापार करने के प्रयत्न निष्फल बनाने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता।	100 रुपये
2	77	श्री क. प्र. सिंह देव	तुर्की व्यापार मेले में भाग लेने की निरर्थकता।	100 रुपये
3	78	श्री रामावतार शास्त्री	हथकरघा उद्योग की ओर बहुत अधिक ध्यान न देना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
3	79	श्री रामावतार शास्त्री	रूई, चाय, इलायची और रबड़ के मूल्य स्थिर न रख सकना।	,, ,,
3	80	श्री रामावतार शास्त्री	खादी और ग्रामोद्योग आयोग पर होने वाला अनावश्यक व्यय।	,, ,,
3	81	श्री रामावतार शास्त्री	चाय बागान का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,, ,,
3	82	श्री रामावतार शास्त्री	कुटीर और लघु उद्योगों का विकास करने में असफलता।	,, ,,
3	83	श्री रामावतार शास्त्री	हस्त-शिल्प उद्योग की असंतोषजनक प्रगति।	,, ,,
3	84	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कार्य चालन।	100 रुपये
3	85	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	विद्युत करघा उद्योग का विकास करने की आवश्यकता।	100 रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत है।

बिहार में धर्म-परिवर्तन के बारे में

RE: CONVERSIONS IN BIHAR

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, Sir, every person in India is guaranteed freedom of religion-to choose and propogate-under Article 25 (1) of our constitution. In India one is free to pursue any religious faith he likes. Schools, dispensaries are being run by christian missionaries and the member of registered foreign missionaries in India is 4328 but many more missionaries are working in India. In fact some 10,000 christian missionaries are operating in India. Had these missionaries confiend their activities to religion, there would have been no objection but unfortunnately on the pretext of propogation of religion they are injecting verom into the people and most of them indulge in changing the loyalty of the people towards the country.

According to Government statististics Rs. 1227 lakhs have flown into the country from U. S. A., U. K., Canada etc. but clothes, food, milk etc. coming through the embassies are also taken into account the figure of annual expenditure by foreign missionaries will swell to about Rs. 30 crores. We have received very alarming reports from Bihar, where serious conditions prevail. These men are exploiting the pitiable condition of people who have no food to eat and clothes to cover their bodies and are trying to convert them. Foreign missionaries have concentrated there from every part of the country and are engaged in large scale conversion of the pepole and it appears that it may assume serious and horrible proportions.

What is happening there ? Medals inscribed with 'cross", the symbol of christianity are being distributed among the people, who are required to wear it round their necks. They are told that only such people will be provided food. On the village borders they have displayed 'cross' on planks and in many places temples have been turned into churches. The three Districts, viz. Hazaribagh, Ranchi and Palaman, are main centres of their activities. These missionaries are more active paricularly in the areas inhabited by backward classes, tribals etc.

The fact finding committee appointed recently to survey the situation there, has traced a case in their report that one Nanu Matto son of Rake Chand Matto of Karakhar, was offered food on the condit on that he would get his topknot (choti) cut off. But he did not agree to it. His top-knot was cut off during the night with the help of some other converts when he was asleep. This not the only case, I have got a list of 15-20 villages where these conversions have taken place, for example 77 people in Kujuram P. O. Gorce, 5 in Chetang, P. O. Balumath 6 in opepal, P. O. Balumath were converted to christianity. According to this report about 300 people have been made christians. This is the list of one Tehsil only. Only day before yesterday the Deputy Minister of Bihar stated in the State Assembly in reply to a question that about 250 people in a Distt. have been made christians. According to some reports certain entire villages have been converted to christianity. About 5,000 persons have thus been made christians during the famine there. Large scale conversion is taking place.

Not only that, these people keep some medicines, run hospitals. One case of swelling of leg due to eczema was cured and the person was converted by Father D, W. Lakra. There is another Father M. C. Wagat there, Mr. Speaker, not one but many missions are working there. In one village all this resulted in scuffles and the people reported the

* आधे घण्टे की चर्चा

* Halflan hour discussion

matter to the police and the Father was turned out from there. These activities of missionaries are resisted by workers of Arya Samaj and Rastriya Swayam Sewak Sangh but false prosecutions are launched against them as they have got money received from foreign sources. Therefore, I will like to warn the Government if steps are not taken against them will in time a situation similar to Nagaland may develop there also.

Mr. Speaker, Sir, earlier there was no tendency of segregation in Nagaland or Mizo Hills, if coversions to christianity and attempts to change the loyalty go on here, we will have to face its dangerous consequences. We have no objection to willing conversions to christianity. After all India is a secular State and propogation of every religion is allowed But we expect from every person not to give up his loyalty to the country. The poverty, sufferings and the flight of nobody should be exploited in this manner for conversion.

Mr. Speaker, Sir, I demand through you that all the foreign christian missionaries should be expelled from Bihar. The Governmet should survey the condition there and the facts given by me. All the persons, who were converted during the last six months, one year of famine should be asked to register their names and certify whether they have willingly agreed to conversion or for some temptation. If Government couducts such a survey it would reveal that the activities of these missionaries are anti-national. Therefore, I demand the expultion of all the foreign missionaries and that a legislation should be brought forth to regulate and watch the activities of Indian missionaries. The clothes money, food, etc. received as gift from abroad should not be distributed through them but through Government agencies. A legislation should be evacted to ban the flow of any money into India from abroad for propaganda purposes by christian missionaries. I have got letters from Indian christians to this effect. Indian missionaries do not want it. Therefore, the flow of money for such purposes should be stopped totally and no foreign missionary should be allowed to stay here in India. In the relevant article of the constitution there are certain restritive provisions such as pblic order, health, security of the country etc. I would appeal to the hon. Minister to enact a legislation for the purpose and take immediate steps in this direction at the central level or ask the State Government to do so otherwise it will become a pocket Nagaland and this problem will assume such proportion that it will be difficult to control it.

अध्यक्ष महोदय : लगभग नौ सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं । इसलिए भाषण तो संभव होंगे नहीं । भाषण वे दे ही चुके हैं । शेष सदस्य एक एक प्रश्न पूछ ले ताकि उत्तर देने के लिये मंत्री महोदय को समय मिल सके ।

Shri Shiv Kumar Shastri : (Aligarh) : Mr. Speaker, Sir, I am a new Member to this House and I have got an impression that whenever the attention of the House or the Ministries is drawn to the anti-national and objectionable activities of some muslims and christians, such an atmosphere is created that this issue does not receive the serious attention, which it deserves. As the Member preceding me has pointed out, none of us is of the view that any such and religion should not be allowed to publicise it. Here every religion and sect has a right to publicise its ideology Freely.

Mr. Speaker : There is no time for a speech, please put question only.

Shri Shiv Kumar Shastri : I will state my point briefly. It is very objectionable to allow some one to expoit the poverty of our people. It can not be allowed, I have received a letter from a missionary from which you can very well assess the real situation. I will read out certain portions of the letter so that it may throw light on the situation.

"I have severed my rklations more than two years back with the Society of Jesus established by catholic church and of which I have been a member for the last thirty years. I a mdescandant from a Nambordipad family, who have been professing christianity for the last two generations. I severed my connection with Roman catholic Mission because of their policy of proselytisation and anti-Indian attitude and as also I could not put up with their religious bigottey. I request you kindly to raise this issue in the current session of Lok Shabha in such a manner so that these conditions may get due attention.

"Foreign Raman Catholic missionaries with the help of their Indian associates have been propogating their own religion in their shools opened for public. They have been propogating that the persons pursuing the catholic faith alone will ascend to the Heaven whereas the Hindus will be condemned to Hell to suffer all sorts of agonies there as they worship demagogue Gods...

"I am connected with the 'Goa-Poona vice Province" unit and its headquarters are located in Saint Vincerts High School, Poona. Foreign christian missionaries, particularly of Goa, have been very active in Poona, Ahmadnagar District and Dayanamata School, Sangmaner is the centre of their operation. They are able to trap the poor 'Metras' (a community mainly engaged in cleaning utenils) in to conversion and then they open schools and orphanges from them.

"The activities connected with conversions in Ahmedabad District are financed by some West German Roman Catholic Bishops. The two Roman Catholic leaders receiving money for this purpose are Bishop Andrew De Souza of Poona and Rev Charles Gomez of St. Vincents High School, Poona.....

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। वे सारा पत्र नहीं पढ़ सकते। लगभग सात अन्य सदस्यों को भी बुलाया जाना है और पांच मिनट माननीय मंत्री के उत्तर के लिये भी चाहिये यदि वे चाहते हैं तो वे इसको मंत्री महोदय को दे सकते हैं।

श्री बाबूराव पटेल (शाजापुर) : संविधान के अनुच्छेद 25 (2) के अन्तर्गत सरकार धार्मिक प्रथाओं से सम्बन्धित राजनैतिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। क्या सरकार धर्म परिवर्तन सम्बन्धी बड़े पैमाने पर हो रहे काम पर पाबन्दी लगाने के लिए विधान बनायेगी।

श्री कार्तिक ओराव (लोहारडगा) : धर्म परिवर्तन कोई नई बात नहीं हैं। हां, आजादी आने के बाद इसमें गतिशीलता आ गई है। मैं चाहता हूं कि आदिवासियों का धर्म परिवर्तन न हो, इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं। यह उनको धन का प्रलोभन देकर किया जाता है। मेरा सुझाव है कि सरकार को कानून द्वारा 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के धर्म परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं जानता हूं कि जब हमारे देश में धर्म प्रचार की आजादी है और हमारे देश के सबसे बड़े धर्म में बहुत सहनशीलता है, तो इसे सदन में प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी कानून लाने की क्या आवश्यकता है ? यह कहना कि हजारों की संख्या में परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक नहीं है।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It is very unfortunate that christian missionaries are taking undue advantage in femine conditions of Bihar. These missionaries help those people who embrace christianity. I want to know whether Government's attention has been drawn to these facts and whether any enquiry will be conducted in all this ?

Shri Jageshwar Yadav (Banda) : I toured district Banda recently. I found that missionaries distribute eatables among poor people and ask them for conversion. I have brought this thing to the notice of the District Magistrate also. I want to know, whether Government is taking any steps in this matter ?

श्री दी० चं शर्मा (गुरदासपुर) : माननीय सदस्यों ने बहुत गम्भीर स्थिति का वर्णन किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई जांच की है, कि क्या लोगों को उनकी निर्धनता तथा अकाल के कारण धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया है ? सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

Shri Raghuvir Shastri (Bagpat) : I suggest that Government should exercise some control on spending of money by foreign missionaries.

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk) : In Goa, Government regulates the distribution of funds of foreign missionaries through a Government agency. Similar arrangements should be made througout the country. Government should consult father William the President of Indian Christian Association in this matter.

It is correct that our constitution permits professing to preaching of different religions but it should not under compulsion. It is unfortunate that conversion is done where people are poor and unemployed. I can say, that the number of conversions during the last twenty years after the attainment of freedom is far more than the number of conversions during the last 2 hundred years of British rule. If this phenomenon is not checked, there will be many problems like the problem of Nagaland. This is a potential danger to India's intergrity. I request this Government to implement the Neogi Committee report. The foreign missionaries should be asked to go back. They are a danger to the country from security point of view.

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय,मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे संविधान के अन्तर्गत सभी धर्मों को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतन्त्रता है । हां, इस कार्य में अनुचित तरीके नहीं अपनाये जाने चाहिये । इस बात पर लगभग सभी सदस्यों ने बल दिया है । सरकार के ध्यान में जब भी कोई मामला लाया जायेगा कि कहीं पर बलात् धर्म परिवर्तन हुआ है, तो सरकार कार्यवाही करेगी । केन्द्रीय सरकार ने पहले भी ऐसे मामले राज्यों को भेजे हैं और तुरन्त कार्यवाही करने की सिफारिश की है ।

इस बारे में हाल ही में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई है और उनको सम्बन्धित राज्यों को भेजा गया था वहां से पता चला है, कहीं पर भी बलात् धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है । बिहार राज्य की सरकार ने हमें सूचना भेजी है कि वहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोई घटना नहीं हुई है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : A foreign missionary has been expelled for his anti-national activities.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं बिहार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर यह कह रहा हूं। यह सुझाव दिया गया है कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के धर्म परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। इस प्रश्न पर हमारी संविधानसभा ने भी विचार किया था और यह बात एक सलाहकार समिति को भी सौंपी गई थी। पूरे तौर से विचार करने के बाद इस प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाना ही उचित समझा गया था। अब सरकार ने विदेशी धर्म प्रचारकों के भारत आने के बारे में नियम बना दिये हैं। बाहर से जो धन आता है, उसके बारे में भी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। विदेशी मिशनरियों पर नजर रखी जाती है। इस समय हमारे देश में विदेशी मिशनरियों की संख्या लगभग 4,000 है।

मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन करने पर विवश नहीं किया जायेगा। यदि ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आयी, तो उस पर तुरन्त जांच होगी और उचित कार्यवाही की जायेगी।

इसके पश्चात लोक सभा गुरूवार 29, जून, 1967/आषाढ़ 8, 1889 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of Clock on Thursday, June 29, 1967/ Asadha 8, 1889 (Saka)